लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13, गुरुवार, 9 मार्च, 1978/फाल्गुन 18, 1899 (शक)
No. 13, *Thursday*, *March* 9, 1978 / *Phalguna*, 18, 1899 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions	1—10
*तारांकित प्रश्न संख्या 228 से 230 और 232	*Starred Questions Nos. 228 to 230 & 232	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. ADJOURNMENT MOTION:	11—12
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	SHORT NOTICE QUESTION	12–16
लिखित प्रश्नों के उत्तर हैं	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	16-136
तारांकित प्रश्न संख्या 225 से 227 231, 233 से 235, 237 से 241, 243 और 244	Starred Questions Nos. 225 to 227,231, 233 to 235, 237 to 241, 243 and 244	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2087 से 2111, 2113 से 2145, 2147 से 2153, 2155 से 2180, 2182 से 2227; 2229 से 2281 और 2283 से 2286	Unstarred Questions Nos. 2087 to 2111, 2113 to 2145, 2147 to 2153, 2155 to 2180, 2182 to 2227, 2229 to 2281 and 2283 to 2286.	
कांग्रेस दल (आई) को लोक सभा में एक दल के रूप में मान्यता	Recognition to Congress Party (I) as a party in Lok Sabha .	136
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	137-138
राष्ट्रपति का संदेश	Message from the President	138
जय प्रकाश नारायण के उपचार के बारे में जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में	Re. Report of the Inquiry Committee on Shri Jayaprakash Narayan's Treatment.	139-141
—कार्य मंत्रणा समिति तेरहवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Thirteenth Report . . .	141-142

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the questionu was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
पारपत्र (संशोधन) विधेयक––पुर:स्थापित	Passports (Amendment) Bill—Introduced	142
नियम 377 के अधीन मामले	Metters under rule 377	142-144
(एक) दिल्ली टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा टेलीफोन आपरेटरों की सेवायें नियमित करने का मामला	(i) Regularisation of Telephone Operators by Delhi Telephone Authorities .	142-143
(दो) वनों को नष्ट करने और पेड़ों को अन्धाधुन्ध गिराये जाने का कथित समाचार ।	(ii) Reported deforestation operation and indiscriminate falling of trees. . . .	143
(तीन) प्रतापगढ़ से ट्रैक्टर फैक्टरी को हटाये जाने का कथित समाचार	(iii) Reported move to shift of Tractor factory from Pratapgarh	143
(चार) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से हटाये जाने का कथित समाचार	(iv) Reported shifting of head office of Hindustan Fertiliser Corporation from Calcutta.	143
(पांच) जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल	(v) Proposed strike by LIC Development Officers . .	143-144
रेल बजट, 1978-79––सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1978-79—General Diseussion	144-158
श्री तेज प्रताप सिंह	Shri Tej Pratap Singh	144
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary . .	144-145
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . .	145-147
श्री पी० वी० पेरियासामी	Shri P.V. Periasamy .	147-148
श्री राम कंवार बेरवा	Shri Ram Kanwar Berwa .	148
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya .	148-149
श्री डी० जी० गवई	Shri D.G. Gawai . .	149
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	149
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof P.G. Mavalankar .	149-151
श्री वाई० पी० शास्त्री	Shri Y.P. Shastri . . .	151-152
श्री अमर राय प्रधान	Shri Amar Roy Pradhan	152
श्री जनार्दन पुजारी	Shri Janardhana Poojary .	153-154
श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	Shri Ram Prakash Tripathi	154
श्री जार्ज मैथ्यू	Shri George Mathew	154

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री सैयद काजिम अली मिर्जा	Shri Syed Kazim Ali Meerza	155-156
श्री ईश्वर चौधरी	Shri Ishwar Chaudhry	156-157
श्री पी० ए० संगमा	Shri P.A. Sangma	157
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा	Shri Chandradeo Prasad Verma	157-158
श्री श्रीकृष्ण सिंह	Shri Shrikrishna Singh	158
स्थगन प्रस्ताव के बारे में सिक्कम के विलय के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा कथित वक्तव्य	Re. Motion for Adjournment Reported statement by the Prime Minister.	155

लोक सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 9 मार्च 1978/18 फालगुन, 1899 (शक)

Thursday, March 9, 1978/Pha'guna 18, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नौकरियों के इच्छुक व्यक्तियों में निराशा

*228. **श्री के० लकप्पा :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षों से प्रतीक्षा करने के बावजूद रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त न कर सकने के कारण नौकरियों के इच्छुक व्यक्तियों में व्याप्त कथित निराशा से सरकार अवगत है; और

(ख) सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में आरम्भ की गई रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाओं का क्या परिणाम निकला है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार देश में विद्यमान बेरोजगारी की स्थिति की गंभीरता से अवगत है । विगत समय में विकास योजनाओं के द्वारा पर्याप्त रोजगार अवसर सर्जित करने तथा हाल के वर्षों में विशेष रोजगार उत्पादक योजनाएं आरम्भ करने के बावजूद, यह समस्या चिन्ता का विषय बनी हुई है। सरकार ने इस लिए निर्णय किया है कि विकास योजना के अगले दौर का मुख्य उद्देश्य लगभग दस वर्षों के भीतर बेरोजगारी और पर्याप्त रूप में अल्प रोजगार को समाप्त करना होगा। योजना आयोग अगली योजना तैयार कर रही है जिसमें अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को सर्जित करना एक मुख्य उद्देश्य होगा।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न विशिष्ट है। मंत्री महोदय को विवरण सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए था। मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें :—

> "क्या वर्षों से प्रतीक्षा करने के बावजूद रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त न कर सकने के कारण नौकरियों के इच्छुक व्यक्तियों में व्याप्त कथित निराशा से सरकार अवगत है ;"

सभा पटल पर रखा गया विवरण सामान्य प्रकार का है। यदि मंत्री महोदय सही सूचना नहीं देते तो यह वास्तव में विशेषाधिकार का हनन होगा।

देश में गत 1 वर्ष से विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। निराशा में न केवल वृद्धि हुई है बल्कि इससे बेरोजगार युवकों के बीच अशांति बनी हुई है। वे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों बल्कि शहरी क्षेत्रों में आन्दोलन कर रहे हैं। प्राप्त विभिन्न उत्तरों से पता चलता है कि सरकार योजना अथवा किसी भी तरीके से रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर सकी है। इसलिए मैं यह पूछ रहा हूं कि सरकार इस विस्फोटक स्थिति से निपटने में असफल क्यों हुई है ? विवरण में केवल यही कहा गया है कि सरकार 10 वर्ष में बेरोजगारी खत्म कर देगी। केवल कहने से कुछ नहीं होगा। बेरोजगारों को खपाने के लिए सरकार ने गत वर्ष क्या योजना बनाई है और सरकार ने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कौनसी स्थिति पैदा की है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : सम्भवत: माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं स्पष्ट उत्तर दूं। मैं इस प्रश्न पर झगड़ा नहीं करना चाहता। प्रश्न यह है कि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में क्या करते रहे हैं और क्या रहे सकते हैं ? जहां तक इस सीमित प्रश्न का सम्बन्ध है रोजगार कार्यालय रोजगार के अवसर पैदा नहीं करते हैं और न ही भर्ती करने की एजन्सियों के रूप में काम ही करते हैं। ये तो माध्यम एजन्सियां हैं।

रोजगार केन्द्रों के बारे में इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर गत सप्ताह दिया गया था तब मैंने यह स्पष्ट बताया था कि वर्तमान नियमों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके अनुसार बेरोजगार व्यक्ति के लिए अपना नाम रोजगार केन्द्र में लिखवाना आवश्यक हो। वर्तमान रोजगार कार्यालय अधिनियम में कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के गैर-कृषि प्रतिष्ठानों के लिए यह आवश्यक है कि रिक्तियों को अधिसूचित करने के लिए 25 या उससे अधिक लोगों को रोजगार दें।

ये रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं तथा रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत की जाती हैं और जो ये नौकरियां चाहते हैं, वे अपना नाम रोजगार केन्द्र में दर्ज कराते हैं, जब भी रिक्तियां अधिसूचित की जाती हैं, जो भी लोग योग्य होते हैं, रोजगार केन्द्र उनका नाम नियुक्ति अधिकारियों को भेज देते हैं। अत: रोजगार पैदा करने का काम रोजगार केन्द्रों से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन जहां तक निराशा का सम्बन्ध है, यह सर्वविदित है कि बेरोजगारी बढ़ने से निराशा बढ़ती है और सरकार ने कभी यह नहीं कहा है कि बेरोजगारी एक वर्ष में समाप्त हो जाएगी। योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाना है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें।

श्री के० लकप्पा : मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। रोजगार केन्द्रों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा पक्षपात विद्यमान है। सरकारी उपक्रमों या गैर-सरकारी उपक्रमों में केवल वहां के कर्मचारियों के सम्बन्धियों को रोजगार दिया जाता है। यह स्थिति व्याप्त है और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही। हाल में योजना आयोग ने यह सिद्धान्त निकाला है कि हम नौकरी की

गारन्टी नहीं दे सकते । तब यह निराशा कैसे समाप्त होगी । क्या सरकार संविधान में संशोधन करके काम के अधिकार की गारन्टी की व्यवस्था करेगी ताकि देश में बेरोजगारी की स्थिति से निपटा जा सके ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह एक सामान्य प्रश्न है । माननीय सदस्य संविधान के जिस संशोधन की बात कर रहे हैं, श्रम मंत्रालय उसमें कुछ नहीं कर सकता । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार ऐसी योजना बनाएगी जिससे बेरोजगारी 10 वर्षों में समाप्त हो जाए ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The former Government has not made any arrangement to provide employment in the last thirty years as a result of which the number of educated unemployed has increased so much. Government have stated that unemployment will be eradicated within ten years and in case of failure to provide job, the unemployeds will be given unemployment allowance. I would like to know as to when the system of payment of unemployment allowance will be introduced ? He has stated that efforts are being made by the Plannng Commission to make such a financial provision so as to provide employment to more persons. I would like to know what financial provision has been made in this regard and by when a decision will be taken by the Planning Commission in this regard ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह प्रश्न योजना आयोग तथा देश के समक्ष रखी जाने वाली योजना से सम्बन्धित है । मेरे लिए यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । लेकिन जब योजना का प्रारूप प्रकाशित हो जाएगा तब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना में सबसे अधिक बल रोजगार के अवसर पैदा करने पर दिया जाए ।

जहां तक बेरोजगारी भत्ता देने का सम्बन्ध है, सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई वचन या वक्तव्य नहीं दिया है । यद्यपि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है फिर भी प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री धीरेन्द्र नाथ वसु : बेरोजगारी की समस्या के कारण देश में व्याप्त तनाव की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले ही इसका उत्तर 'न' में दे चुके हैं ।

SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI : It has been stated several times in the House that Government is considering to form a new pattern in regard to the working of employment exchanges so that corruption, favourtism and other evils which are prevailing in the employment exchanges at present could be removed. I want to know by when the new pattern will be introduced so that the unemployed could get jobs according to just principles ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : गत सप्ताह ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार, भाईभतीजावाद अकुशलता, रिश्वतखोरी, विलम्ब इत्यादि के बारे में सूचनाएं मिली हैं और इस पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिये और रोजगार केन्द्रों के कार्यकरण को सुधारने के लिए उपाय ढूंढने के लिए 1 मार्च को एक समिति गठित की गई थी ।

श्री वी० अरुणाचलम : मंत्री महोदय ने बताया है कि बेरोजगारों को सहायता देने का कोई कार्यक्रम सरकार के पास नहीं है । साथ ही यदि राज्य सरकारें ऐसा प्रस्ताव करें तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को राजसहायता देगी ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और इसलिए इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया । लेकिन जहां तक बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था के लिए भारत की संचित निधि में से पैसा निकालने

का सम्बन्ध है, इस बारे में सरकार का रवैया स्पष्ट कर दिया गया है। समस्या की व्यापकता तो सर्वविदित ही है। यह भी सब जानते हैं कि देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करने से काफी व्यय होगा और क्या ऐसे भत्ते पर किए गए व्यय से प्राप्त सामाजिक उपयोगिता रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए धन लगाने से प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक है, इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करना अधिक लाभकर होगा।

SHRI RAM SEWAK HAZARI : Unemployment is an important problem but the Government is giving the same stock reply. I would like to know from the hon. Minister whether any timebound programme has been made to solve this problem and what action is being taken in the direction of eradicating unemployment ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : जब तक योजना प्रकाशित नहीं हो जाती तब तक माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें।

श्री के० मालप्पा : विवरण में कहा गया है कि योजना आयोग अगली योजना तैयार कर रहा है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पैदा करना एक मुख्य उद्देश्य होगा। ये योजनाएं कौनसी हैं ? हाल के वर्षों में सरकार द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने सम्बन्धी योजनाओं का क्या परिणाम निकला है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : योजना के ब्यौरे के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि योजना के बारे में अनुमान लगाना मेरे लिए सम्भव नहीं है। रोजगार केन्द्र योजना से सम्बन्धित नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि हाल के वर्षों में पर्याप्त योजनाएं बनाई गई होतीं तो यह स्थिति पैदा न होती।

SHRI HEERA BHAI : Employment exchanges are located only at district level and not at town level where most of the educated and uneducated persons are unemployed. What arrangements have been made to get their names registered ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : हो सकता है रोजगार केन्द्रों की संख्या पर्याप्त न हो। संख्या बढ़ाने या नाम पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए अन्य उपाय करने के प्रश्न पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

जबरन नसबन्दी के कारण हुई मौतें

*229. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कि देश में जबरदस्ती की गई नसबन्दी के कारण कितने व्यक्ति मरे जो समिति गठित की गई थी उसका प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया गया था और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार का क्या अनुवर्ती कार्रवाई करने का विचार है ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(1) The Central Government had not set up any committee to find out the cases of deaths due to forcible sterilisation in the country as a whole.

(2) A Fact Finding Committee was appointed by the Ministry of Health and Family Welfare by Notification No. Z.28015/26/INQ/77-Estt.II, dated 16-7-1977 in respect of the implementation of the Family Planning Programme in the Union Territory of Delhi during the emergency. The terms of reference of the Committee were to collect all factual information in respect of the following matters :—

(a) The basis on which the targets on the eve the Proclamation of Emergency on 25th June, 1975 for various methods of family planning, especially sterilisation, were decided upon, and the changes, if any, made therein during the period of Emergency, and the reasons therefor.

(b) The circumstances in which sterilisation as a method of family planning came to be given a high priority, and new non-official organisations came to be inducted in the programme during the period of Emergency;

(c) The manner in which sterilisation were carried out and complaints and allegations in relation thereto;

(d) The directions/instructions issued by the Central Government for the implementation of the family planning programme and the deviation made therefrom by the Delhi Administration and/or local bodies especially in the matter of sterilisation and the persons who ordered or approved such deviations.

(e) Specific cases of—

(i) complaints of deaths as a result of compulsory or forcible sterilisations,

(ii) complaints of after-sterilisation complications in cases of compulsory or forcible sterilisations,

(iii) nature of relief—medical, monetary or any other—provided to the complainants at (i) and (ii) above.

This Fact Finding Committee has submitted its report to the Government on the 3rd February, 1978. The Fact Finding Committee received 855 complaints of forcible sterilisation, harassment, deaths and complications resulting from forcible sterilisation. Of these, 538 complainants appeared before the Committee. There were 268 complainants from the public servants category and 270 from among members of the public. The Fact Finding Committee examined 91 publicmen, officials, social workers and others connected with the implementation of the Family Planning Programme in the Union Territory of Delhi during the emergency.

(3) The findings of this Committee are before the Commission of Inquiry headed by Justice Shah and the nature of the action to be taken by the Government would depend finally on the report of that Commission.

SHRI D. G. GAWAI : I want to know the number of persons who were forcibly sterilised at the age of 80 years and died as a result thereof. The hon'ble Minister, in his reply, has not indicated the number who died. The number of persons died because of forcible sterilisation is very large. The number of such persons, who died at the age of 70 years on account of forcible sterilisation is also large.

SHRI RAJ NARAIN : Mr. Speaker, Sir, first the hon'ble Member should understand that no such inquiry committee was set up. We had appointed a fact finding Committee for Delhi to ascertain the excesses Committed in Delhi during the emergency. That Committee has submitted its report which has been forwarded to Shah Commission. The details of the report of the Committee cannot be made known to the House until and unless the Shah Commission gives its decision after consideration. (*Interruption*)

श्री एच० एल० पटवारी : श्री साठे पीठासीन अधिकारी को सम्बोधन करें, मंत्री महोदय को नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न का उत्तर देने दें ।

SHRI RAJ NARAIN : 85 deaths were reported in 1974-75; 219 in 1975-76; 914 in 1976-77; and 121 deaths were reported during 1977-78. These figures cover the entire country and not Delhi only.

SHRI D. G. GAWAI : Government had announced to give rupees five thousand to the family members of persons who died in emergency. I want to know the number of such persons to whom this relief has been given.

SHRI RAJ NARAIN : Various State Governments have paid Rs. 37,38,150.00 to the families of those who died since 1975-76 till September, 1977—(*interruptions*). I am not hiding anything. People know my habits.

यह जन सभा है तथा जनता के प्रश्नों पर यहां खुला वाद विवाद होना ही चाहिए।

श्री राघवलु मोहनरंगम : मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप अंग्रेजी में बोले हैं।

श्री राजनारायण : मैं कन्नड तेलगु तमिल, मराठी और बंगला में भी बोल सकता हूं। मैं राष्ट्र की सभी राष्ट्रीय भाषाओं का समान आदर करता हूं। लेकिन अंग्रेजी देश की राष्ट्र भाषा नहीं है।

We came into power on 28th March 1977. The previous Government of Indira Gandhi had left this matter for the district authorities and State Governments to decide at their end. When we came into power the Janata Party Government have declared clearly that all these barriers should be deemed to have been lifted. Government shall have to pay a compensation of Rs. 5000/- to each family of those who died due to forcible sterilisation. Because of this difficulty we are not in a position to give detailed figures.

SMT. PREMILA BAI CHAVAN : Is he aware of the fact that half of the money has been pocketed by the doctors, and if so, what action has been taken against them ?

SHRI RAJ NARAIN : I shall be grateful to the hon. Member if she brings such cases of corruption to the notice of Government. Serious action will be taken against such persons. But we have no such information.

SMT. PREMILA BAI CHAVAN : You can take the help of the C.B.I.

SHRI DURGA CHAND : The hon. Minister has stated that compensation more than Rs. 37 lakh has been paid to the families of those who had died due to forcible sterilisation. I want to know the break up of the money paid in different States and the number of such cases.

SHRI RAJ NARAIN : I am sorry that I am unable to give the break-up because of State Government's lethargy.

SHRI SOMJIBHAI DAMOR : Sir, these figures relate to the total amount of compensation paid. But the hon. Minister is unable to give figures regarding the number of deaths and the number of persons to whom compensation was paid State-wise separately. I, therefore, demanded postponment of this question. We want to know the Statewise number of deaths.

SHRI RAJ NARAIN : The question is not clear.

SHRI KACHRULAL HEMRAJ JAIN : Sir the hon. Minister has given the figures of total deaths occurred due to forcible sterilisation throughout India and he has just now said that this enquiry relates to Delhi only. Then, who will conduct enquiry into the cases of deaths due to forcible sterilisation in the country and when ?

SHRI RAJ NARAIN : The hon. Member is aware that Shah Commission is enquiring into the atrocities committed during the emergency. This fact finding committee has been set up to enquire into the atrocities in Delhi only. Because Delhi is Union Territory. State Governments should give their figures to us of their own.

विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा

*230. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष मार्च में सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात सरकार ने विदेशों में, विशेषकर पड़ौसी राष्ट्रों में भारत की विदेश नीति के मामले में भारत की प्रतिष्ठा के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a), (b) & (c) : Assessment of the projection of India's image abroad is made by the Government on a continuing basis. If there are any weaknesses in our functioning or performance, immediate steps are taken to rectify the situation.

After the Janata Government assumed power, during my visits abroad, particularly to our neighbouring countries, and in my conversations with the leaders of many countries who have visited us, I gained the clear impression that foreign media and public opinion had shown appreciation of the political changes in India and the resurgence of democratic forces within the country. Government's policy of genuine non-alignment and our success in significantly improving bilateral relations with our immediate neighbours have also been noted and welcomed by influential sections in various countries.

The Chanchal Sarkar Committee, which had been set up to review our external publicity set-up has submitted its interim report and its final report is awaited. The interim report is being studied.

SHRI DURGA CHAND : No doubt, there has been great improvement in our relations with foreign countries since Janata Government came into power. Its credit goes to our External Affairs Minister.

During his recent visit the Shah of Iran initiated a move to organise a Asian Common Market on the lines of the European Common Market. Whether our Government have asked our Ambassadors to initiate this move ? Whether our Government is ready to accept that move of Common market and the steps to be taken therefor ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Mr. Speaker, it does not arise out of this question. If a separate question is asked I am ready to answer that. But this much I may state that India is ready to accept the proposal to facilitate the transportation of goods in this part of world. But unless other countries also agree, no final decision can be taken in this regard.

SHRI DURGA CHAND : What are the terms of reference and the broad based recommendations made by the Chanchal Sarkar Committee constituted to go into the external publicity ? It has already submitted its interview report.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : This Committee was asked to review the external publicity of India to suggest effective steps so as to improve the image of India in foreign countries.

Government are considering the recommendation of the Committee. We are waiting the final report and will take a decision on the recommendations and the House will be informed accordingly.

श्री के० गोपाल : माननीय मंत्री मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि विदेश सेवा एक व्यवसायिक सेवा है । परन्तु इस समय यह पूर्णतः नौकरशाही रूप में समस्याओं को हल करती है । उनके राजदूत होने अथवा मिशनों में कार्य करने की कोई विशेष योग्यता नहीं होती वे समय पर कार्यालय आते हैं और चले जाते हैं । किसी प्रकार का जन सम्पर्क वे नहीं करते । विदेश सेवा का कर्मचारी होने के नाते उनका एक मात्र काम होना चाहिए जन सम्पर्क ।

क्या ये लोग विदेशों में भारत की छवि बना सकते हैं? इन लोगों का सामान्य सम्मेलन बलाने के अलावा क्या माननीय मंत्री इनके लिए नियमित रूप से प्रबोधन पाठ्यक्रम चालू करेंगे जिससे उन्हें विदेशों की गतिविधियों से अवगत रखा जा सके ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि इस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती तो वह बहुत पहले चालू किया गया होता ।

श्री के० गोपाल : इसे समय-समय पर आयोजित किया जाना चाहिए । एक बार इसे आयोजित करके इसे बन्द नहीं किया जा सकता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है और मैं इस पर विचार करूंगा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं इस बात से सहमत हूं कि विदेशों में भारत की छवि सुधरी है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । परन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ समय पहले विदेश प्रचार सम्बन्धी मेरे एक प्रश्न के उनके उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं । जबकि इस प्रश्न पर एक समिति समीक्षा कर रही है, इसे इस सम्बन्ध में देश के सीमित संसाधनों को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिए । मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे भारतीय दूतावासों की संख्या, जो एक सौ से ऊपर है, कम करने पर विचार करेंगे क्योंकि कुछ दूतावास तो कोई काम नहीं कर रहे हैं । इनके बजाय क्या वे उस धन का उपयोग अधिक कल्पनाशील और उत्तम प्रचार पर करेंगे जिससे सम्बन्धित देशों में भारत की छवि और अधिक स्पष्ट की जा सके ? यदि वे इस सुझाव से सहमत न हों तो क्या चंचल सरकार समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन--जिसका पाठ हम इस समय नहीं जानना चाहते--की छवि से वे वर्तमान ढांचे में विदेश स्थित दूतावासों के स्तर को बढ़ाने और उस देश के नागरिकों तथा वहां जाने वाले भारतीयों से सम्पर्क बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि किसी को बधाई दी जा सकती है तो वह भारत की जनता है जिन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में मत दिए । हम इसके लिए क्षेय नहीं लेते । जहां तक स्तर बढ़ाने को प्रश्न है मिशनों को प्रचार कार्य में लगी एजेंन्सियों से निकट सम्पर्क बनाए रखने को कहा गया है । जहां आवश्यक है वहां परिवर्तन किए जा रहे हैं । बाहर जाने वाले भारतीयों का उपयोग भी भारत की छवि सुधारने में किया जा रहा है । हमने अपने मिशनों से ऐसे लोगों का ख्याल रखने को कहा है ।

DR. BALDEV PRAKASH : I want to know that what our representatives in Zambia are doing about publicity. These people are not aware of facts about India.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I have also seen a report about this in the papers and we are collecting information about this. The High Commissioner is also being asked. Zambia is a friendly country. If she wanted to have some information, she must have written to us direct, instead of writing to a paper. We are making enquires what our High Commissioner did.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Recently the Foreign Minister visited Pakistan and the Shah of Iran also visited India. In the light of this will the hon. Minister think about the withdrawal of United Nations Observers team from J&K.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : This question is not relevant.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It is gratifying to note that doubts regarding the foreign policy after the coming into power of the India Government and particularly after the assumption of office of foreign affairs by Shri Atal Bihari Vajpayee have since been dispelled. There are lots of difficulties in travel between India and Pakistan and is at a fact that this propaganda is being carried on in Pakistan that India is responsible for such restrictions. Has the hon. Minister discussed the matter with his counterpart in Pakistan or its High Commission and if there has been any such discussion with China too.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : It is not correct to say that a propaganda is being carried on that it is India that is responsible for such restrictions. Whatever settlement is arrived at for travel between the two countries has to be with mutual consent. When in Pakistan I did mention that the rules regarding passport and Visa should be simplified. If Pakistan agrees to allow us to have our consulate in Karachi. We will reciprocate by allowing them to have their consulate in Bombay. This will avoid the necessity of persons concerned to visiting Delhi and Islamabad.

SHRI MANI RAM BAGRI : The hon. Minister deserves congratulations for inviting Dr. Lohias' concept of Union of India Pakistan and Bangladesh. He has referred to facilities being given for passports. One or the other country has of course to give the lead without waiting for any collective settlement. There should be no necessity for any passport for travel to these countres as in the case of Nepal. The hon. Minister has said that facilities will be provided for trade between the two countries. There is great demand for 'Gur' in Pakistan. The delegation should therefore be allowed to secure orders for export of 'Gur'.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The case of Nepal is exceptional. with mutual consent the borders between India and Nepal are open for travel and trade. But if other neighbouring countries want to have such arrangements, we are prepared to consider such a move but such arrangement can only be made with the mutual consent of the two countries. India is prepared to take the lead and it was for this that I went to Pakistan.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संसद सदस्यों का एक सद्भावना शिष्ट मंडल पड़ौसी देशों में भेजने पर विचार कर रही है ताकि भारत की प्रतिष्ठा में सुधार हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संसदीय शिष्ट मण्डल के बारे में निर्णय करना आप ही का काम है।

श्री वसन्त साठे : विदेशों में देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के संबंध में श्री वाजपेयी जो अच्छा कार्य कर रहे है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्हें चीन की यात्रा का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ है। चीन के कब्जे में अभी भी हमारी कुछ भूमि है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संबन्धों को पुनः कायम करते समय हमारे हितों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मै वचन देता हूं कि देश के हित सुरक्षित रहेंगे।

STATEMENT MADE BY CHINESE VICE PREMIER

†*232. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR :
SHRI CHITTA BASU :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether some indications regarding improvement in relations between India and China were given by the vice premier of China during his recent visit to Nepal;

(b) whether Government have received some proposals in this regard officially; and

(c) the reaction of Government of India in regard thereto ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) Government's attention has been drawn to the reported remarks of the Chinese Vice Premier on India-China relations made at a Press Conference held on February 4,

1978 in Kathmandu in the following terms :

"We have taken note of the statements on the side of India. As far as China is concerned we are eager to bring the relations between our two countries closer. But on matters of bilateral relations it will require the efforts of the two sides".

(b) & (c) As a result of continuing contacts through diplomatic channels, several concrete proposals are being followed-up to improve bilateral relations on the basis of the Five Principles. Exchanges between India and China are taking place in diverse fields on the basis of reciprocity and mutual benefit, direct trade and shipping links have been resumed and further steps are being explored to promote mutual exchange of visits between technical and other personnel of the two countries.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : The situation has changed since notice of the question was sent. You met the Chinese delegation yesterday. Has the Chinese delegation made any fresh proposals in this context on the basis of which they have invited you to visit China ? The official announcement has also referred to the aims of Panchsheel and you have also taken Panchsheel as the basis. Having accepted Panchsheel, China attacked India and is still holding on to our territory. Have you had any talk with the delegation with regard to that ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Panchsheel means coexistence despite differences of ideologies in economic and political sphere, there should be no interference in domestic offences of each other and all disputes should be settled by peaceful means. On the basis of this rule we want to settle our border disputes with China. The delegation has also expressed the same hope.

श्री सौगतराय : चीन से सद्भावना यात्रा पर आए शिष्ट मंडल ने क्या वहां के विदेश मंत्री की ओर से हमारे विदेश मंत्री को चीन की यात्रा के लिए निमंत्रण दिया है और क्या मंत्री महोदय ने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ? क्या वह भी वहां सद्भावना यात्रा पर जाएगें ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हो सके ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी । सिद्धान्त रूप से निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है । लेकिन यात्रा उचित समय पर उचित तैयारी के बाद की जाएगी । जो कुछ भी अतीत में हुआ है उसके बाद हमारे और चीन के संबंधों में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ।

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Will the hon. Minister be pleased to state whether during his proposal visit to China, for which he has accepted an invitation, discussion will take place on some concrete proposal or will it be simply a goodwill visit ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : If I visit China, it will be a goodwill visit. It will be kept in view that the visit produces good results.

श्री बी० रीचैया : क्या यह सच है कि चीन सहित अन्य देशों में यह धारणा बनी है कि जनता सरकार के शासन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा नववौधों का दमन किया गया है और यदि हां, तो इस प्रकार की धारणा को निर्मूल करने के लिए मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसी कोई धारणा नहीं है ।

SHRI O. P. TYAGI : China is imparting training to Mizoram and Nagaland rebels....

अध्यक्ष महोदय : आप वातावरण खराब न करें ।

SHRI O. P. TYAGI : I am saying this on the basis of Panchsheela. May I know whether the hon. Minister has written to the Chinese embassy to check the activities of China, which is imparting training to the rebels and provoking them against us, to establish better relations between both the countries ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Wherever this type of thing comes to our notice, the matter is taken up with them.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. ADJOURNMENT MOTION

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : सिक्किम को मिलाने के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । आप सभा को स्थगित करके इस विषय पर चर्चा की अनुमति दें क्योंकि यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह सूचना 10-45 बजे मिली है । मैं इस की जांच कर रहा हूं। मैं आपको कल इस बारे में बताऊंगा । **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है । इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए । **(व्यवधान)** माननीय प्रधानमंत्री को ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था । उनका यह वक्तव्य देश की प्रभुसत्ता के विरुद्ध है । मेरा अनुरोध है कि इस स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं ।

श्री सौगत राय : हमने 10 बजे से पूर्व उचित सूचना सही रूप में दी थी । आप हमें बताएं कि इस बारे में क्या किया गया है । **(व्यवधान)**

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I want your ruling. May I know whether the Short notice question will not be taken up after questions ? This is a Short notice question.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : : मैं मामले की जांच कर रहा हूं । मैं कल अपना निर्णय दूंगा । **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : प्रधान मंत्री देश की प्रभुसत्ता को आघात पहुंचा रहे हैं । हमारी प्रभुसत्ता खतरे में है । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसे स्थगित नहीं किया जा सकता **(व्यवधान)** ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : This Short notice question should be taken up first only after that you can have your say. I want your ruling in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो सूचनाएं मिली हैं । मैं मामले की जांच कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री ए० सी० जार्ज : आप मेरी बात नहीं सून रहे हैं। मेरी बात सुनने के बाद आप अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी निर्णय नहीं लिया है।

श्री ए० सी० जार्ज : भारतीय संसद् में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी है। इस मामले पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I rise on a point of order. I want your ruling about Short notice question.

अध्यक्ष महोदय: कार्यसूची के अनुसार पहले प्रश्न और बाद में अल्प सूचना प्रश्न तथा अन्य विषय लिये जायेंगे। स्थगन प्रस्ताव अल्प सूचना प्रश्न के बाद लिया जाएगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप ने कहा है कि आप स्थगन प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे इसी समय स्पष्टीकरण चाहता हूं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: पहले अल्प सूचना प्रश्न लिया जाएगा।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

SUICIDE COMMITTED BY AN ENGINEER OF A.I.R. CHHATARPUR

S.N. Q. No. 1. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an engineer in Chhatarpur All India Radio Station in Madhya Pradesh committed suicide on 1-3-1978;

(b) if so, full details of the incident; and

(c) whether Police has recovered any letter from the deceased person; and if so, the contents thereof ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) मालूम हुआ है कि आकाशवाणी के छतरपुर केन्द्र के इंजीनियरी सहायक श्री आर० सी० अग्रवाल ने 28-2-78 की रात को आत्म हत्या कर ली।

(ख) और (ग) : सूचना मिलने पर आकाशवाणी : के अपर मुख्य इंजीनियर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के मामले में प्रारंभिक जांच करने के लिये छतरपुर जाने के लिये नियुक्त किया गया था। घटना का पूर्ण विवरण तथा क्या पुलिस ने मृत व्यक्ति के पास से कोई पत्र बरामद किया है और यदि किया है तो उसमें क्या लिखा है इसका पता जांच रिपोर्ट के मिलने पर ही लगेगा।

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : This incident took place 9 days ago but no information has been received till now. I have been made to understand that officials want to hush up this case. A similar incident of suicide took place earlier and the deceased left a suicide note after him but no action was taken them. After the incident, the concerned Station Director was promoted. Similarly, Mohan Singh Sainyar was found dead in a rail compartment. The Station Director was given extension. Complaints have been received against two persons who have been sent to Chhatarpur to investigate the matter. Public has demanded that a probe should be conducted either by a Parliamentary Committee Constituting Members of Parliament or by any Judge. Otherwise the enquiry would be futile. Since no action is taken against the officers in such cases, petty officials are compelled to resort to such steps. If action is not taken now, recurrence of such incidents could not be avoided in future. I want an assurance from the hon. Minister that enquiry would be conducted either by a Committee consisting of Members of Parliament or by any judge otherwise no result would come forward and all evidence will be destroyed ?

SHRI SHYAM SUNDAR LAL : The Question has been put in Hindi and therefore the answer should also be given in Hindi.

SHRI L. K. ADVANI : It is a very serious matter.

श्री आर० मोहनरंगम : यदि कोई सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर भी अंग्रेजी में दिया जाना चाहिए। यदि वे सहन नहीं करते तो हम क्यों सहन करें (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सदन में यह निदेश दिया गया है कि जब मंत्री दोनों भाषाएं जानने वाला हो और यदि प्रश्न अंग्रेजी में पूछा जाता है तो उत्तर अंग्रेजी में ही दिया जाना चाहिए **(व्यवधान)** और जब प्रश्न हिन्दी में पूछा जाए तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए। यह निदेश है **(व्यवधान)**

श्री के० गोपाल : जब मैंने प्रश्न अंग्रेजी में पूछा था तो मंत्री महोदय ने हिन्दी में उत्तर क्यों दिया? स्वास्थ्य मंत्री को अंग्रेजी में उत्तर देना चाहिए था।

SHRI BALBIR SINGH : I rise on a point of order. You have stated that if the question is put in English, answer will be given in English and if the question is put in Hindi, the answer will be given in Hindi. But it is against the Rules. According to Rules, a Minister may reply in any language he desires. He cannot be compelled to reply in Hindi or in English. This has been the tradition. Your ruling is wrong (*interruptions*). This is my point of order. I want an answer from you before hearing other Members.

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री आर० मोहनरंगम : यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए। कुछ दिन पूर्व आपने सदन में बताया था कि जब किसी विशिष्ट भाषा में प्रश्न पूछा जाता है और वह भाषा मंत्री को आती है तो मंत्री हिन्दी में या अंग्रेजी में जवाब दे सकता है। परन्तु अब आप कहते हैं कि मंत्री महोदय केवल हिन्दी में बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा था। आप गलत समझ रहे हैं।

SHRI BALBIR SINGH : You can see the Rules. It has been the precedent. According to Rules and conventions, a Minister can reply in whatever language he desires.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है अब मंत्री महोदय अपनी बात जारी रखें ।

श्री सैयद कासिम अली मिर्जा : अंग्रेजी या हिन्दी में उत्तर देना मंत्री की मर्जी पर निर्भर नहीं करता। अध्यक्षपीठ द्वारा यह निदेश दिया गया था कि मंत्री किसी भी भाषा में उत्तर दे सकता है । मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं कि क्या मंत्री अपनी मर्जी से हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर दे सकता है?

श्री कंवरलाल गुप्त : नियम यह है कि प्रश्न यदि हिन्दी में हो या अंग्रेजी में, मंत्री की मर्जी है कि चाहे वह इसका उत्तर हिन्दी में दे या अंग्रेजी में दे।

श्री के० गोपाल : आपका विनिर्णय यह है कि यदि मंत्री दोनों भाषाएं जानता हो और प्रश्न अंग्रेजी में हो तो मंत्री को अंग्रेजी में उत्तर देना चाहिए और यदि प्रश्न हिन्दी में हो तो उत्तर हिन्दी में देना चाहिए। समस्या तब पैदा होती है जब श्री राजनारायण दोनों भाषाएं जानते हुए भी अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देने से इंकार कर देते हैं? ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है।

आज मंत्री महोदय ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया तो उन्हें हिन्दी में बोलने के लिये विवश क्यों किया गया?

श्री आर० मोहनरंगम : यदि मंत्री न अंग्रेजी जानता है, न हिन्दी तो क्या स्थिति होगी?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां दोनों भाषाओं में साथ-साथ भाषान्तरण की व्यवस्था है। आपने कहा है कि मंत्री हिन्दी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर हिन्दी में और अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दें। इस प्रकार आप मंत्री को उसकी मर्जी से वंचित कर रहे हैं। आपने पहले कहा था कि यदि मंत्री अंग्रेजी या हिन्दी में से कोई सी भाषा नहीं जानता तो वह ऐसी भाषा में बोल सकता है जो उसे अच्छी तरह आती है और जिसके भाषान्तरण की व्यवस्था हो। इसलिये मैं नहीं समझता कि अध्यक्ष मंत्री को विशिष्ट भाषा में बोलने के लिये निदेश दे सकते हैं।

आडवाणी जी दोनों भाषाएं जानते हैं। जब वह अंग्रेजी में बोल रहे थे तो सदस्य उन्हें हिन्दी में बोलने के लिये क्यों कह रहे हैं। आपका विनिर्णय केवल उन्हीं मंत्रियों के लिये है जो अंग्रेजी नहीं जानते। ऐसे मंत्री हिन्दी में बोल सकते हैं और इसके भाषान्तरण की व्यवस्था भी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पूर्व विनिर्णय के अनुसार ही कार्यवाही चलेगी।

SHRI MANI RAM BAGRI : Hindi is a national language. We should not be made slave of the English language. (*Interruptions*)

SHRI L. K. ADVANI : Chhatarpur incident is very serious and the Government have taken it very seriously.

श्री के० गोपाल : अंग्रेजी ही राष्ट्र भाषा है।

श्री राघवलु बोहमरंगम : उन्हें अंग्रेजी में ही उत्तर देना चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भाषा के बारे में मैंने सभा में अनेक बार स्पष्टीकरण दिया है। संवैधानिक रूप से यदि मंत्री महोदय दोनों भाषाओं में बोल सकते हों तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई मंत्री एक ही भाषा जानता है तो वह उसी में प्रश्नों का उत्तर देगा। किसी पर अंग्रेजी या हिन्दी भाषा थोपने का प्रश्न ही नहीं है। हम किसी को कोई भाषा बोलने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवानी : यद्यपि कोई मजबूरी नहीं है फिर भी मैंने अंग्रेजी में आए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में और हिन्दी में आए प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में देने का प्रयत्न किया है। यह प्रश्न हिन्दी में पूछा गया था इसलिये मैंने हिन्दी में उत्तर देना शुरू किया है..... **(व्यवधान)**

SHRI L. K. ADVANI (contd.) It is wrong to say that Government have shown any laxity in this matter. As I have said in reply to the original question as soon as the information came, two high officials were sent to Chhatarpur and they have returned yesterday night and will submit their report today or tomorrow. But even before their written report is received, I have got information on telephone and on the basis of preliminary findings I have suspended the Assistant Engineers, Shri G. C. Gupta. In case any further action is necessary it will be taken. I am taking this matter seriously.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : It has been the practice here that no action is taken against high officials. I had cited certain instances. There are many officers against whom enquiries of misconduct are on but they are getting promotions. The hon. gazetted employees had lodged complaints against the Chief Engineer that they are being pressurised and they are not given leave etc. but now the hon. Minister is conducting enquiries

through those very officers. In Delhi, one employee had leaped down to death. More such incidents can take place if no action is taken in the matter. The hon. Minister should assure that the enquiry will be conducted by a Judge.

SHRI L. K. ADVANI : The hon. Member has cited an incident of 1974. There might be some wrong practices in the past but action, if necessary, will be taken now according to the report.

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : The hon. Minister has stated just now that the officers have returned after enquiry. Why he has not received any information ? All the employees at Chhatarpur Akashvani are against N. C. Sharma and G. C. Gupta because they harass them. There was marriage of Shri Ramesh Aggarwal's brother. His leave had been sanctioned from the 26th February but he was put on duty on the 27th February. Shri Ramesh Aggarwal requested him not to put him on duty but he was taken to task and was harassed. This is the cause of suicide. The hon. Minister should tell the right cause.

SHRI L. K. ADVANI : Those officers have returned yesterday night only and from the preliminary report it appears that he has committed suicide due to harassment. So he has been suspended but without going through the whole report, I cannot take any action.

श्री वयालार रवि : यह आत्महत्या तो उन घटनाओं की परिणति है जो न केवल इस केन्द्र, वरन् समूचे संगठन में ही रही है। कनिष्ठ अधिकारियों में असंतोष है। सारी शक्ति अधिकारियों के हाथों में केन्द्रित है। संविद (कांट्रेक्ट) कलाकारों में कई बहुत अच्छे कलाकार हैं, चित्रकार भी हैं लेकिन उन्हें तंग किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में क्या आप इन अधिकारियों की शिकायतों पर ध्यान देकर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकेंगे ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : मैं इस बात को समझता हूं कि ऐसी घटना से संपूर्ण प्रणाली में गहरे छिपे दोष का पता चलता है और जब तक अधिकारियों तक पहुच न हो और ऐसा तंत्र न हो जिससे शिकायतों को शीघ्रता और तत्परता से निपटाया जा सके तब तक स्थिति सुधरने के स्थान पर बिगडती ही जाएगी। इसलिये शिकायतें दूर करने के मामले में मैं इस बात पर जोर देता हूं कि कनिष्ठ अधिकारी अपनी शिकायतों के बारे में अधिकारियों से मिल सकें।

SHRI YUVRAJ : Whether any letter or not has been found on the person who has committed suicide and whether it contained details about excesses and whether investigations are being conducted on those lines and if so, what are the details about those excesses ?

SHRI L. K. ADVANI : The police has reported that no letter was found. But the immediate officer has been suspended because he had harassed him leading him to commit suicide

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : The suspended officer will not be punished to the extent he has committed the crime of forcing a person to commit suicide. (*Interruption*) It is not a case of murder but will the hon. Minister make efforts to amend this law with a view to taking stringent action against those who harass employees in this way ?

SHRI L. K. ADVANI : There are many causes of this incident and the man directly concerned is guilty but the system is also responsible for it. It will have to be changed. It will not be enough to amend the law.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : May I know from the hon. Minister whether the deceased and other employees had lodged many complaints against that officer ? If so, will he give the details to the House ? Now this man has died because of harassment by this officer. So he is guilty under Section 302. Will he try to get him punished accordingly, Moreover when did he get this information and when did he send the officials to conduct enquiries and what is the time lag between the two ? May I know whether you got this enquiry conducted after the receipt of this question or information had reached you earlier

SHRI L. K. ADVANI : This incident took place at about 12 or 12.30 during the night and the information reached here at 2.30 A.M. I got information at about five or

six O'clock in the morning and the same day officers were sent. There was no delay and the action taken against the officer is based on preliminary enquiries and further action will also be taken if found necessary.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I have not received a reply to my question. There are a number of complaints against that officer, will those complaints be placed before the House ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

वर्ष 1977 के लिए बोनस के भुगतान के लिये अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की मांग

*225. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम**
श्री के० ए० राजन } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें वर्ष 1977 में आरम्भ होने वाले सुखा वर्ष के लिये 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 1977 में प्रारम्भ होने वाले लेखा वर्ष के लिये 8.33 प्रतिशत के न्यूनतम बोनस की सांविधिक व्यवस्था के विस्तार के लिये कदम उठाने का सरकार से अनुरोध करने के अतिरिक्त, ए० आई० टी० यू० सी० ने यह भी प्रार्थना की है कि द्विपक्षीय समझौतों/करारों के अधीन बोनस भुगतानों की 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को हटा दिया जाए। उन्होंने बोनस भुगतान अधिनियम के सीमा-क्षेत्र को विस्तृत करने की भी मांग की है।

मजदूरियों, आमदनियों तथा मूल्यों के सबध में एक समेकित नीति तैयार करने के कार्य के एक भाग के रूप में समस्त प्रश्न की सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी।

सिडनी में हिल्टन होटल के निकट विस्फोट

*226. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिडनी में हिल्टन होटल के निकट जहां अति प्रतिष्ठित व्यक्ति ठहरे हुए थ, 12 फरवरी, 1978 को हुए विस्फोट के बारे में आस्ट्रेलिया की सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन के आयोजन से पूर्व प्रधान मंत्री को कोई धमकी भरा पत्र मिला था; और

(घ) यदि हां, तो प्रधान मंत्री के लिये जो सुरक्षा संबंधी प्रबन्ध किये गये उनका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्मेलन से पहले कोई धमकी भरा पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ) प्रथा यही है कि इस प्रकार के सम्मेलनों के लिये जिनमें राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के भाग लेने की आशा हो, आतिथ्य सरकारें पर्याप्त और कारगर सुरक्षात्मक प्रबंध करती हैं। आतंकवादियों की व्यापक गतिविधियों के वर्तमान संदर्भ में आस्ट्रेलियाई सरकार ने आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों और उनके दल के सदस्यों की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिये सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये थे ।

विस्फोट के बाद संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रबन्धों को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया था। आस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा बर्ती गई सुरक्षा संबंधी सावधानियों पर हमारे संतुष्ट होने के कारण हैं।

भारतीय लोगों द्वारा वियतनाम में छोड़ी गई आस्तियां

*227. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले दक्षिण वियतनाम में रहने वाले अनेक भारतीय वियतनाम के एकीकरण के पश्चात् भारत लौट आये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे उस देश में बहुत बड़ी सम्पतियां छोड़ आये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय लोगों को उनकी आस्तियों के लिये मुआवजा दिलाने के मामले में वियतनाम के साथ बातचीत करने का है ; और

(घ) क्या इन भारतीय लोगों को उनकी प्राप्त राशि दिलाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां, । भारतीय मूल/राष्ट्रिकता के 1529 व्यक्ति और उनके आश्रित भारत में प्रत्यावर्तित किए गए हैं। संभव है कुछ और व्यक्ति अपने आप भारत लौटे हों। इन लोगों की सही संख्या ज्ञात नहीं है।

(ख) इन लोगों ने कितनी परिसम्पत्ति छोड़ी है इस बारे में सरकार को पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ दो व्यक्तियों से ही अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो परिसम्पत्ति वहां छोड़ी है उसका कुल मूल्य संभवतः बहुत ज्यादा नहीं होगा।

(ग) और (घ) इस मामले की अनौपचारिक तौर पर वियतनामी प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे अपने कानूनों और विनियमों

के अन्तर्गत इन दावों से सम्बद्ध प्रत्येक मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । ऐसे सभी दावों का पूर्ण विवरण एकत्र किया जा रहा है और उसके बाद इस संबंध में कार्रवाई की जायेगी ।

ओमान में भारतीयों की स्थिति

*231. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश**
श्री सी० एन० विश्वनाथन } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 फरवरी, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "हारोइंग प्लाइट आफ इंडियन लेबर इन ओमान" (ओमान में भारतीय श्रमिकों की शोचनीय स्थिति) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ओमान में रहने वाले भारतीयों के काम करने की स्थिति का अध्ययन करने के लिये वहां पर अधिकारियों का कोई दल भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन दल के निष्कर्ष क्या हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) जी हां ।

(ख),(ग) और (घ) भारत सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिये एक दो सदस्यीय दल भेजा था । इस दल का मुख्य उद्देश्य ओमन में उस घटना की जांच करना था जिस में बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया था और उन में से लगभग 200 को भारत वापस भेज दिया गया था । इस दल ने ओमन में भारतीय श्रमिकों की कार्य दशाओं के अतिरिक्त यू० ए० ई० तथा साउदी अरब में भी उन की दशाओं की जांच की । सरकार दल के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए स्थिति का पुररीक्षण कर रही है ।

अंतिम निर्णय लेने तक, सरकार ने ओमन में भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर अस्थायी रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया है । इस में ऐसे मामलों को छूट दी गई जिन में भारतीय कंपनियों को परियोजना के निष्पादन के लिए श्रमिकों की आवश्कता हो ।

नियोजक एसोसिएशन के तत्वावधान में पांचवां औद्योगिक संबंध सम्मेलन

*233. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री शरद यादव } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजक एसोसिएशन के तत्वावधान में नई दिल्ली में हाल में हुए पांचवें औद्योगिक संबंध सम्मेलन में सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह न्यूनतम मजदूरी वर्तमान स्तर पर मजदूरी को कायम रखने, बोनस को विलम्बित मजदूरी न मानने की समूची धारणा को बदले ;

(ख) यदि हां, तो उस पर प्रतिक्रिया क्या है तथा उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) नियोजकों और पूंजीपतियों द्वारा आगे और शोषण किए जाने से श्रमिकों और ामगरों को संरक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) नई दिल्ली में 13,14 फरवरी, 978 को हुये पांचवें औद्योगिक संबंध सम्मेलन के लिये मजदूरी दरों, आय, तथा मूल्य-नीति बंधी प्रष्ठाधार प्रलेख में, जो श्री एस० भूतालिंगम की अध्यक्षता में स्थापित अध्ययन दल के ारार्थ विषयों के संदर्भ में तैयार किया गया प्रतीत होता है, यह सुझाव दिया गया है कि ीवन-निर्वाह, लागत सूचकांक को बनाने वाली अधिकांश जिन्सों की कीमतों को स्थिर करने की र्थिक नीतियों के अनुसार, मंहगाई भत्ते को समाप्त किया जा सकता है। यह भी सुझाव या गया है कि यदि मजदूरी में संशोधन आवश्यक ही हो तो मूल्य वृद्धि को कितने प्रतिशत ष्प्रभावी किया जाए, इस बात का निर्णय अवश्य ही सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। र्तमान बोनस योजना के उन्मूलन का सुझाव देते हुए इस प्रलेख में यह भी अपेक्षा की गई है कि हां कहीं भी संभव हो वहां प्रोत्साहन भुगतान योजना प्रारम्भ की जाये।

(ख) सरकार ने इस प्रलेख में उल्लिखित बातों को नोट कर लिया है।

(ग) श्रमिकों के हित रक्षण के संबंध में सरकार सदा सतर्क रहती है।

समाचार पत्रों के मालिकों द्वारा मजूरी बोर्डों से अपने प्रतिनिधियों का वापस बुलाया जाना

***234. श्री पी० के० कोडियन**
श्री समर मुखर्जी } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा रेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के मालिकों ने श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मारियों के लिये गठित मजूरी बोर्डों से अपने प्रतिनिधि वापस बुला लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पत्रकारों और समाचार पत्रों के अन्य कर्मचारियों के लिए मजूरी का पुनरीक्षण रने के प्रति समाचार पत्रों के मालिकों के असहयोगपूर्ण रवैये से उत्पन्न स्थिति से निबटने लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री(श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) दिसम्बर, 977 में दोनों मजदूरी बोर्डों में नियोजको के प्रतिनिधियों ने सरकार को लिखा कि वे जदूरी बोर्डों से अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनके संगठन ऐसा चाहते थे। गतिरोध को समाप्त रने के लिये नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से अलग अलग और संयुक्त रूप विचार विमर्श किया गया है। विचार विमर्श का अगला दौर शीघ्र ही होने की आशा है।

पाकिस्तान को युद्ध न करने की संधि के लिए पेशकश

***235. श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पाकिस्तान की अपनी हाल की यात्रा के दौरान उस देश को युद्ध करने की पेशकश दोहराई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीआर्डर शुल्क

*237. **श्री भगत राम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि आपात स्थिति के दौरान 100 रुपये से कम के मनीआर्डर भेजने के शुल्क में की गई वृद्धि समाज के निर्धनतम वर्गों और श्रमिकों के लिये जो अपने घरों को पैसा भेजते हैं, बहुत अधिक बोझा है ; और

(ख) इस बोझ को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 100 रुपये से कम के मनीआर्डरों पर मनीआर्डर कमीशन की जो दर वर्ष, 1976 में लागू की गई थी वह पहले की दर से मामूली सी ज्यादा थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस

*238. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) देश में कहां-कहां सरकारी डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं ;

(ख) उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि अगर सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिश करने की अनुमति दी जाती है, तो वे उन व्यक्तियों की अपेक्षा, जो सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और औषधालयों में इलाज के लिए जाते हैं, प्राइवेट व्यक्तियों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं; और

(घ) क्या देशभर में सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने का विचार है ?

स्वाथ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख), (ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक

*239. **श्री शिवाजी पटनायक**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी, आश्रय स्थल और कानूनी संरक्षण जैसी सुविधाओं की गारंटी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ठेकेदारों द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को सस्ती मजूरी के लिए अन्य राज्यों में ले जाये जाने की प्रथा पर रोक लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) प्रश्न में अनुमानतः दादन श्रमिकों के बारे में उल्लेख किया गया है जो आम तौर पर उड़ीसा राज्य के बाहर स्थित निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए उड़ीसा से भर्ती किए जाते हैं। कुछ समय पूर्व उड़ीसा के दादन श्रमिकों के प्रश्न की जांच करने तथा इस प्रणाली के दुरुपयोग को समाप्त करने हेतु सुझाव देने के लिए जो कम्पैक्ट कमेटी नियुक्त की गई थी, उसने इस प्रकार के अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए उपयुक्त विधान की सिफारिश की है। इस मामले पर राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : मौजूदा प्रयास प्रशासनिक तथा विधायी उपायों द्वारा इस प्रणाली के दुरुपयोग को समाप्त करना है, न कि इस प्रणाली का उन्मूलन करना, क्योंकि इसके उन्मूलन से इस प्रकार के श्रमिकों के रोजगार और आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

शिलांग और कलकत्ता के बीच माइक्रोवेव लाइन

***240. श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिलांग और कलकत्ता के बीच दिन में 12 घंटे काम न करने वाली माइक्रोवेव लाइन की उच्चस्तरीय जांच कराने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) माइक्रोवेव लाइन को कारगर ढंग से चलाने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी नहीं। कलकत्ता और शिलांग के बीच माइक्रोवेव प्रणाली संतोषजनक ढंग से काम कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जन्म तथा मृत्यु दर

***241. श्री हितेन्द्र देसाई**
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में गत पांच वर्षों में जन्म और मत्यु दर क्या रही है; और

(ख) क्या सरकार ने उसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) महापंजीयक ने नमूना पंजीयन योजना के आधार पर जन्म दरों और मृत्यु दरों का जो अनुमान लगाया है उसका एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। इन अनुमानों में नमूना लेने और रिपोर्ट करने की गलतियां हो सकती हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सख्या एल०टी० 1754/78]**

(ख) अलग-अलग राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए जन्म और मृत्यु दरों के कोई लक्ष्य तय नहीं किए गए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम का जो राष्ट्रीय जनसांख्यिकी उद्देश्य निर्धारित किया गया था उसके अनुसार जन्म दर को घटा कर 1978–79 तक 30 प्रति हजार तक लाना था। किन्तु परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्य की हाल ही की प्रवृत्तियों और जनसांख्यिकी प्रवत्तियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषदों के संयुक्त सम्मेलन ने जनवरी, 1978 में हुई अपनी बैठक में यह महसूस किया कि 1978–79 तक जन्म दर को घटाकर 30 प्रति हजार तक लाने के उद्देश्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अतः इस परिषद् ने जन्म दर को घटाने के बारे में संशोधित उद्देश्य को अपनाने की सिफारिश की तथा 1982–83 तक जन्म दर को घटाकर 30 प्रति हजार तक लाने को कहा है। इस पर सरकार विचार कर रही है।

मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास

*243. **श्री ए० मुरुगेसेन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे कि :

(क) गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास से सम्बद्ध फार्मास्यूटिकल उद्योग के परिचालन के लिये गत पांच वर्षों के दौरान कितना धन लगाया गया है;

(ख) उत्पादन के कार्यक्रम क्या हैं, किन मदों का उत्पादन किया जाना है, उत्पादन की वास्तविक मात्रा और मूल्य क्या हैं और कार्यक्रम में क्या कमी रही और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कारखाने का आधुनिकीकरण करने की ठोस योजना का ब्यौरा क्या है ताकि आम आदमी की जरूरतों को सोद्देश्य पूरा किया जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	स्थायी पूंजीगत निवेश (प्लांट, मशीनरी और भवन)	आवर्ती निवेश (लगाई गई सामग्री और कर्मचारी)
	रु०	रु०
1–4–72 को	5,62,765	
1972–73	26,519	43,83,517
1973–74	46,104	35,52,452
1974–75	30,439	37,59,839
1975–76	669	49,51,956
1976–77	—	49,49,000

(ख) उत्पादन कार्यक्रम को सरकारी अस्पतालों से मिलने वाली मांगों के पूर्वानुमानों के आधार पर एक वर्ष पहले तैयार किया जाता है और जिनमें मशीन की क्षमता, कर्मचारियों की संख्या, कच्चे माल तथा विद्युत की उपलब्धतता को देखते हुए वास्तविक मांगों के आधार पर परिवर्तन किये जाते हैं। यह फैक्टरी सामान्य टाइप के औषधि योगों अर्थात् टैबलेट्स, पाउडर, टिन्चर, लिनीमेंट, सिरप तथा पट्टियों का निर्माण करती है।

उत्पादन की मात्रा :

वर्ष	लिटर	किलोग्राम	टेबलेट	पट्टियां	उत्पादन की लागत
1972–73	3,16,875	51,416	7,72,66,560	33,03,084	44,41,512
1973–74	2,83,324	70,906	4,37,03,200	7,44,030	37,67,869
1974–75	3,18,237	59,718	3,00,62,050	11,53,350	40,88,797
1975–76	2,60,359	72,221	1,98,10,200	19,16,060	54,74,348
1976–77	2,04,844	94,618	4,37,38,100	14,81,840	50,97,738

इन कार्यक्रमों में लगभग 10 प्रतिशत तक की कमी रहती है जिसका मुख्य कारण कानूनी रूप से बिजली की कटौती तथा कच्चे माल का देर से पहुंचना है।

(ग) : फैक्टरी को आधुनिक बनाने की कोई योजना नहीं है।

सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस

*244. **श्री पी० एस० रामलिंगम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे कि :

(क) सरकारी डाक्टर किन शर्तों पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये, क्या कार्यवाही की गई है कि सरकारी डाक्टर इन शर्तों का पालन करें;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में नियुक्त अधिकांश डाक्टर इन अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में निदान और चिकित्सा हेतु उपलब्ध सुविधाओं को अपने निजी लाभ के लिये दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले पकड़े गए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख), (ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं/अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाती है। जहां तक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन काम करने वाले डाक्टरों का संबंध है, संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत-पाकिस्तान संयुक्त उपक्रमों के बारे में पाकिस्तान के साथ बात-चीत

2087. **श्री ओम प्रकाश त्यागी:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी हाल की पाकिस्तान यात्रा के दौरान पश्चिमी एशियायी देशों के लिये माल का उत्पादन करने हेतु संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के बारे में कोई बात-चीत हुई; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत का विवरण क्या है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र

2088. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1977 से अब तक गोआ से पासपोर्ट के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने पासपोर्ट आवेदनकर्ताओं को जारी किये गये ;

(ग) उनमें से कितने आवेदनपत्रों को अस्वीकार किया गया तथा दिसम्बर 1977 के अन्त तक कितने आवेदनपत्र विचाराधीन थे;

(घ) उस पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

VILLAGE POST OFFICES

†2089. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of the villages at present where Post Office facilities are available and the average area covered under one post office;

(b) the time by which each village in Madhya Pradesh is likely to be provided with Post Office facility; and

(c) the number of the new post offices opened during 1976-77 and the number of post offices upgraded and the number out of them in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) :

(a)	(i) Total number of Census villages as per 1971 Census in the country.	.. 575936
	(ii) Village provided with post offices on 31.12.77	.. 108751
	(iii) Additional villages provided with postal counter facilities through Mobile post offices on 31.1.78.	.. 57360
	(iv) Average rural area served by a post office on 31.12.77	.. 28.64 Sq. K.Ms.

(b) There are 70,883 villages in Madhya Pradesh. Out of these, 6,708 have been provided with post offices. In addition, 6,398 villages have been provided with postal counter facilities.

The opening of post offices in villages is governed by conditions of population to be served, distance from the nearest existing post office, permissible limits of loss and minimum guaranteed income. Under these conditions, it is not possible to provide a post office to every village.

(c)

	In the Country	Madhya Pradesh
Post offices opened	2,028	203
Post offices upgraded	212	29

विदेशों में रह रहे भारतीयों के पासपोर्टों का जब्त किया जाना

2090. **श्री० डी० बी० चन्द्रे गौडा**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान तस्करी की गतिविधियों में शामिल होने के कारण विदेशों में रह रहे भारतीयों के पासपोर्ट को सरकार ने जब्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश राज्य मंत्री: (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

SETTING UP OF TELEPHONE EXCHANGE AT MANOHAR THANA, JHALAWAR DISTRICT (RAJASTHAN)

†2091. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a telephone exchange has been sanctioned for Manohar Thana in Jhalawar District of Rajasthan; and

(b) if so, the reasons for delay and when the work is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) No, Sir.

(b) Setting up of a telephone exchange is undertaken when sufficient number of people register their demands to make the project financially viable.

In this connection only seven telephone demands have been registered which are not sufficient. To meet the immediate telephone demands a long distance P.C.O. at this place has been sanctioned, which is likely to be opened during 1978-79. Extensions can be provided to these 7 Subscribers from this PCO.

PLACES IN SURAT DISTRICT, GUJARAT HAVING P.C.Os. AND TELEPHONE EXCHANGES.

†2092. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the names of the places in Nizhar, Ucchal, Songarh, Vyara Valade, Mahuva, Mandak, Manjoole taluks in adivasi area of Surat Districts of Gujarat having P.C.O.s. and telephone exchanges;

(b) the number of new P.C.Os. and telephone exchanges for which a demand has been made and the names of the places thereof; and

(c) the time by which the demand will be met and the details of the steps being taken by Government?

THE MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI): (a) The names of the places in the Taluks mentioned, where P.C.Os. and telephone exchanges are working, are given in Annexure-I.

(b) and (c) There is a demand for opening 15 new P.C.Os. and 2 new telephone exchanges in the 8 Taluks mentioned. The names of the places are shown in Annexure-II. Out of these 2 P.C.Os. have been sanctioned and the remaining proposals are under examination. The policy for opening P.C.Os. has been very much liberalised and the places covered by the policy will be provided with the facilities progressively during the period 1978—83. The two telephone exchanges, if justified, will be installed during the next two years. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1775/78]

उदयपुर क्षेत्र में राक फास्फेट की संभावनायें

2093. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में राक फास्फेट की क्या संभावनायें हैं;

(ख) इस समय कितनी माता में राक फास्फेट का आयात किया जा रहा है; और

(ग) भारत सरकार के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा राक फास्फेट के उपयोग के बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) राजस्थान की उदयपुर जिले की प्राचीनतम चट्टानों में निम्न ग्रेड और मध्य ग्रेड फास्फोराइट के कई प्राप्तिस्थल हैं। विविध विस्तार वाले ये भंडार झामरकोटरा, मटून, करबरिया-का-गुढ़ा, ढकन कोटरा, सिसरामा, नीमचमाता, बडगांव, बेढ़वास और भिन्डेर में हैं।

झामरकोटरा और मटून के बड़े भंडारों में इस समय खुदाई आदि का काम चल रहा है। अन्य प्राप्तिस्थलों में बहुत थोड़े भंडार हैं और वे निम्न से मध्यम ग्रेड के हैं।

(ख) वर्ष 1977–78 के दौरान राक फास्फेट का आयात 10.80 लाख टन होगा और 1978–79 के लिये लगभग 14.20 लाख टन आयात का अनुमान है।

(ग) भारत सरकार के निर्देश पर झामरकोटरा राक फास्फेट भंडारों के लिये विश्व बैंक द्वारा 1973 में प्रारंभिक साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। राजस्थान सरकार ने प्रत्यक्ष उपयोग वाले राक फास्फेट के उत्पादन हेतु इन भंडारों की खुदाई पहले ही शुरू कर दी है। इन भंडारों के प्राप्त निम्न ग्रेड राक फास्फेट की सफाई की उपयुक्त प्रक्रिया के विकास के लिए परिष्करण-परीक्षण करने हेतु देशी और विदेशी दोनों ही एजेंसियों को तैनात किया गया था। कुछ एजेंसियों ने परीक्षण पूरे कर लिये हैं जबकि अन्य एजेंसियों द्वारा परीक्षण का काम जारी है।

लक्षद्वीप में अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

2094. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में विशेषकर काल्पनी में अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त संघ राज्य क्षेत्र में अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के लिये इस बीच कोई उपाय किये हैं; और

(घ) यदि अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं तथा निकट भविष्य में यह सर्वेक्षण कब किया जाएगा?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में अनपढ़ बेरोजगार व्यक्तियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हालांकि अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, नियमित आधार पर या अन्यथा जहां कहीं भी रिक्तियां होती हैं स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार दिया जाता है। प्रथम वरीयता हमेशा स्थानीय अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जाती है।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सांख्यिकी के अन्तर्गत निधि की कमी के कारण कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वेक्षण की योजना बनाई जा रही है।

भविष्य निधि के निवेश के बारे में नियोक्ताओं के लिये निदेश जारी करना

2095. श्री के० प्रधानी : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भविष्य निधि के निदेश के बारे में नियोक्ताओं को कुछ नये निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) इसके अन्तर्गत कितने कर्मचारी आएंगे?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा 29 मई, 1977 को जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1756/78]

(ग) 30 सितम्बर, 1977 को अंश दाताओं की संख्या 31.64 लाख थी

INJECTION CAUSES DEATH

2096. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news items under caption "injection causes death" published in "Hindustan Times" dated the 13th February, 1978; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes.

(b) Full facts are being collected and necessary information will be laid on the Table of the Sabha.

POSSIBILITY OF TUNGSTEN BEING FOUND IN THANA GHAZI, TEHSIL GARHWASI, ALWAR

2097. SHRI RAM KANWAR BERWA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether there is possibility of tungsten being found in Thana Ghazi, Tehsil Garhwasi Gaon in Alwar District of Rajasthan; and

(b) if so, whether, Government have conducted or propose to conduct any survey in this respect and details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) & (b) Occurrence of tungsten in Thana Ghazi Tehsil, Garhwasi Gaon in Alwar District of Rajasthan has not been reported so far. Surveys carried out by Geological Survey of India in the area have also not brought out any visual indication of tungsten mineralization. Chemical analysis of the samples is awaited.

डाक्टरों का पंजीकरण

2098. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक्टरों के लिये एक बार पंजीकरण के स्थान पर नियतकालिक पंजीकरण प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण और उद्देश्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में 1956, में संशोधन करने का विचार है जिससे चिकित्सक प्रति पांच वर्षों में एक बार आवधिक रजिस्ट्रेशन करवा सकें। इससे भारतीय चिकित्सा परिषद् को इस बात की सही जानकारी मिल सकेगी कि देश में कुल कितने चिकित्सक हैं और वे कहाँ-कहां प्रेक्टिस कर रहे हैं ?

अलौह धातुओं की वस्तुओं निर्यात

2099. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या अलौह धातुओं की वस्तुओं के निर्यात के बारे में भारत ने कुछ देशों के साथ रूपांन्तरण सौदा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम लिए अमरीकी सहायता

2100. श्री माधव राव सिन्धिया : क्या **स्वाथ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में सहयोग देने के लिये इस देश को दी जाने वाली अमरीकी विकास सहायता उस देश द्वारा अब पुनः दी जाने लगी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) अभी तक नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर खोलने के लिय जोगीदीह पंचायत (धनबाद) के मुखिया से अभ्यावेदन

2101. **श्री ए० के० राय**: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक डाकघर खोलने के लिये जोगीदीह पंचायत, धनवाद के मुखिया पी० एस० चंदनकेयारी से दिनांक 12 जनवरी, 1978 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इन पिछड़े क्षेत्र और अनुसूचित जाति के निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से के लोगों की अति आवश्यक मांग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) जी हां।

(ख) पटना के पोस्टमास्टर जनरल से कहा गया है कि वे इस प्रस्ताव की जांच करें और विभागीय मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, ग्राम जोगीडीह में डाकघर खोलने के औचित्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट भेजें।

एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया का बंद होना

2102. **श्री रोबिन सेन**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जे० के० नगर, आसनसोल के गत कुछ वर्षों से बन्द किये जाने के कारण लगभग 100 श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की भुखमरी से मौत हुई है; और

(ख) क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इसे पुनः चालू करने के लिये शीघ्र और तत्कालिक कार्यवाही करेगी?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है।

लद्दाख में औषधालय और अस्पातल

2103. **श्रीमती पार्वती देवी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कयाण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लद्दाख में अन्तरंग रोगियों के लिये कितने औषधालय और अस्पताल हैं उनमें कितने कितने बिस्तर हैं और उसमें विशेषज्ञ डाक्टरों की अन्य क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) लद्दाख में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने के लिये क्या कार्यावाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जामनगर तथा बम्बई और अहमदाबाद के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था लागू करना

2104. **श्री विनोद भाई बी० शेठ**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यापारिक संघों और जामनगर में स्थित रक्षा सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जामनगर और बम्बई तथा जामनगर और अहमदाबाद के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) जी हां।

(ख) मौजूदा संभावनाओं के अनुसार आशा है कि जामनगर और अहमदाबाद के बीच एस० टी० डी० सुविधा वर्ष 1979 में चालू कर दी जाएगी। जामनगर बम्बई के बीच एस० टी० डी० सेवा के वर्ष 1983 तक चालू हो जाने की संभावना है।

LICENCES GIVEN BY STATE MEDICAL COUNCILS TO DOCTORS

2105. SHIR DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the licences given to Doctors in the country by the State Medical Councils are considered valid for ever as a result of which people indulge in arbitrary acts;

(b) whether Government propose to consider introduction of a system under which these licences will be issued periodically and the clinics of Doctors inspected from time to time and whether tests fees will also be fixed to check the exploitation of poor people; and

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative this system is likely to come into force ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes. However, it appears that some sort of periodic registration is required of the medical practitioners in the States of Karnataka and Maharashtra.

(b) The Government of India intends to amend the Indian Medical Council Act, 1956 to provide for compulsory registration of medical practitioners throughout the country with the Indian Medical Council and such registration shall be required to be made renewable once in every five years.

(c) The matter is under process. The whole exercise is expected to be completed shortly.

भारत–नेपाल व्यापार तथा पारगमन सन्धि

2106. **श्री मनोरंजन भक्त**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पारगमन सम्बन्धी एक नई सन्धि को अन्तिम रूप देने के लिय हाल में कोई बातचीत हुई है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप इस बीच किन्हीं करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क), (ख) और (ग) 26 फरवरी से 2 मार्च, 1978 तक काठमांडू में भारत और नेपाल की सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों के बीच व्यापार, पारगमन और अन्य आनुषंगिक विषयों से सम्बन्धित चर्चा के फलस्वरूप निम्नलिखित सम्बन्ध में समझौता हो गया है :

(क) व्यापार--सन्धि

(ख) पारगमन--सन्धि और

(ग) अनधिकृत व्यापार के नियंत्रण के बारे में सहयोग सम्बन्धी समझौता।

आशा की जाती है कि निकट भविष्य में मंत्री स्तर पर इन दस्तावेजों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो जायेंगे और उपर्युक्त विषयों से सम्बन्ध ब्यौरेबार दस्तावेजों को सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

TERMINATION OF LABOURERS IN BIRLA COTTON SPINNING AND WEAVING MILLS LTD., DELHI

2107. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether in Birla Cotton Spinning and Weaving Mills Ltd., Subzi Mandi, Delhi the services of labourers are terminated for a period of 15 days immediately after 3 months;

(b) whether this rule of the Mill is in conformity with Company Rules; and

(c) the total number of permanent and temporary labourers in this Mill and the number of such employee out of them who are removed from their services for a period of 15 days immediately after 3 months ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) to (c) According to information made available by the Delhi Administration, which is the appropriate Government in this case under the Industrial Disputes Act, the total number of workers presently employed by the Birla Cotton Spinning and Weaving Mills under various categories is as follows :

(i) Permanent	... 2814
(ii) Substitute	... 2051
(iii) Temporary and Casual	... 1057

The terms and other services conditions of temporary workmen in this unit are governed by the certified Standing Orders, Settlements, etc. No specific complaints have been received by the Delhi Administration regarding alleged wrongful termination of services of workers, referred to in parts (a) and (c). Specific instances, if any, in this regard could be brought by the aggrieved parties to the notice of the Delhi Administration for enquiry and appropriate remedial action.

बंगलादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति

2108. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी गत भारत यात्रा के दौरान बंगलादेश के राष्ट्रपति ने गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आवश्यक सुरक्षा और आर्थिक सुविधायें देने के बारे में भारत सरकार को आश्वासन दिया था जिससे भारत में उनके आव्रजन की प्रवृत्ति को रोका जा सके, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आश्वासन की पूर्ति के लिये की गई कार्यवाही सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान 19 और 20 दिसम्बर, 1977 को जब भारत के दौरे पर आये थे उस समय जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी उनमें बंगला देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति का प्रश्न भी शामिल था।

हमारा ख्याल है कि बंगला देश प्राधिकारी इस समस्या को समझते हैं और बंगला देश से प्रवर्जन की संभावनाओं को रोकने और आत्म-विश्वास बढ़ाने के लिये किये जाने वाले समुचित उपायों की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

भारतीय कम्पनियों के व्यापार को अरब देशों में संरक्षण

2109. **डा० वसन्तकुमार पंडित** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों ने लगभग 9 भारतीय फर्मों को इजराइल के साथ व्यापार करने के कारण काली सूची में रख दिया है ;

(ख) सरकार अरब में इन भारतीय कम्पनियों के व्यापार की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या भारत की नीति संयुक्त अरब गणराज्य और इजराइल से व्यापार करने वाले भारतीय निर्यातकर्ताओं को संरक्षण देने की है, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) हाल ही में प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि दमिश्क में सेंट्रल बायकाट आफिस आफ इजराइल नौ भारतीय फर्मों के मामलों में इजराइल के साथ व्यापार सम्पर्क रखने के लिये जांच पड़ताल कर रही है। अभी इन फर्मों पर अरब देशों में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। लेकिन ऐसी बहुत सी भारतीय फर्में हैं जो दमिश्क में सेंट्रल बायकाट आफिस आफ इजराइल द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दी गई

(ख) जिन फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है उन्हें दमिश्क में सेंट्रल बायकाट आफिस आफ इजराइल द्वारा आमतौर से इजराइल के साथ उस फर्म के व्यापारिक सम्पर्क सम्बन्धी तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिये एक प्रश्नावली भेजी जाती है और इस प्रकार दी गई सूचना के आधार पर उन्हें अरब देशों में ब्लैक लिस्ट करने अथवा उन पर पाबन्दी लगाने के बारे में निर्णय लिया जाता है। जिन मामलों में भारतीय फर्में किसी गलतफहमी अथवा गलत सूचना के आधार पर ब्लैक लिस्ट की जाती हैं उन्हें दमिश्क में सेंट्रल बायकाट आफिस आफ इजराइल के सामने अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने मामलों की वकालत खुद करनी होती है। जहां सम्भव होता है सरकार राजनयिक सूत्रों के माध्यम से सहायता करने की कोशिश करती है।

(ग) जब तक सेंट्रल बायकाट आफिस आफ इजराइल के विनियम लागू हैं तब तक इस बात का फैसला करना स्वयं भारतीय फर्मों का काम है कि क्या वे इजराइल के साथ कारोबार रखकर अरब की मण्डी खोना चाहेंगे। इस सम्बन्ध में कोई विशेष परिरक्षण देना सरकार

के लिये मुश्किल है। अभी तक भारत सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि जिसमें मिस्त्र अरब गणराज्य के साथ व्यापारिक सबन्ध होने की वजह से दमिश्क में सेंट्रल बायकाट आफिस आफ इजराइल ने किसी भारतीय फर्म को ब्लैक लिस्ट किया हो।

COMPENSATION TO FARMERS OF DALLI RAJHARA MINING AREAS

2110. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the farmers whose land was acquired in Dalli-Rajhara mining area have not been paid any compensation; and

(b) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government in regard to the payment of compensation to the farmers and their rehabilitation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) and (b) The land acquisition is done through the District Collector and the amount of compensation assessed by him is deposited with the Land Acquisition Officer of the Government of Madhya Pradesh before hand. As the disbursement of the compensation amount to the concerned persons is made by the State Government, details in this regard are not known. However, the Government of Madhya Pradesh has been requested to expedite payment, if any due and outstanding.

INDIAN DOCTORS SENT ABROAD

†2111. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Indian doctors sent to Iran, Iraq, Saudi Arabia and Algeria upto December 1977;

(b) the number of applications of doctors under Government consideration as on 31st January, 1978; and

(c) the number among them of Government and private doctors ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) The number of Indian doctors selected through the Department of Personnel and Administrative Reforms for bilateral contract assignments in Iran, Iraq, Saudi Arabia and Algeria during the period from 1-1-1977 to 31-12-1977 is as follows :—

Iran	.. 774
Iraq	.. 4
Saudi Arabia	.. Nil
Algeria	.. Nil
Total	.. 778

(b) The total number of doctors of various specialisations registered on the panels of experts maintained in the Department of Personnel and Administrative Reforms as on 31st January 1978 was 9825.

(c) Information is being collected and will be placed on the table of the House.

समझौता अधिकारी के समक्ष श्रमिकों और प्रबन्धक की उपस्थिति का प्रावधान करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

2113. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समझौता अधिकारी के समस्त श्रमिकों और प्रबन्धकों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम में कोई उपबन्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत, जब कभी जन उपयोगी सेवा के कर्मचारियों द्वारा कोई हड़ताल नोटिस भेजा जाता है तो समुचित सरकार के संराधन अधिकारी द्वारा संराधन करना अनिवार्य है। इस समय इस अधिनियम में संराधन के समय उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इस मामले पर प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध कानून के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है।

PUBLICATION OF TELEPHONE DIRECTORIES

†2114. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the dates on which Telephones Directories were published under various Telephone Districts along with the dates upto which these were brought up-to-date; and

(b) the dates by which new Telephone Directories are proposed to be published under various Telephone Districts and the dates upto which the same will be corrected and the languages in which these will be published ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) & (b) Particulars are given in the Annexure.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1757/78]

केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान और विश्वायतन योगाश्रम का कार्यकरण

2115. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासक, केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान और विश्वायतन योगाश्रम ने इन संस्थानों के कार्यकरण के बारे में मासिक अथवा अन्य प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) क्या प्रतिवेदनों में निहित निष्कर्षों के अनुसार संस्थानों के प्रशासनिक कर्मचारियों में और परिवर्तन करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किये जाने वाले परिवर्तनों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

स्वाथ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी रिपोर्टों को सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सभा पटल पर रखना अपेक्षित नहीं।

(ग) और (घ) जी नहीं। वैसे आवश्यकतानुसार प्रशासनिक परिवर्तनों के बारे में विचार किया जा सकता है।

मलेरिया की घटनायें

2116. **श्री रगावलू मोहनरंगम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों की तुलना में गत दो वर्षों में मलेरिया की कितनी घटनायें हुई हैं;

(ख) गत दो वर्षों में मलेरिया के कारण कितनी मौतें हुई;

(ग) मलेरिया उन्मूलन के लिये सफलता प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मलेरिया द्वारा नागरिकों की जीवन शक्ति की क्षति पहुंचाने से राष्ट्र को अनुमानतया कितनी आर्थिक हानि हुई है और इस बीमारी को उत्पन्न करने वाले कारणों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिये अनुमानतया कितने परिव्यय की आवश्यकता होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया देखिय संख्या एल० टी० 1758/78**]

(ग) भारत सरकार ने पहली अप्रैल, 1977 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को चलाने के लिये एक संशोधित कार्य योजना चलाई । यद्यपि उस योजना का अन्तिम उद्देश्य मलेरिया को जड़ से समाप्त करने का रहा है तथापि फिलहाल इस रोग की रोकथाम करने का विचार है।

इस संशोधित योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

1. मलेरिया के कारण होने वाली मौतों को रोकना तथा बीमारी की अवधि कम करना।
2. रोग से प्रभावित इलाकों में मलेरिया रोधी तीव्र उपाय करके औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन को बनाये रखना।
3. अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों को बनाये रखना।
4. संशोधित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दे दी गई हैं।

(घ) मलेरिया द्वारा नागरिकों की जीवनशक्ति को क्षति पहुंचने से राष्ट्र को अनुमानतया कितनी आर्थिक हानि हुई है इस सम्बन्ध में कोई निश्चित अनुमान नही लगाये गये है।

जैसा कि उत्तर के भाग (ग) में उल्लेख किया जा चुका है फिलहाल इस रोग को जड़ से समाप्त कर पाना संभव नहीं है। इस रोग की रोकथाम के लिये एक संशोधित कार्य योजना पहले ही आरम्भ की जा चुकी है। इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1978-79 के दौरान 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

विवरण

वर्ष	मलेरिया के पाजीटिव रोगियों की संख्या		मौतें
1970	694	697	—
1971	1322	398	—
1972	1428	649	—
1973	1930	273	—
1974	3167	658	—
1975	5166	142	—
1976	6467	215	59
1977	4437	250 (अन्तिम)	14 (अब तक की पुष्टि के आधार पर)

विवरण

सम्बन्धित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की वर्तमान यूनिट का जिले की भौगोलिक सीमा के अनुरूप पुनर्गठन किया गया है। पहले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया लेकिन इन यूनिटों का पुनर्गठन हो जाने के कारण उन्हें जिले में इस कार्यक्रम के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।

2. राज्यों को विभिन्न कीटनाशी दवाइयां डी० डी० टी०, बी० एच० सी०, मेलाथिआन की अधिक मात्रा सप्लाई की गई है/की जा रही है। जहां पर रोग वाहकों पर डी० डी० टी०/बी० एच० सी० का कोई असर नहीं होता उन यूनिटों/जिलों को वैकल्पिक कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध की जा रही हैं।

3. उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो या इससे अधिक रोगी हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है।

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया रोधी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई है/की जा रही है। औषधियां आसानी से उपलब्ध करने के लिये एक लाख से भी अधिक औषधि वितरण केन्द्रों/ज्वर उपचार केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में परिजीवियों पर क्लोरीक्विन का कोई असर नहीं हुआ वहां पर कुनीन जैसी वैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाई सप्लाई की गई है।

5. नगरीय मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा रोधी कार्यों को तेज कर दिया गया है। 1977 में इस योजना को वर्तमान 28 शहरों के अलावा 38 और शहरों में लागू कर दिया गया है।

6. क्षेत्रीय स्टाफ के निगरानी कार्य को तेज कर दिया गया है।

7. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में सैद्धान्तिक और व्यावाहारिक अनुसन्धान करने के लिये कदम उठाये गये हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद के तत्वाधान में 14 अनुसन्धान योजनायें अर्थात 8 आपरेशन अनुसन्धान के लिये और 6 मलेरिया के प्रयोगशाला अनुसन्धान के लिये आरम्भ की गई हैं।

8. ब्लड स्मीयरों का तत्काल परीक्षण तथा सक्रिय रोगियों पर तत्काल इलाज करने के लिये प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

9. प्लासमीडियम फाल्सीफोरम के संक्रमण को, जिस के कारण मस्तिष्कीय मलेरिया हो जाने से मौतें हो जाती हैं, फैलने से रोकने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सघन कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

10. रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिये और उसके नियंत्रण के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(i) क्लोरोक्विन की गोलियों के वितरण के लिये पंचायतों और स्कूल अध्यापकों को शामिल किया गया है।

(ii) दूर दराज वाले पिछड़े क्षेत्रों में दवाइयों के डिपुओं को खोल दिया गया है। कुछ राज्यों में यह कार्य जनजाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया गया है।

(iii) "दी थ्रैट" नामक एक फिल्म जो हाल ही में तैयार की गई थी, उसे चौदह क्षेत्रीय भाषाओं में सारे देश में दिखाया जा रहा है।

(iv) इस आशय के पोस्टर "बुखार-मलेरिया हो सकता है क्लोरोक्विन गोलियां लीजिये" पचायतघरों, स्कूलों, प्राइमरी हैल्थ सेंटरों और सब-सेंटरों में प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किये गये हैं।

(v) क्षेत्रीय भाषाओं में "मलेरिया में क्या क्या करना चाहिये" मानक एक पेम्फलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें मलेरिया के लक्षणों, क्लोरोक्विन की मात्रा आदि का उल्लेख है और उसे पंचायतों, स्कूलों के अध्यापकों और अन्य स्वैच्छिक एजेंसियों में वितरित करने के लिये राज्यों को सप्लाई किया गया है।

(vi) पंचायतों के अध्यक्षों और मंत्रियों को मलेरिया के बारे में विषय परिचायक प्रशिक्षण देने का भी विचार है।

(vii) चिकित्सा व्यावसायिकों के क्या-क्या कार्य होने चाहिएं, इसके बारे में भी फोल्डर तैयार करके राज्यों को सप्लाई किये गये हैं ताकि वे उन्हें चिकित्सा व्यावसायिकों

में बांट दें। इसी प्रकार एक और पैम्फलेट "मलेरिया फिर क्यों" भी तैयार किया गया है और उसे उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों में बांटने के लिये राज्यों को सप्लाई कर दिया गया है ताकि उपर्युक्त अधिकारियों को मलेरिया सम्बन्धी मौजूदा समस्याओं और प्रस्तावित कार्यवाही करने के बारे में जानकारी दिलाई जा सके।

(viii) मलेरिया रोधी संदेश शक्ति का प्रचार करने के लिये डाक और तार विभाग द्वारा 1977 में विशेष पोस्टल स्टेशनरी रिलीज की गई है।

ग्रामीण पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में डाक तथा दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था करना

2117. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1978 के अन्त तक ग्रामीण, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में डाक तथा दूरसंचार सेवाओं की व्यवस्था करने में कितनी प्रगति हुई है।

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिये ऐसी सेवाओं का विस्तार करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) यह सूचना निम्नलिखित सारणी में दे दी गई है :—

सारणी (डाक)

वर्ष 1977-78 के दौरान देहाती इलाकों में, जिनमें पिछड़े पहाड़ी और आदिवासी इलाके भी शामिल हैं, कार्यान्वयन की योजनायें	लक्ष्य	1-4-77 से 31-1-78 तक की उपलब्धियां
कघर खोलना	3100	2030
2. चलते-फिरते डाकघरों के जरिये डाक काउंटर सुविधायें देना .	50,000	57,360
3. लेटर बाक्स लगाना	1,00,000	20,966

(दूरसंचार)

पी-सी-ओ और तारघर	**टेलीफोन एक्सचेंज**	
1977-78 की दो वर्ष की अवधि के लिये लम्बी दूरी के 4000 पी०-सी०-ओ० और 4300 तारघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1-4-77 से 15-2-78 तक की अवधि के दौरान 1033 पी०-सी०-ओ० और 1058 तारघर खोले जा चुके हैं।	1977-78 के लक्ष्य	उपलब्धियां
	655	1-4-77 से 31-1-78 तक 231

STEEL PLANT IN PUBLIC SECTOR RUNNING INTO LOSS

2118. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state the names of the steel plants in public sector which are running at loss and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : The following steel plants in the public sector incurred a loss in 1976-77 :—

(a) Durgapur Steel Plant, Durgapur.

(b) Indian Iron and Steel Company Ltd.

The loss of Durgapur Steel Plant was mainly due to restricted production and unremunerative prices being paid for some of its products. As regards IISCO, apart from low production and outmoded technology, the working results were affected adversely due to a heavy burden of high interest and depreciation charges resulting from additional capital expenditure on plant rehabilitation scheme, etc.

श्री लंका में भारत मूलक लोगों की समस्याएं

2119. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्री के हाल ही के श्रीलंका के दौरे के समय सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर श्रीलंका में भारत मूलक लोगों की समस्याओं के बारे में बातचीत की गई थी;

(ख) क्या गृह मंत्री ने इस दौरे के अवसर का उपयोग श्रीलंका में भारत मूलक लोगों के प्रतिनिधि से मिलने के लिये किया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार हमारे दो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में और सुधार करने के लिये संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल श्री लंका भेजने का है?

विदेश राज्य मंत्री : (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां। इस यात्रा के दौरान विभिन्न अनौपचारिक वार्ताओं में यह सवाल उठा।

(ख) जी हां। श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूलक के लोगों के कुछ प्रतिनिधियों से गृह मंत्री ने उनके अनुरोध पर मुलाकात की थी।

(ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

टेलीफोन एक्सचेंज में सही टेलीफोन नंबर की व्यवस्था करने संबंधी शिकायतें

2120. **श्री के० मालन्ना:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि टेलीफोन उपभोक्ताओं की ओर से सबसे अधिक शिकायतें इस आशय की होती है कि उन्हें डायल करने पर अपेक्षित सही नम्बर नहीं मिलता या तो एक्सचेंज का नम्बर डायल करना कठिन होता है अथवा फिर कोई नम्बर डायल करने के तुरन्त बाद लाइन ही कट जाती है ;

(ख) क्या नम्बर डायल करने वाले व्यक्ति को घण्टी बजने की आवाज के साथ साथ 'व्यस्त' होने की आवाज भी सुनाई देती है जिससे काफी अनिश्चितता होती है क्योंकि यह निश्चय करना कठिन होता है कि डायल किया गया नम्बर व्यस्त है अथवा वहां घण्टी बज रही है जहां टेलीफोन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। बहुत कम मामलों में इंडक्शन या दोष आ जाने के कारण, पार्श्व (बैक ग्राउंड) में अन्य प्रकार की टोन भी सुनाई देती है। परन्तु इन दोषों को दूर करने के लिये तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) बड़ी प्रणालियों में केन्द्रीय सेवा प्रेक्षण यूनिट काम करते हैं जो दी जा रही सेवा की क्वालिटी का प्रेक्षण करते हैं। एक्सचेंज के सभी भीतरी उपस्करों और बाहरी संयंत्रों की आवधिक रूप से नेमी जांच की जाती है और दोषों का निवारण कर दिया जाता है।

पासपोर्ट आवेदन पत्रों का सत्यापन

2121. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में रोजगार के इच्छुक विशेष रूप से निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोगों को पासपोर्ट के आवेदन पत्रों के सत्यापन तथा अपने पासपोर्ट लेने में होने वाली दिक्कतों का पता है; और

(ख) यदि हां, तो उनको दूर करने और कुप्रभावों को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) जब कभी ऐसी कठिनाई की परिस्थिति में आवेदक सत्यापन प्रमाण पत्र के बिना आवेदन दे सकता है, पासपोर्ट जारी होने से पहले पासपोर्ट आवेदन पत्रों का सत्यापन अनिवार्य नहीं है। वस्तुतः अधिकांश पासपोर्ट ऐसे आवेदन पत्रों पर दिये जाते हैं जिनके साथ सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं होते।

(ख) उन लोगो की सुविधा के लिये जो सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर सकते कुछ राज्यों में लागू शपथ-पत्र प्रणाली को सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली में आवेदक प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा नोटेरी पब्लिक के समक्ष यह घोषणा कर सकता है अथवा इस बात की पुष्टि कर सकता है कि पासपोर्ट के लिये आवेदन पत्र में जो विवरण उसने दिये हैं, वे सही हैं।

STEEL PLANT IN MADHYA PRADESH

2122. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state whether Government propose to set up a steel plant in Adivasi dominated area and the backward district of Madhya Pradesh during the next Five Year Plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : Government has no proposal under consideration at present to set up an integrated Steel Plant at green field site in Madhya Pradesh during the next Five Year Plan period i.e. 1978-83.

NATIONAL FILARIA CONTROL PROGRAMME

2123. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the parts of the country which are generally prone to filarial disease and whether Government have chalked out a national filaria control programme with a view to control this disease; and

(b) if so, the State-wise number of filaria clinics in the country at present and the number of new filaria clinics proposed to be opened in each State and the amount sanctioned therefor ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) States and Union Territories which are prone to filaria disease are Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, U.P., West Bengal, Andaman & Nicobar, Pondicherry and Lakshdweep. A National Filaria Control Programme has been in operation in the country since 1956.

(b) A statement containing the required information is enclosed.

STATEMENT

Name of the State	No. of filaria clinics existing as on 28-2-1978	No. proposed to be established during 1978-79	Estimated expenditure
Andhra Pradesh	3	—	—
Bihar	3	—	—
Gujarat	4	—	—
Tamil Nadu	13	—	—
West Bengal	1	—	—
Lakshdweep	1	—	—
Pondicherry	—	2	*Rs. 4·25 lakh
Andaman & Nicobar	—	1	*Rs. 2.10 lakh

*Besides the normal expenditure @ Rs. 5000 per filaria clinic, this amount also includes cost of supplying common salt medicated with diethylcarbamazine.

VERIFICATION OF PASSPORT APPLICATIONS

†2124. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whther the applications for passports are verified by the C.I.D. police after the same have been certified by the Members of Lok Sabha;

(b) whether the same procedure is followed after the applications have been certified by a Deputy Secretary; and

(c) whether the applications have to go through the same procedure of verification even after the announcement made to the contrary ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) and (b). All applications for passports, whether verified by M.Ps. or by entitled executive or judicial officers, are verified from the security angle before the passport is issued, to ensure that the applicant does not figure adversely in the security records of Government. This procedure is different from police verification of idntity and antecedents which is done after the issue of the passport in these cases.

(c) No announcement as referred to has been made.

जनसंख्या वृद्धि

2125. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जनसंख्या में भारी वृद्धि होती जा रही है जिससे विकास के लिये किये गये सभी उपायों के निरर्थक हो जाने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के हल के लिये क्या कदम उठाने की योजना है, क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं तथा उनसे क्या उपलब्धियां अपेक्षित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम की हाल ही में प्रवृत्तियों और इसकी कार्य निष्पति में हुई कमियों के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषदों के जनवरी, 1978 में बुलाये गये संयुक्त सम्मेलन में विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई थी। इस सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि अब जन्म-दर का लक्ष्य 1982-83 तक 30 प्रति हजार निर्धारित किया जाना चाहिये और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई, वे इस प्रकार हैं:—

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक ऐसे राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिये कि उसमें जीवन के सभी पहलू और समाज के सभी वर्ग समाविष्ट हो जायें।

(2) सरकार को चाहिये कि वह इस कार्यक्रम में सभी स्थानीय निकायों, मार्केट कमेटियों, स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों तथा सभी स्तरों के लोकप्रिय नेताओं का सहयोग प्राप्त करें।

(3) संशोधित डेमोग्राफिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये स्वैच्छिक नसबन्दी तथा अन्य तरीकों के बारे में आपरेशनल लक्ष्यों पर फिर से बल दिया जाये।

(4) जच्चा बच्चा स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा जनसंख्या पर प्रत्यक्ष प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिये लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाये।

(5) उन सभी एजेंसियों का उपयोग किया जाये जो जनमत को प्रेरित करने की क्षमता रखती हों।

(6) स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर स्वास्थ्य शिक्षा को प्रयासपूर्वक लागू किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये और उन्हें समय पर पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

(7) छोटे परिवार के सिद्धान्त का प्रचार करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत जन स्वास्थ्य रक्षकों तथा दाइयों को तैयार किया जाना चाहिये।

(8) नगरीय क्षेत्रों में लोक परिवार कल्याण के तरीकों को अधिकाधिक अपनायें, इसके लिये उन क्षेत्रों में, विशेषकर गन्दी बस्तियों में, जहां ये केन्द्र नहीं है, अधिक संख्या में नगरीय केन्द्र खोलने की जरूरत है।

केन्द्रीय परिषदों की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षणिक और प्रेरणात्मक कार्य को सुदृढ़ तथा तेज करने के लिये सरकार ने कदम उठाये

हैं और गर्भवती महिलाओं तथा छोटी आयु के बच्चों को रोगक्षमीकरण की सेवायें प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । अपोषणज अरक्तता रोकने तथा विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन की रोकथाम करने के बारे में योजनाओं को अधिक कारगार ढंग से कार्यरूप दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष की तुलना में कार्य-निष्पादन में सुधार भी हुआ है । दाइयों को प्रशिक्षण देने की व्यापक योजना चलाकर और सहायक नर्स मिडफाइफों की संख्या में वृद्धि करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति की उत्तम सेवायें प्रदान की जा रही हैं। उप जिला स्तर की संस्थाओं में भी प्रसवोतर कार्यक्रम चलाकर और चुनी हुई तालुक स्तर की संस्थाओं तथा प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों में साज-सामान, आपरेशन थियेटर और अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करके लोगों को उनके घरों के पास ही सुरक्षित और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जायेगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन आन्दोलन का रूप देने के लिये सभी वर्गों के लोगों और स्थानीय विचार नेताओं के साथ साथ स्वैच्छिक संगठनों और संगठित क्षेत्र की श्रमिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

संशोधित डेमोग्राफिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये स्वैच्छिक नसबन्दी तथा गर्भ-रोधन के अन्य तरीकों के बारे में अगले पांच वर्षों में चलाया जाने वाला एक आपरेशनल कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

DR. LOHIA'S DEATH ENQUIRY COMMITTEE

2126. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI
SHRI HUKMDEONARAIN YADAV } : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the action taken by Government on the enquiry report on the causes of death of Dr. Lohia;

(b) whether it is proposed to enquire into the matter again; and

(c) if so, by what time ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The matter is receiving Government's attention.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधा में सुधार

2127. **श्री कचरु लाल हेमराज जैन : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में लांजी तिरोडी टेलीफोन लाइन का सम्बन्ध महाराष्ट्र में गोंदिया और तुमसर से जुड़ा हुआ है;

(ख) क्या इन टेलीफोन लाइनों का सम्बन्ध बालाघाट से जोड़न का कोई प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है ताकि जिले में समुचित संचार सुविधायें सुनिश्चित हो सकें;

(ग) यदि हां, तो यह काम कब किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं तो बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश में संचार सुविधा में सुधार न करने के क्या कारण हैं?

संचार राज्य मंत्री (श्री हरिहर प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) इन स्थानों को वालाघाट से जोड़ने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इन स्थानों के बीच यातायात बहुत कम है जिससे इन स्थानों को जोड़ने का औचित्य सिद्ध नहीं होता है। सांजी से कालें गोंदिया के रास्ते लगाई जाती हैं और यह सेवा सन्तोषजनक है। तिरोडी की कालें तुमसर और गोंदिया के रास्ते लगाई जाती हैं। तुमसर और गोंदिया के बीच एक अतिरिक्त सर्किट देने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र के लिये सरकारी प्रतिनिधि मंडलों में संसद सदस्यों की नियुक्ति

2128. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष मार्च के बाद से नई जनता सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की विशेषिकृत एजेंसियों सहित सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में एक अथवा इससे अधिक सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों, आयोगों आदि में कोई संसद सदस्य (दोनों सदनों के) नियुक्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं और प्रत्येक ऐसे मामले में इन संसद सदस्यों के नाम और सौंपे गये कार्य का स्तर तथा सदस्यता की अवधि क्या है; और

(ग) इन सेवाओं के लिये इन व्यक्तियों अर्थात् संसद सदस्यों के चयन के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये मानदण्ड क्या हैं?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें अधिवेशन (20 सितम्बर से 21 दिसम्बर, 1977 तक) में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों में 5 संसद सदस्य भी थे।

(ख) इनके नाम हैं:—

1. श्री एच० वी० कामथ (लोक सभा)
2. श्री रामधन (लोक सभा)
3. श्री ए० सी० जार्ज (लोक सभा)
4. श्री के० अली मिर्जा (लोक सभा)
5. श्रीमती एस० कुलकर्णी (राज्य सभा)

(ग) चयन करते समय दूसरी बातों के अलावा उनकी पृष्ठभूमि, विदेशी मामलों में अभिरुचि और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस देश के दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

पारपत्र आवेदन पत्रों की संख्या और संसद सदस्यों द्वारा सत्यापन के बारे में अभ्यावेदन

2129. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत 1 मास में पारपत्र के लिये कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने पारपत्र जारी किये गये;

(ग) क्या यह सच है कि पारपत्र प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है;

(घ) यदि हां, तो इसमें गति लाने के लिये सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार को संसद सदस्यों से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें कहा गया है कि किन्हीं कठिनाइयों के कारण वे पारपत्र आवेदनपत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) 1 जून, 1977 से 28 फरवरी 1978 के बीच भारत के 9 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिये 10,32,446 आवेदन पत्र प्राप्त हुए । इसी अवधि में 7,51,588 पासपोर्ट दिये गये।

(ग) जिन आवेदन पत्रों के साथ संसद सदस्यों, सरकार के उप सचिव अथवा उससे ऊपर के दर्जे के अधिकारियों और वृतिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित सत्यापन प्रमाण पत्र होते हैं उन पर पासपोर्ट जारी करने में पासपोर्ट के लिये आवेदन प्राप्त होने के बाद औसतन दो महीने का समय लगता है। जिन आवेदन पत्रों के साथ सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते उनमें औसतन चार महीने का समय लगता है।

(घ) पासपोर्ट कार्यालयों में बकाया काम को निपटाने के लिये हाल ही में अवर श्रेणी लिपिकों के 375 पद बनाये गये हैं। आजकल बहुत बड़ी संख्या में जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन्हें निपटाने के लिये सभी स्तरों पर अमला बढ़ाने के बारे में सरकार विचार कर रही है। पासपोर्ट जारी करने के तरीके को सरल बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

(ङ) जी हां।

(च) पासपोर्ट के सम्बन्ध में नई उदार नीति की 1978 में समीक्षा की जायेगी ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन पर नियोजकों द्वारा आपत्ति

2130. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ नियोजकों ने बन्द सम्बन्धी औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किये जाने के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के नाम क्या है और उनकी आपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं:—

(1) मैसर्स एक्सेल वीयर, बम्बई।

(2) मैसर्स अपार प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।

(3) एकमें मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई।

इन सभी नियोजकों ने औद्योगिक विवाद अधिनयम, 1947 के अध्याय ख की सांविधानिक वैधता को चुनौती दी है, जिसे औद्योगिक विवाद (संशोधन), अधिनियम 1976 द्वारा उक्त अधिनियम में समाविष्ट किया गया था।

(ग) भारत सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में याचिकाओं का विरोध कर रही है।

श्रम आयोग की सिफारिशें

2131. श्री प्रसन्न भाई मेहता: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार ने श्रम आयोग की सभी शिकायतें कार्यान्वित कर दी हैं और यदि नहीं तो कितनी अभी कार्यान्वित की जानी हैं;

(ख) क्या वर्तमान सरकार ने सिफारिशों पर फिर से विचार करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो किन किन सिफारिशों पर और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की थी कि सभी उद्योगों में पूर्ण रूपेण सामूहिक समझौता एजेन्ट नहीं हो सकता और राजनैतिक दृष्टिकोण से मुक्त एक स्वतन्त्र फोरम की आवश्यकता पर बल दिया गया था ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उसे स्वीकार किया जा रहा है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :(क) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई 300 सिफारिशों में से 254 को पहले ही लागू किया जा चुका है। 42 सिफारिशें उन मामलों से सम्बन्धित है जो व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानून में समाविष्ट हैं, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है और बाकी की चार सिफारिशों को सिद्धान्त रूप से पहले ही स्वीकार किया जा चुका है।

(ख) आयोग की 42 सिफारिशों में शामिल विषयों पर 30 सदस्यीय त्रिपक्षीय समिति व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानूनों के सम्बन्ध में नये सिरे से पहले ही विचार कर चुकी है।

(ग) जी नहीं। इसके विपरीत किसी प्रतिनिधि यूनियन को किसी केन्द्रीय कानून के अधीन एक मात्र सौदाकार एजेन्ट के रूप में सांविधिक मान्यता देने की सिफारिश करते समय आयोग ने यह अनुमान लगाया प्रतीत होता है कि इस प्रकार की यूनियन प्रत्येक उद्योग में होगी । आयोग ने यह भी सिफारिश की कि औद्योगिक सम्बन्ध आयोग जैसे स्वतन्त्र प्राधिकरण को इस प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये कि क्या किसी यूनियन के प्रतिनिधि स्वरूप का निर्धारण उसकी सदस्य संख्या की जांच द्वारा किया जाना चाहिये या गुप्त मतदान द्वारा।

(घ) यूनियनों को मान्यता देने से सम्बन्धित ऐसे प्रस्ताव तैयार करते समय आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया हैं, जिन्हें व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानून में समाविष्ट किये जाने की सम्भावना है।

EXPENDITURE ON U.S. DELEGATION DURING THE VISIT OF PRESIDENT CARTER

†2132. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of correspondents, diplomats experts, in the U.S. delegation which came to India during the U.S. President, Mr. Jimmi Carter's recent visit to India;

(b) whether the expenditure incurred by Government of India on the occasion of this visit was much higher than the prescribed limit;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the break-up of the above expenditure in term of rupees and foreign exchange

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) The number of correspondents, including 40 White House officials concerned with press arrangements, was 252. The official party, who were guests of the Government of India numbered 63. Other diplomats and experts numebered 71.

(b) Expenditure on this visit in respect of the guests of the Government was normal for a visit of a Head of State. Special arrangements were separately made to provide effective facilities for the large number of correspondents as also for crowd control and security.

(c) A Press Centre was specially set up which was utilised by the correspondents accompanying the President's party and by the Indian and the other foreign journalists covering the visit. Stands for photographers, barricading of routes and use of badges/Lables for identification were also necessary.

(d) An estimate of Rs. 3,22,690/- was approved for this visit apart from the expenditure of a like amount to be met on the basis of actuals for which bills are still awaited. No part of the expenditure has been incurred in foreign exchange.

पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

2133. श्री रनजीत सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चिकित्सा सुविधाओं के मामले में पिछड़े राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त पिछड़ेपन को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या भारत सरकार यह घोषित करने की स्थिति में है कि उसने देश में कम से कम प्रत्येक जिला मुख्यालयों में देशवासियों के लिये समस्त चिकित्सा औ क्लिनिक सुविधाओं की व्यवस्था की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) देश भर में अर्थात् सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों, जिनमें पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रति 80,000 से 1,00,000 तक की आबादी के लिये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रति 10,000 की आबादी के लिये एक उप-केन्द्र खुले हुए हैं। देश के विभिन्न रायों के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में लगभग 892 ऐसे ब्लाक हैं जिनमें न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये विशिष्ट रूप से कदम उठाने की जरूरत है। इन आदिवासी ब्लाकों में 812 प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र और 2559

उप केन्द्र खुले हुए हैं। इस प्रकार 86.2 प्रतिशत से अधिक आदिवासी ब्लाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उनके उप केन्द्र खोले जा चुके हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश के असुविधाजनक और कठिन क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवायें सुलभ कराने की एक योजना भी मंजूर की थी। इस योजना में डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे क्षेत्रों में काम करने के लिये आकर्षित करने के लिये कुछ प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई थी। वस्तुतः 13 राज्यों में 203 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सा अधिकारियों को विशेष वेतन देने के लिये अनुमोदित किया गया था और आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इन विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव पर बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था के लिये चुना गया था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को बन्द कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त कुछ एसे राज्य हैं जिनमें ऐसे क्षेत्रों के लिए जो कठिन है और जहां आबादी भी कम है, गश्ती स्वास्थ्य यूनिटें/डिस्पेंसरियां काम कर रही हैं। ये राज्य हैं गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य पक्ष के अन्तर्गत ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करने पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। इसके बाद अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात करने के मामले में पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, अपर्याप्त संचार सुविधाओं वाले क्षेत्रों और मातृ और शिशु की अधिक मृत्यु दर वाले पहाड़ी इलाकों को प्राथमिकता देने जैसे कुछेक उपाय किये जाने लगे हैं। इसके साथ साथ आदिवासी पहाड़ी इलकों की लड़कियों को, जो सहायक नर्स मिडवाइफ/महिला स्वास्थ्य परिचारिका का प्रशिक्षण पाना चाहती हैं, अन्य लड़कियों के साथ प्रतियोगिता में बैठे बगैर इन प्रशिक्षणों से सम्बन्धित स्कूलों में उन्हें सीधे दाखिले की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकार की हाल ही की योजना में अर्थात् ग्रामीण योजना में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जन स्वास्थ्य रक्षकों के चयन के लिये जो मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं उनमें आदिवासी और कठिन क्षेत्रों के सम्बन्ध में ढील दी जा सकती है।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथासमय रख दी जायेगी।

MINERALS EXTRACTED IN BIHAR AND ROYALTY RECEIVED BY CENTRAL GOVERNMENT

2134. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the value of the minerals extracted every year in Bihar and the amount of royalty received by the Centre thereon every year, on an average; and

(b) the total amount of royalty received by the Centre on this account during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI MARIA MUNDA) : (a) and (b) The value of minerals extracted in Bihar during 1975, 1976 and 1977 was 353.00, 382.60 and 374.40 crores respectively. As royalty on minerals is payable to the concerned State Governments, the questiin of payment of any royalty to the Centre does not arise.

APPLICATIONS FOR TELEX CONNECTIONS IN PORBANDER

2135. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of applications pending at present for Telex connections in Porbander Town of Saurashtra region of Gujarat State and since when;

(b) when these applications will be granted telex lines; and

(c) whether it is a fact that Porbander is a big industrial town of Saurashtra and if so. the reasons for delay in providing telex facility there ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) At present there are 8 applications pending for Telex connections in Porbander; of these one was received in 1971, there in 1975, one in 1976 and three in 1977.

(b) It is proposed to provide the above telex connection in about two years.

(c) Adequate number of demands were not forthcoming till October, 1977 for justifying the installation of a new telex exchange.

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा जालसाजीपूर्ण सौदे

2136. श्री एस० जी० मुरुगय्यन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1978 के "बिज़नैस स्टैण्डर्ड" में "इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी इन शैडी डील्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार कम्पनी के कलकत्ता स्थित स्टाकयार्ड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कम्पनी के कुछ अनियमित सौदों के बारे में गम्भीर आपत्तियां की गई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) स्टाकयार्ड ने निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्णतया अवहेलना करके इस्पात के संदिग्ध सौदे किए हैं;

(2) जबकि व्यापारियों को इस्पात अनुचित तरीकों से मिल रहा है, वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात कारखानों से सीधा आवंटन नहीं हो रहा है।

(3) वर्ष 1976 और 1977 के बीच स्टाकयार्ड में हिन्दुस्तान स्टील इंजीनियर्स (इंडिया) लि० जैसी कम्पनियों की इस्पात की कई मांगों की अनदेखी अथवा उपेक्षा की और बहुत से निजी व्यापारियों को इस्पात दिया गया।

(4) व्यापारियों के साथ किए गए बहुत से सौदों में लाभ अथवा हानि दिखाते समय बाजार भाव का कालम नहीं भरा गया लेकिन लाभ और हानि का समन्जन कर दिया गया है।

(5) ऐसे भी मामले मिले हैं जहां उप-मुख्य प्रबन्धक (बिक्री) के अनुदेशों पर शाखा लेखाकार द्वारा दी गई पर्चियों पर आवंटन कर दिए गए हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसे आदेश कैसे दिए गए थे।

(6) कम्पनी के सतर्कता विभाग द्वारा इन सौदों की पूरी तरह जांच की जाये।

कम्पनी के आन्तरिक लेखा परीक्षक ने 14-10-1977 के अपने नोट में कम्पनी के कलकत्ता स्थित स्टाकयार्ड के कार्यकरण के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं । ये टिप्पणियां प्रारम्भिक किस्म की हैं क्योंकि यह नोट बिक्री विभाग से परामर्श कर के तैयार नहीं किया गया है । फिर भी इस नोट की विस्तार से जांच की जा रही है और कम्पनी के निदेशक मण्डल की अगली बैठक में इस पर विचार किया जायेगा । बोर्ड द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कम्पनी द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी।

कम विकसित देशों के लिए स्वदेशी औषध पद्धति

2137. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक द्वारा कम विकसित देशों में स्वदेशी औषध पद्धतियों के बारे में व्यक्त किए गए विचारों का जो 13 फरवरी, 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए थे, ब्यौरा क्या है, और

(ख) सरकार का आने वाले वर्षों में जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भारतीय औषध पद्धतियों को किस प्रकार लोकप्रिय बनाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 13 फरवरी, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के जो विचार प्रकाशित हुए हैं वे विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवम्बर, 1977 की पत्रिका में उनके द्वारा छपवाये गए लेख की संलग्न प्रति में दिए गए हैं । (अनुबन्ध-I) ।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के बारे में एक नोट संलग्न है। (अनुबन्ध-II) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 7759/78]

पुरानी औषधियों की बिक्री

2138. **श्री सौगत राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दूरवर्ती गावों में यहां तक कि कुछ नगरों में कुछ कैमिस्ट कुछ लोगों की अज्ञानता का लाभ उठा रहे हैं और पुरानी औषधियों की बिक्री कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को भारी हानि पहुंच रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय कुछ कुछ कैमिस्टों द्वारा पुरानी औषधियों की बिक्री रोकने के लिए प्रत्येक गांव/नगर/कस्बे में समितियां नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है जो इस बारे में नियमित जांच करेंगी; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत औषधियों की बिक्री राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा नियंत्रित की जाती है। औषधियों की बिक्री के लिए लाइसेंस राज्य औषध नियंत्रक देते हैं और औषध निरीक्षकों के माध्यम से वे ही विक्रेताओं के स्थानों का निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लायसेंसधारी की शर्तों का, जिसके अन्य बातों के साथ-साथ तिथि समाप्त हुई औषधियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध की भी व्यवस्था है, पालन करें। सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) : औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में औषध विक्रेताओं द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें नियम 65 में दी गयी हैं। उन औषधियों को जिनमें समाप्ति की तारीख डिब्बे के लेबल पर छपी होती है, विक्रेता तिथि समाप्ति के बाद न तो बेच सकता है न उनको अपने यहां रख सकता है। अगर कोई विक्रेता समाप्ति तारीख के बाद औषधियों को बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 (ग) के अन्तर्गत अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए धारा 27 (ख) में जो दण्ड निर्धारित किया गया है वह है तीन साल तक की कैद अथवा जुर्माना अथवा कैद और जुर्माना दोनों। विक्रेता के खिलाफ मुकदमा जो भी चलाया जाय उसके अलावा लाइसेंसिंग अथारिटी द्वारा उसका बिक्री लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या निलम्बित किया जा सकता है।

चूंकि औषधियों की बिक्री पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण किया जाता है अतः भारत सरकार द्वारा प्रत्येक गांव/शहर/नगर में समितियां नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का उत्पादन और मांग

2139. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की कितनी मांग है और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है;

(ख) सरकारी क्षेत्र में कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग होता है और क्षगता के कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा : (क) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1978-83 के पांच वर्षों के लिए गठित किए गए "लोहा तथा इस्पात"" सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 1977-78 में देश में इस्पात की मांग 69.35 लाख टन होगी। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 48.96 लाख टन और गैर-सरकारी क्षेत्र में टिस्को के इस्पात कारखाने में इस्पात का उत्पादन 14.46 लाख टन हुआ है।

(ख) ऊपर दिए गए 48.96 लाख टन उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में (बोकारो की क्षमता और उत्पादन को छोड़कर, जहां बहुत सी इकाइयां अभी निर्माणावधि/जस्टेशन अवधि में हैं) क्षमता का उपयोग 84.8 प्रतिशत हुआ है। क्षमता का कम उपयोग होने का मुख्य कारण यह था कि बिजली की सप्लाई पर प्राय: प्रतिबन्धों/रुकावटों से इस्पात कारखानों विशेषत: बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर के कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। कोकर कोयले की क्वालिटी अच्छी न होने तथा इसकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न होने, अक्तूबर, 1977 में दुगदा और भौजूडीह कोयला शोधनशालाओं में हड़ताल होने तथा कुछ कारखानों विशेषत: बर्नपुर में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण भी क्षमता का उपयोग कम रहा।

(ग) क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(1) गर्म पिण्डों को सिक्तन गर्तों में चार्ज करने के लिए ट्रैक-टाइम में कमी करना;

(2) बैलन मिल म अधिक उत्पादन करना ;

(3) निवारक रख-रखाव तथा पुनर्निर्माण/रि-लाइनिंग/पूंजीगत मरम्मत के मुख्य-मुख्य कार्यों के लिए आयोजन और अधिक अच्छे ढंग से करना;

(4) कच्चे माल को बेहतर ढंग से तैयार करना;

(5) अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(6) नये उत्पादों का विकास करना तथा अधिक मूल्य की मदों के उत्पादन में वृद्धि करना;

(7) कोल इंडिया लि० ने कोयला खनन और कोयला साफ करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कार्यक्रम बनाया है;

(8) स्टील मेल्टिंग शाप में भट्टी/कन्वर्टर की उपलब्धि में सुधार करना;

(9) ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम और कोयले की सप्लाई करने वाले अभिकरणों से सतत् संपर्क रखा जा रहा है ताकि बिजली और कोकर कोयले की सप्लाई में सुधार किया जा सके।

(10) राख की कम मात्रा वाले कोकर कोयले का आयात करने का मामला अभी विचाराधीन है।

RECOVERY OF LOAN FROM COOPERATIVE STORES BY COAL MINES LABOUR WELFARE FUND

2140. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the total amount recovered during the last six months out of the loan advanced to cooperative stores by the Coal Mines Labour Welfare Fund;

(b) in case no amount has been recovered, the steps being taken to recover it; and

(c) whether the total amount of loan and interest thereon comes to about rupees one crore and there is no hope of its being recovered ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA) : (a) According to available information, an amount of Rs. 70,000/- has been recovered.

(b) A Committee has been set up to examine the working of cooperative stores and to suggest measures to—

(i) improve their working

(ii) improve their financial viability and to

(iii) ensure better realisation of dues.

(c) A sum of Rs. 199.76 lakhs has been recovered out of Rs. 241.32 lakhs leaving a balance of Rs. 41.56 lakhs as principal. Interest as on 30th June 1977 was Rs. 42.41 lakhs. Efforts are continuing to recover the dues.

एक उद्योग में एक संघ को मान्यता देने के लिए नियमों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

2141. श्री के० राममूर्ति
श्री ओम प्रकाश त्यागी } : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उद्योग में एक संघ बनाने को मान्यता देने के लिए नियम बनाने और इस बारे में कार्य प्रणाली तैयार करने के बारे में सिफारिशें देने के लिए नियुक्त त्रिपक्षीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में इस बारे में मुख्य सिफारिशें क्या की गई हैं और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

संसदीय कार्य श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानून और भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन से सम्बन्धित त्रिपक्षीय समिति, जो इस तथा व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानन के अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए 18 जुलाई, 1977 को स्थापित की गई थी, ने अपनी रिपोर्ट 21 सितम्बर, 1977 को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की।

(ख) रिपोर्ट के पैरा 6.6 में सामूहिक सौदाकारी एजेन्ट के चयन के पहलू पर समिति के सदस्यों के विचार उल्लिखित हैं। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) आशा है कि औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक में, जिसे संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाना है, स्थानीय क्षेत्र में यूनिट या उद्योग में वार्ता एजेन्ट के चयन की प्रक्रिया व्यवस्था होगी।

HINDI TYPISTS AND HINDI STENOGRAPHERS IN MINISTRY

2142. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of the Hindi Typists and Hindi Stenographers in his Ministry/Department at present;

(b) the number out of them being utilized fully for Hindi work;

(c) the reason for not utilizing other Hindi typists and stenographers; and

(d) whether any scheme has been formulated to utilize them and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) to (d) There is one post of Hindi Stenographer sanctioned in the

Ministry of Steel and Mines for the Minister of State who is utilising him as such for work in Hindi. No other posts of Hindi Typist or Hindi Stenographer have been sanctioned as such separately, but a number of them have been trained in Hindi typing and Hindi stenography. Their services are utilised in dealing with work in Hindi, to the extent necessary.

पश्चिमी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का एकीकरण

2143. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण के लिए कोई सममबद्ध कार्यक्रम है;

(ख) इस क्षेत्र में की गयी प्रगति सम्बन्धी सही स्थिति क्या है; और

(ग) एकीकृत पद्धति आम आदमियों के लिए बड़े पैमाने पर शीघ्र से शीघ्र कब उपलब्ध होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

बेरोजगारी तथा आयु में छूट के बारे में श्वेत-पत्र

2144. **श्री वसन्त साठे : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेरोजगारी के बारे में कोई श्वेत-पत्र लाने पर विचार करेगी और कितनी जल्दी; और

(ख) इस तथ्य को देखते हुए कि शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार पाने के लिए औसतन 5 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है क्या सरकार सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार के लिए, शिक्षित युवकों के बीच बढ़ती निराशा को दूर करने के लिए, रोजगार रजिस्टरों के प्रतीक्षा अवधि तक आयु सीमा में छूट देने पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) बेरोजगारी पर श्वेत-पत्र लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगली पंच-वर्षीय योजना रोजगार नीतियों को निर्दशित करेगी।

(ख) केन्द्रीय सेवाओं/पदों पर भता के लिए आयु सीमाएं विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर तथा विशेष रूप से उस सेवा/पद के लिए उपेक्षित योग्यताएं और अनुभव को देखते हुए समय समय पर तय की जाती हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार सम्बन्धित सेवा/पद के लिए अति उपयुक्त आयु वाले व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध कर सके।

मंत्रियों के बंगलों की सजावट

2145. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालयों द्वारा तथा/अथवा उसके सहायक विभागों द्वारा वर्ष 1977 के दौरान मन्त्रियों के बंगलों की सजावट पर (निर्माण तथा आवास विभाग द्वारा व्यय की

गई और संसद के गत सत्र में बताई गई राशि के अतिरिक्त) कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) प्रत्येक मन्त्री के बंगले पर पृथक,-पृथक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) और (ख) संचार मन्त्रालय तथा/अथवा इसके सहायक विभागों ने, वर्ष 1977 के दौरान संचार मंत्री डा० शंकर दयाल शर्मा, श्री जार्ज फर्नांडिस व श्री बृजलाल वर्मा एवं उप मंत्री श्री बालगोविन्द वर्मा के बंगलों के कार्यालय कक्ष की सजावट पर कोई खर्च नहीं किया है क्योंकि जो फर्नीचर दिया गया था वह सरकार के पास पहले ही उपलब्ध था। संचार राज्य मंत्री श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय के 21, अशोक रोड स्थित आवासीय कार्यालय में जो फर्नीचर रखा गया है, उसमें से कुछ तो मौजूदा भण्डार से और कुछ 12,386.70 पैसे की लागत से खरीद कर रखा गया है।

भारत के परमाणु कार्यक्रम का विदेशों में प्रचार

2147. **श्री सात कार:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु मुक्त क्षेत्र के लिए राष्ट्र संघ में बढ़ते हुए दबाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विदेशों में स्थित अपने मिशनों को उन देशों की सरकारों से परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धी अपनी नीति बताने के बारे में निर्देश दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की इस दृढ़ और स्थिर नीति से भली भांति परिचित है कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नाभिकीय-अस्त्र-मुक्त क्षेत्रों की अवधारणा तथा दक्षिण एशिया में इस प्रकार के क्षेत्र की स्थापना के प्रश्न पर उसके सैद्धान्तिक रवैये से भी। इसलिए इन मामलों के बारे में विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा अपने प्रत्यायन के देशों की सरकारों के प्रति किसी भी विशिष्ट कार्यवाही को आवश्यक नहीं समझा गया है।

भारतीयों द्वारा पाकिस्तान की यात्रा करने और पाकिस्तानियों द्वारा भारत की यात्रा करने के लिए वीसा का उद्दारतापूर्वक जारी किया जाना

2148. **श्री जी० एस० रेड्डी**
श्री एम० ए० हबीब अलहाज } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी पाकिस्तान यात्रा के परिणामस्वरूप भारतीयों को पाकिस्तान की यात्रा करने और पाकिस्तानियों द्वारा भारत की यात्रा करने के लिए अधिक उदारता पूर्वक वीसा जारी किए जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के बाद से कितने बीमा आवेदन पत्र प्राप्त हुए और मंजूर किए गए ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) :(क) विदेश मन्त्री ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाने का प्रश्न उठाया था जिससे कि दोनों देशों के बीच यात्रा करने और आने-जाने की सुविधा हो। पाकिस्तानी पक्ष सिद्धांत रूप में इस बात पर सहमत हुआ कि दोनों देशों के बीच और अधिक निर्बाध रूप से आदान-प्रदान तथा आवागमन होने चाहिए, लेकिन दोनों देशों द्वारा विस्तृत प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना की प्रगति

2149. श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ईरान को लौह अयस्क सान्द्रणों की सप्लाई के लिए कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना का विकास करने की दृष्टि से उक्त कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) सितम्बर 1980 से सप्लाई प्रारम्भ करने की दृष्टि से कार्य को चरणबद्ध करने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितना निर्माण कार्य पूरा हुआ है और अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) परियोजना के कार्यक्रम के अनुसार मुख्य परियोजना का निर्माणकार्य दिसम्बर, 1979 के अन्त तक पूरा होना है। इसे चालू करने और वाणिज्यिक उत्पादन होने लगने में इसके बाद चार महीने और लगेंगे। अगस्त, 1980 के अन्त तक ईरान को सांद्रण का लदान होना शुरू जायेगा। कुछ मुख्य सुविधाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तारीखें नीचे दी गई हैं :—

कार्य	यांत्रिक कार्य की पूर्ति की निर्धारित तारीख
(1) टैलिंग डैम	जून, 1978
(2) कुद्रेमुख में भाण्डागार	अगस्त, 1978
(3) मेंगलोर में सर्विस बिल्डिंग	अक्तूबर 1978
(4) स्लरी पाईपलाइन टनल और पम्प हाउस	जून, 1979
(5) खान का उत्पादन से पूर्व विकास	जून, 1979
(6) टैलिंग हैन्डलिंग और पम्प हाउस	जुलाई, 1979
(7) क्रशर 1 और 2	अक्तूबर/नवम्बर, 1979
(8) मेंगलोर में घोल के लिए गोदाम तथा पानी निकालने का संयंत्र	नवम्बर, 1979
(9) जहाज में लदान की सुविधाएं	नवम्बर, 1979
(10) सांद्रक	दिसम्बर, 1979

कार्य कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। आवश्यक उपस्करों में से अधिकांश मुख्य-मुख्य उपस्करों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। क्रशर, सांद्रक संन्यन्त्र, भाण्डागार, टेलिंग डेम, घोल के लिए गोदाम तथा पानी निकालने के संन्यन्त्र, बन्दरगाह का विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सिविल इंजीनियरी कार्य तेजी से हो रहा है। सांद्रक कारखाने तथा भाण्डागार के लिए इस्पात के ढांचों का स्थापना कार्य चल रहा है। मैंगलोर बन्दरगाह तथा कुद्रेमुख परियोजना को जोड़ने वाली सड़क का कार्य अब पूरा हो चुका है तथा निर्धारित समय से लगभग 5 सप्ताह पहले ही 23-2-1978 को यह सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। 28-2-1978 तक इस परियोजना पर कुल 141.70 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

MALARIA ERADICATION PROGRAMME

2150. SHRI AMARSINH V. RATHAWA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :—

(a) whether Government have under consideration any scheme to bring technicians of the Malaria Eradication Programme under the multipurpose scheme by training them in pathology as has been done in the case of the surveillance workers and inspectors of the Malaria Eradication programme;

(b) if so, the details thereof; if not, the reasons therefor; and

(c) whether Government have received any application, letter or report in this regard; if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No. There is no proposal to bring Technicians of the National Malaria Eradication Programme under the Multipurpose Workers Scheme.

(b) (i) Only the field staff of the National Malaria Eradication Programme, i.e. the Malaria Surveillance Workers and the Malaria Inspectors have been included in the re-orientation training under the Multi-purpose Workers Scheme.

(ii) The Malaria Technicians continue to function as technicians. They are mainly involved in examining blood slides of fever patients.

(c) Government have not received any letter, report or application in this regard.

PUBLICATION OF TELEPHONE DIRECTORIES IN TIME

†2151. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a single Telephone Directory was published for entire Rajasthan circle in the past but separate Directories are now being published for each Division and District;

(b) whether the telephone subscribers of the State have been put to great inconvenience as a result of this new system since they do not have the number of divisions and Districts;

(c) whether Directories of most of the Divisions and Districts are not brought out in time, for example subscribers have not received the same for Bharatpur Division for long and if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government will direct Circle Superintendents to ensure publication of Directories in time in superior quality paper and print ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) Since the telephone numbers of all the exchanges in a Telephone Division or Telephone District are available in the Directory of a particular Division or District, question of any inconvenience to subscribers should not arise.

(c) Every effort is made to publish the Directories in time. Bharatpur become a separate Division only in 1977 and the Directory of the Division was issued on January, 1978.

(d) Instructions have already been issued to ensure publications of the Directories in time. The paper used is one standardised for the purpose and supplied through D.G.S. & D. rate contract. Every effort is made to ensure quality printing.

महंगाई भत्ते तथा बोनस को समाप्त करने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रस्तावों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

2152. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तथा उद्योग मंडल संघ ने महंगाई भत्ते तथा बोनस सम्बन्धी योजनाओं को समाप्त करने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सम्मेलन की पृष्ठभूमि सम्बन्धी पत्रों अथवा अन्यथा इसके माध्यम से 5वें औद्योगिक सम्पर्क सम्मेलन में उनके समक्ष क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) नई दिल्ली में 13–14 फरवरी, 1978 को हुए पांचवें औद्योगिक सम्बन्ध सम्मेलन के लिए मजदूरी-दरों, आय, तथा मूल्य-नीति सम्बन्धी पृष्ठधार प्रलेख में, जो श्री एस० भूतालिंगम की अध्यक्षता में स्थापित अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों के सन्दर्भ में तैयार किया गया प्रतीत होता है, यह सुझाव दिया गया है कि जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक को बनाने वाली अधिकांश जिन्सों की कीमतों को स्थिर करने की आर्थिक नीतियों के अनुसार, महंगाई भत्ते को समाप्त किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि मजदूरी में संशोधन आवश्यक ही हो तो मूल्य-वृद्धि को कितने प्रतिशत निष्प्रभावी किया जाए, इस बात का निर्णय अवश्य ही सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। वर्तमान बोनस योजना के उन्मूलन का सुझाव देते हुए इस प्रलेख में यह भी अपेक्षा की गई है कि जहां कहीं संभव हो वहां प्रोत्साहन भुगतान योजना प्रारम्भ की जाये।

(ख) सरकार ने इस प्रलेख में उल्लिखित बातों को नोट कर लिया है।

(ग) जिस पृष्ठभूमि में मजदूरी-दरों, आमदनियों और मूल्यों के सम्बन्ध में एक न्याय संगत नीति तैयार करने की जरूरत है, उसका उल्लेख करने के बाद, उक्त प्रलेख में न्यूनतम मजदूरी-दरों, मजदूरी-संशोधन सम्बन्धी तन्त्र, मजदूरी के अन्तरों, मुद्रास्फीति और वास्तविक आय के ह्रास, महंगाई भत्ते की प्रणाली, बोनस, आय की विषमताओं और व्यय सम्बन्धी नीति के बारे में सुझाव दिए गए हैं।

बन्द हुए लघु इस्पात संयंत्र

2153. **श्री डा० बापू कालदाते :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत से लघु इस्पात संयन्त्र या तो बन्द कर दिए गए हैं अन्यथा बन्द होने की स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है और वे इस समय किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : चालू किए गए कुल 122 लघु इस्पात संयन्त्रों में 1.1.78 को 93 इकाइयों में उत्पादन हो रहा था जबकि अक्तूबर, 1977 में 85 तथा नवम्बर, 1977 में 87 इकाइयों में उत्पादन हो रहा था। 1-1-78 को बन्द पड़ी इकाइयों की संख्या 29 थी जबकि नवम्बर, 1977 में 43 इकाईयां बन्द पड़ी थीं। इन बन्द पड़ी 29 इकाइयों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है :–

हरियाणा	2
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	4
बिहार	1
मध्य प्रदेश	3
गुजरात	1
महाराष्ट्र	10
पश्चिमी बंगाल	7
कुल :	29

WORKING OF HOSPITALS IN DELHI

2155. SHRI RAM DAS SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hospitals in Dehi are not functioning satisfactorily these days and the patients are asked to go elsewhere for X-ray and other tests;

(b) whether poor persons have to face great difficulty besides beazing expenses on this account; and

(c) the steps proposed to be taken by the Ministry to put an end to such practice and if not, the justification therefor ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) (b) and (c) No, Sir. No such complaints have been received by the Government. Further enquiries will be made into the matter.

कार्यालय के निर्माण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्लाट का आबंटन

2156. श्री मनोहर लाल : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कनाट प्लेस के निकट आवंटित किया गया प्लाट रद्द कर दिया गया था जिससे गरीब श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा विभाग को 3.5 लाख रुपये की हानि हुई ;

(ख) क्या प्लाट के आवंटन को इस प्रयोजन से रद्द किया गया था, कि यह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति को आवंटित किया जाना था और उन्होंने संसद के गत सत्र में यह जांच करने का आश्वासन दिया था कि क्या यह आवंटन किसी अन्य संस्था को देने के लिए रद्द किया गया था; और

(ग) इस मामले में कितनी प्रगति हुई है और कर्मचारी भविष्य निधि सगठन को यह प्लाट अथवा कोई अन्य प्लाट आवंटित करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिह) : (क) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि बाराखम्बा लेन में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आवंटित किए गए प्लाट का आवंटन रद्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप संगठन को व्याज और भूमि के किराये, वास्तुकारों द्वारा भवन के नक्शों को तैयार कराने में हुए खर्चे और उक्त प्लाट पर बने पुराने बंगलों को गिराने की लागत जैसे अन्य खर्चों के रूप में लगभग 4,06,000 रुपये की हानि हुई है।

(ख) बाराखम्बा मार्ग क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को किया गया आवंटन इसलिए रद्द किया गया क्योंकि नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार इस क्षेत्र का समाकलित ढंग से विकास किया जाना था। इस समस्त क्षेत्र को विकास हेतु नई दिल्ली नगरपालिका को आवंटित करने का निर्णय किया गया। इसे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आवंटित करने का विचार नहीं था।

(ग) उपयुक्त प्लाट के आवंटन के लिए मामले की निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ पैरवी की जा रही है।

OPENING OF REFERRAL HOSPITAL IN RAJASTHAN

2157. SHRI HEERA BHAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Rajasthan has been given the quota of referral hospitals to be opened in the State in accordance with the scheme of the Government of India;

(b) if so, the number of referral hospitals to be opened there and district-wise names of the places where these hospitals would be opened;

(c) whether a condition has been laid down for taking contribution from the people of the areas where such referral hospitals would be opened and if so, the amount thereof; and

(d) whether the said hospitals would not be opened in backward areas where the people are unable to fulfil this condition and if so, the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b) There is no scheme as such under which the quota of referral hospitals, to be opened in the States, has been fixed. Keeping in view the referral hospital services being inadequate in rural areas, it has been decided that one out of every four Primary Health Centres be upgraded to 30 bedded rural hospital. During the Fifth Five Year Plan 1293 Primary Health Centres were proposed to be upgraded into 30 bedded rural hospitals to provide both generalised as well as specialist services in medicines, surgery, anaesthesia, obstetrics and gynaecology. The State of Rajasthan would also develop referral hospitals according to the pattern indicated above and the resources available for each annual plan.

(c) and (d) There is no proposal to collect contributions from the people for opening such referral hospitals. These will, therefore, be opened in all the rural areas irrespective of the financial position of the population of those areas.

UNEMPLOYED IN URBAN AND RURAL AREA

2158. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the latest number of unemployed persons in urban and rural areas, separately; and

(b) the time-bound programme, if any, to achieve the target fixed for eradication of unemployment ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) The National Sample Survey in its 27th round (1972-73) gives an estimate of the number of persons who usually seek and are available for employment (chronically unemployed) as 18.33 lakhs in the rural areas and 20.35 lakhs in the urban areas.

(b) Government have already decided that the primary objective of the next phase of the development plan would be the removal of unemployment and substantial underemployment within approximately ten years. The next Plan is expected to outline the steps Government proposes to take to achieve this objective.

TALKS HELD WITH CHINESE TRADE DELEGATION

†2159. SHRI BHARAT BHUSHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the nature of talks held with the Chinese trade delegation during their recent visit to India, regarding trade relations and mutual cooperation between the two countries;

(b) whether they have booked some orders for Indian engineerings goods; and

(c) if so, the names of firms with which these orders have been booked and the value thereof ?

The MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) During the goodwill visit to India between 8th to 25th February, 1978, the delegation of four Chinese Import/Export Corporations held extensive discussions with the host Indian Public Sector Corporation, Export Promotion Councils, apex and regional bodies for Commerce and Industry. In addition the Chinese delegation visited the Indian Engineering Trade Fair held recently in Delhi as well as units in the Public and private sectors in various industrial centres. These discussions which were exploratory in nature covered the range of activities of the host and guest Corporations and the units visited, and the nature of the items exported and imported by them, with a view to identifying areas of mutual interest for the development of two-way trade.

(b) & (c) While government are not yet aware of details of specific orders having been booked by the visiting teams for engineering goods it is understood that they were impressed with the high degree of technological sophistication achieved in India. A number of product fields have been identified, where the Chinese are not importers and based on this assessment, India is in a position to supply such items.

चीन का दौरा करने के लिये पत्रकारों का शिष्टमण्डल

2160. **श्री जी० एस० तोहरा** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन जनवादी गणतन्त्र ने भारतीय पत्रकारों के एक शिष्टमंडल को चीन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीन की यात्रा के लिए पत्रकारों का चयन करने के लिए यदि कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं तो वे क्या हैं;

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) भारत में चीन के राजदूत ने चीन लोक गणराज्य की सिन्हवे समाचार एजेन्सी की ओर से 3 से 5 भारतीय पत्रकारों के एक दल को इस वर्ष मार्च/अप्रैल में चीन की मैत्रीपूर्ण यात्रा पर भेजने का निमन्त्रण दिया है। निमन्त्रण स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) मामले पर गौर किया जा रहा है।

INDIAN TERRITORY IN OCCUPATION OF FOREIGN COUNTRIES

†2161. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the area of Indian territory within the 1947 border under illegal occupation of foreign countries together with names of these countries; and

(b) whether Government are having talks with these countries on the vacation of this land and if so, the basis for these talks and progress made?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) A part of territory of the State of Jammu & Kashmir comprising an area of approximately 30,200 square miles continues to be under the illegal occupation of Pakistan since 1947-48. Another area of nearly 2000 square miles in Pakistan-occupied Kashmir was illegally ceded by Pakistan to China under the so-called Sino-Pak Agreement of 1963.

☐ Apart of Indian territory comprising nearly 14,500 square miles in the Laddakh Sector of Indo-China border is under Chinese occupation.

(b) The policy of the Government is to settle the question of vacation of territory illegally occupied by Pakistan and China peacefully through bilateral negotiations.

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीण उपबंन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन अपराधों की जांच करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना

2162. **श्री लखन लाल कपूर**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटारे का सुनिश्चिय करने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन अपराधों की जांच करने के लिए सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों पर विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 5 दिसम्बर, 1977 को बंगलौर में हुई अपनी 74वीं बैठक में सिफारिश की है कि विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए—विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अभियोजन के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

पुनर्बेलन योग्य इस्पात की छीलन का आयात

2163. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**: क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता चला है कि लोहे की छीलन के नाम पर 25 करोड़ से भी अधिक मूल्य की पुनर्बेलन योग्य इस्पात की छीलन देश में लायी जा रही है तथा मुनाफा कमाकर बेची जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि देश की मांग को पूरा करने के लिए देश में ही लोहे की छीलन काफी मात्रा में उपलब्ध है,

(ग) यदि हां, तो उसका और अधिक आयात करने के लिए लायसेंस देने के क्या कारण हैं, और

(घ) आयात की उस धोखाधड़ी से कौन-कौन लोग/फर्में अन्तर्ग्रस्त हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाचार पत्रों में इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ है कि पुनर्वेलन योग्य इस्पात स्क्रैप का आयात किया जा रहा है। सही स्थिति यह है कि सरकार ने हाल में विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को लोह स्क्रैप की कुछ विशिष्ट श्रेणियों का सीमित मात्रा में आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय देशीय उपलब्धि में प्रत्याशित कमी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में स्क्रैप के कम मूल्य, देश में स्क्रैप के मूल्यों में कुछ स्थिरता लाने की आवश्यकता आदि पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात लिया गया है। इस अनुमति के अधीन आयात किए गए फैरस स्क्रैप का उपयोग विद्युत चाप भट्टी इकाइयों में पिघलाने के लिए किया जाएगा न कि पुनर्वेलन के लिए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

EMPLOYEES WORKING IN PUBLIC AND PRIVATE SECTORS DETAINED UNDER MISA

2164. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the employees, working in public and private sectors detained under MISA and belonging to banned organisations whose services were terminated, have been declared to be entitled to full pay and allowances since the date they were absent from their duties;

(b) whether the employees whose services were terminated because of their detention under MISA would be reinstated and whether they would be given the benefit of the detention period for earning increments and leave; and

(c) if so, the total number of the employees affected in public and private sectors, separately and the time by which they would get the benefit of this policy and if not the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Instructions were issued on the 14th December, 1977 to the effect that all employees who lost their jobs on account of detention under the Maintenance of Internal Security Act and also those who lost their jobs as a result of association with banned organisations should be reinstated in service and paid full pay and allowances for the period of their absence from duty subject to the condition that this concession of full pay and allowances shall not be given to those who, during the period of emergency, had been released from jail on submitting an apology.

(b) All such employees are required to be reinstated in service and the intervening period has to be treated as duty for purposes of drawal of increments, retirement benefits, etc. In so far as the question of earning leave is concerned, this is a matter which has to be decided by the employer under the terms and conditions of employment of the employee concerned.

(c) Information received from 146 Central public sector undertakings indicate that 207 such employees have been reinstated in service. Precise information concerning the private sector is not available.

भारतीय रेडक्रास द्वारा भेजी गई राहत सामग्री का दुरुपयोग

2165. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार अथवा भारतीय रेड क्रास बंगाल यूनिट से बंगला देश से आये शरणार्थियों के उपयोग के लिए भारतीय रेड क्रास मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा भेजी गई राहत सामग्री का दुरुपयोग कर उसे कलकत्ता के बाजार में बेचे जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) दुरुपयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोआ के कस्बों और देश के नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

2166. **श्री एडुआडो फैलोरो :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के कस्बों और देश के शेष नगरों के बीच डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी; और

(ख) क्या उपरोक्त व्यवस्था के बारे में कोई योजना मन्त्रालय के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और ख) पंजिम, वास्को और मार्गोवा के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा पहले ही चालू की जा चुकी है। आशा है कि पंजिम को लगभग तीन महीनों के भीतर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिए बम्बई से भी जोड़ दिया जाएगा। विभाग का चरम लक्ष्य यही है कि सभी शहरों/कस्बों के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा चालू कर दी जाय किन्तु वित्तीय और साज-सामान की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था धीरे-धीरे ही की जाएगी।

गोआ मेडिकल कालेज में खाली पड़े पद

2167. **श्री एडुआडो फैलोरो :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ मेडिकल कालेज में अध्यापकीय वर्ग के कितने पद खाली पड़े हैं और उनके पदनाम क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक पद कब से खाली पड़ा है और उसके क्या कारण हैं, और

(ग) खाली पड़े पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जानकारी के अनुसार गोवा मेडिकल कालेज पणजी में अध्यापक वर्ग के 14 पद खाली पड़े हैं। इन पदों का ब्यौरा और जिस जिस तारीख से ये पद खाली हैं, उनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

(ग) प्रोफेसर के ग्रेड में नियमित खाली पदों में से 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति द्वारा जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाती है, भरा जाता है। प्रोफेसर के कतिपय पदों के लिए संघ लोक सवा आयोग ने उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जो शीघ्र ही इन पदों का कार्यभार सम्भाल लेंगे और कतिपय अन्य पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेज दिया गया है। एसोसिएट/असिस्टेंट प्रोफेसरों के नियमित खाली पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरने का विचार है जिसकी बैठक शीघ्र ही बुलाए जाने की आशा है। अल्पकालिक पदों को जो नियमित नहीं हैं भरने के बारे में गोवा सरकार को प्राधिकृत कर दिया गया है कि वे इन पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इन पदों को तदर्थ आधार पर भरने के लिए स्थानीय प्रबन्ध कर लें।

विवरण

क्रम संख्या	पद का नाम	कब से खाली है	पद को भरने के बारे में अद्यतन स्थिति
1	2	3	4
1.	जीव रसायन के प्रोफेसर	26-10-77	इस पद को भरने के बारे में एक मांग पत्र संघ लोक सेवा आयोग के पास पड़ा है। उन्होंने अभी तक इस पद को विज्ञापित नहीं किया है।
2.	नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर	1-1-77	संघ लोक सेवा आयोग ने इस पद के लिए उम्मीदवार का चयन कर लिया है। जिस उम्मीदवार का चयन हुआ है उसे नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिया गया है। उस उम्मीदवार ने अभी तक पद का कार्यभार नहीं संभाला है।
3.	सर्जरी के प्रोफेसर	29-1-77	यह पद डा० (श्रीमती) एस० डी० गुप्त के केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद में चिकित्सा अधीक्षक के सुपरटाइम ग्रेड-1 के पद पर

1	2	3	4
			तदर्थ आधार पर पदोन्नत हो जाने के फलस्वरूप खाली हुआ था। चूंकि यह रिक्ति अल्पकालिक थी, इसलिए इस पद पर डा० नरिन्द्र सिंह को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, तथापि, जब गोवा सरकार ने यह सूचित किया कि इस पद को भरने के लिए उन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है तो यह नियुक्ति रद्द कर दी गयी।
4.	संवेदनाहरण विज्ञान के प्रोफेसर	29-1-77	संघ लोक सेवा आयोग ने इस पद के लिए डा० डी० एस० दुबे का चयन कर लिया है । मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति से अनुरोध किया गया है कि वह इस नियुक्ति पर अपनी मंजूरी दे दे। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
5.	आंख, नाक और गला के प्रोफेसर	6-8-77	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत किए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डा० बी० एम० अब्रोल को नियुक्ति की पेशकश भेज दी गयी है। डा० अब्रोल ने अभी तक पद का कार्यभार नहीं संभाला है।
6.	एसोसिएट प्रोफेसर . .	29-7-76	यह पद डा० टिकरि की सेवा समाप्ति के फलस्वरूप खाली हुआ था । डा० टिकरि विदेश में अनधिकृत छुट्टी पर हैं। यह पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरा जाएगा जिसकी बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी।
7.	स्त्रीरोग तथा प्रसूति विज्ञान के एसोसिये : प्रोफेसर	30-6-75	यह पद डा० पी० राजाराम के विदेश में नियुक्ति पर जाने के परिणामस्वरूप खाली हुआ था । यह नियमित रिक्ति नहीं है और इसे नियमित आधार पर नहीं भरा जा सकता।

1	2	3	4
8.	सर्जरी के सहायक प्रोफेसर	23-12-76	यह पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरा जा रहा है जिसकी बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी।
9.	न्यायिक चिकित्सा के सहायक प्रोफेसर . .	4-4-64	संघ लोक सेवा आयोग ने दो बार इस पद को विज्ञापित किया है परन्तु सब निष्फल इस पद को पुनः विज्ञापित किया जाएगा।
10.	आंख, नाक और गला का सहायक प्रोफेसर .	30-8-77	यह पद डा० पी० एल० वर्मा की एसोसियेट प्रोफेसर के रूप में तदर्थ पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप खाली हुआ है। चूंकि यह एक नियमित रिक्ति नहीं है, इसलिये इस पद को नियमित आधार पर नहीं भरा जा सकता।
11.	स्त्रीरोग एवं प्रसूति-विज्ञान के सहायक प्रोफेसर .	1-3-76	यह पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा समिति जिसकी बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी।
12.	मेडविज्ञान के सहायक प्रोफेसर	17-11-77	यह पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा जिसकी बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी।
13.	शरीर रचना विज्ञान के लेक्चरर	19-5-77	इस पद के पदधारी डा० आर० वी० देसाई की सहायक प्रोफेसर के रूप में तदर्थ पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप यह पद खाली हुआ था। इस पद को नियमित आधार पर तब तक नहीं भरा जा सकता जब तक कि डा० देसाई उच्च पद पर नियमित नहीं हो जाते।
14.	विकलांग शल्यचिकित्सा के लेक्चरर . .	7-6-73	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए गए उम्मीदवार डा० आर० के० दुमाज ने नियुक्ति की पेशकश को ठुकरा दिया है। संघ लोक सेवा आयोग इस पद को भरने के लिए फिर कार्यवाही कर रहा है।

भारतीय आयुर्वेद औषधि प्रणाली में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अनुसंधान

2168. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्वेद औषधि प्रणाली के बारे में अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ करने के लिए अमरीकी चिकित्सकों के एक दल ने अभी हाल में भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या उक्त परियोजना में अमरीकियों के साथ सरकार ने भी भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) देश के अन्दर और बाहर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए और आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष के निमंत्रण पर दक्षिणी इल्लीनोस विश्वविद्यालय स्कूल आफ मेडिसन, स्प्रिफील्ड, इल्लीनोस के अमेरिकन चिकित्सा वैज्ञानिकों का एक शिष्टमंडल भारत आया था ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह शिष्टमंडल सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था।

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का उस ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में प्रयोग किया जा रहा है जो 2 अक्तूबर, 1977 को चलाई गई थी। औषध तैयार करने के लिए शिक्षा की क्वालिटी में सुधार लाने, अनुसंधान कार्यकलापों को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर जड़ी-बूटी से बनने वाली दवाइयों का उत्पादन करने के लिए कदम उठाये जा रहें हैं। इसके अतिरिक्त जिन अन्य कुछेक नयी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं;

गांव के चिकित्सा व्यवसायीयों को प्रशिक्षण देना;

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र के स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति और हौम्योपैथी के माध्यम से चिकित्सा देख-रेख की व्यवस्था करना; और स्नातकपूर्व अध्यापकों को प्रशिक्षण देना तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना करना। यद्यपि सरकार देश में इन चिकित्सा पद्धतियों का बड़े पैमाने पर विकास और उपयोग करने के प्रयास कर रही है तथापि यदि कोई विदेशी सरकार अपने देश में आयुर्वेद प्रारम्भ करने और उसका विकास करने के लिए हमारी सहायता मांगती है तो उन के अनुरोध पर विधिवत् विचार किया जायेगा।

क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डल सम्मेलन का परिणाम

2169. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई तथा प्रशान्त महासागरीय देशों के क्षेत्रीय राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भारतीय नेताओं की यात्रा का क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या इस सम्मेलन में हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र के प्रश्न पर भी बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया क्या रही ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) प्रधान मंत्री द्वारा 24-2-78 को लोक सभा/राज्य सभा में दिए गए वक्तव्य में इसके परिणामों को विस्तार से बताया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। 16-2-78 को समाप्त सिडनी-सम्मेलन के अंत में जारी की गई विज्ञप्ति में हिन्द महासागर के बारे में लिखा है :

"हिन्द महासागर में अपनी सैनिक उपस्थिति को परस्पर समिति करने के विषय में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो बातचीत चल रही है उस पर शासनाध्यक्षों ने ध्यान दिया और इन दोनों देशों के इस आश्वासन पर भी कि वे अपनी बातचीत की प्रगति के विषय में संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति के अध्यक्ष की रिपोर्ट देंगे। इस संबंध में उन्होंने अपनी यह आशा व्यक्त की कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाद में उसके संबंध में किए गए अन्य संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने सभी बड़ी शक्तियों से और नौ-वहन की दृष्टि से समुद्र का उपयोग कर वाले अन्य प्रमुख देशों से भी यह अनुरोध किया कि वे हिन्द महासागर के संबंध में एक सम्मेलन बुलाने के लिए वर्तमान विचार-विमर्श में तटवर्ती एवं पश्च राज्यों तथा तदर्थ समिति के साथ अपना कारगर सहयोग करें। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि न्ययार्क में तटवर्ती एवं पश्च राज्यों की आगामी बैठक हिन्द महासागर पर एक पूर्णाकार सम्मेलन बुलाने की दिशा में एक अगला कदम सिद्ध होगी।"

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा टेलीफोन उपकरणों का निर्यात

2170. श्री दुर्गाचन्द : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को विदेशों से टेलीफोन उपकरण सप्लाई करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में क्रयादेश प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश से, वर्षवार प्राप्त हुए आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में इस से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(घ) इस समय प्रत्येक देश से कितने मूल्य के आदेश लम्बित हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) से (घ) तक जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिसे शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल में एक मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाया जाना

2171. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी और चण्डीगढ़ चिकित्सा विज्ञान संस्थानों की तरह केरल के एक मेडिकल कालेज को चिकित्सा विज्ञान संस्थान का दर्जा देने के लिए केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत सरकार को इस बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कारावती लक्षद्वीप में सरकारी अस्पताल

2172. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्यद्वीप के कारावती स्थित सरकारी अस्पतांल में चीफ मेडिकल आफिसर, सर्जन जैसे महत्वपूर्ण अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, कितनी अवधि से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह पद कब भरे जायेंगें ; और

(ड़) लक्ष्य तिथि प्राप्त करने के लिए क्या तुरन्त उपाय किए जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ड़) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चालू वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य

2173. **श्री के० प्रधानी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान इस्पात उत्पादन के लिए सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य के कब तक प्राप्त किये जाने की संभावना है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) वर्ष 1977-78 के लिए सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में 92.5 लाख टन इस्पात पिण्ड और 73.7 लाख टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 के 11 महीनों की अवधि में इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन 77.42 लाख टन और विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 62.98 लाख टन हुआ है। वर्ष 1977-78 के पूरे वर्ष में 86 लाख टन इस्पात पिण्ड तथा 70 लाख टन विक्रेय इस्पात

का उत्पादन होने का अनुमान है। यद्यपि इस वर्ष 1976-77 के उत्पादन से इस्पात पिण्ड के उत्पादन में 2.0% तथा विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 1.1% वृद्धि होगी तथापि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इस्पात पिण्ड के उत्पादन में 7·0% तथा विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 5.1% की कमी रहेगी।

विजली की सप्लाई में प्रायः प्रतिबन्धों/रुकावटों जैसे कई कारणों से वर्ष 1977-78 में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बोकारो, दुर्गापुर, इस्पात कारखाने और इस्को के कारखाने पर इसका विशेषरूप से प्रभाव पड़ा है। कोककर कोयले की क्वालिटी अच्छी न होने तथा इसकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न होने, अक्तूबर, 1977 में दुगदा और भोजूडीह कोयला शोधनशालाओं में हड़ताल होने तथा कुछ कारखानों विशेषतः इस्को में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण भी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विजली और कोककर कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय दामोदर घाटी निगम और कोयले की सप्लाई करने वाले अभिकरणों से सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है।

अल्परोजगार प्राप्त लोगों की संख्या

2174. **श्री चतुर्भुज :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अल्परोजगार प्राप्त लोगों की राज्यवार संख्या के उपलब्ध नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ख) समस्या से निपटने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) लोक सभा में 16 जून, 1977 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 723 के भाग (क) में दिए गए उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें नवीनतम उपलब्ध सूचना दी गई है।

(ख) लगभग 10 वर्षों में बेरोजगारी तथा पर्याप्त अल्प-रोजगारी को समाप्त करना विकास योजना के अगले पहलू का मुख्य उद्देश्य है।

केरल में आयुर्वेद विश्वविद्यालय

2175. **श्री के० ए० राजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना करने और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करने के लिए एक योजना केन्द्रीय सरकार की मंजूरी और आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में केन्द्रीय सहायता से एक आयुर्वेद विश्वविद्यालच खोलने के उस सरकार के प्रस्ताव को, जिस पर 2,59,35,400 रुपये का खर्च आने का अनुमान था, इसलिए नहीं माना गया क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने का काम सामान्यतया राज्यों का ही होता है।

आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान की स्थापना के केरल सरकार के प्रस्ताव में निम्नलिखित चार संस्थाओं के प्रशासन के लिये, केन्द्र और राज्य सहायता से, एक स्वशासी निकाय खोलने की बात निहित है :—

1. आयुर्वेद कालेज, त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर केन्द्र (केन्द्र प्रायोजित योजना)।
2. भेषज-अभिज्ञान यूनिट, पूजापुरा (केरल सरकार द्वारा संचालित)।
3. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पूजापुरा (भारतीय चिकित्सा और हौम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् का)।
4. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) चेरुतिरूति (भारतीय चिकित्सा और हौम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् का)।

राज्य सरकार बेहतर समन्वय और प्रबन्ध के लिए उपर्युक्त लिखित तीन संस्थाओं को एक ही स्थान पर चलाने का विचार रखती है। यह भी बतलाया गया है कि इस संस्थान से सटकर ही 12.9 एकड़ भूमि उपलब्ध हो जाएगी जिस पर स्नातकोत्तर कोर्सों और नये ढांचे के अनुसार खुलने वाले अन्य यूनिटों को चलाने के लिए नया निर्माण किया जा सकता है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य पहले से चल रही विभिन्न अनुसंधान और शैक्षिक यूनिटों की गतिविधियों में तालमेल रखना और आयुर्वेद में विस्तृत अनुसंधान तथा उच्च अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। इस संस्थान का प्रशासन एक शासी निकाय के हाथ में होगा जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इस प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में दुर्घटनाओं में वृद्धि

2176. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष में इस वर्ष के दौरान इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण और कारण क्या है, और

(ग) दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1977 में दुर्घटनाओं की संख्या में वद्धि हुई है जैसाकि नीचे दिखाया गया है :—

	1975	1976	1977
दुर्घटनाओं की संख्या .	358	548	877

अधिकतर दुर्घटनायें मामूली थीं जैसा कि गम्भीर दुर्घटनाओं में हुई कमी की दर (प्रति 10 लाख श्रम घंटे कार्य करने पर श्रमिक दिनों की हानि की संख्या) से पता चलता है जो वर्ष 1975 में 856 थी और वर्ष 1977 में घटकर 752 रह गई है।

(ग) दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) परिवेक्षकों तथा अधिकारियों को सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है,

(2) कम्पनी के सुरक्षा विभाग तथा सुरक्षा समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है, और

(3) आवधिक सुरक्षा अभियान तथा सुरक्षा के अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा (जिनमें प्रभावी आपसी बातचीत भी शामिल है) श्रमिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाई जा रही है।

इस्पात की आयात-निर्यात नीति में सुझाये गये संशोधन

2177. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्टेनलेस स्टील इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्टेनलैस स्टील की आयात निर्यात नीति में संशोधन करने का सुझाव दिया है,

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत सुझावों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य रूप से निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :—

माध्यम अभिकरण द्वारा बेदाग इस्पात की प्लेटों, चादरों और पत्ती का सीधा आबंटन करने की नीति दीर्घकालिक आधार पर जारी रखी जाए और इनकी मोटाई तथा क्वालिटी पर किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए, "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने की शर्त समाप्त कर दी जाए, मूल्यों में कमी की जाए, बेदाग इस्पात के उत्पादों के निर्यातकों से निर्यात आदेश प्रस्तुत किए बिना लाइसेंस के लिए अग्रिम आवेदन पर विचार किया जाए, बेदाग इस्पात के उत्पादों के निर्यातकों को सीधे आयात करने/आबद्ध भांडागार से माल को निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाए, लाइसेंस देने वाले क्षेत्रीय प्राधिकारियों को लाइसेंस के अग्रिम आवेदनों पर निर्णय लेने के अधिकार दिए जायें।

(ग) से (घ) अगले वर्ष के लिए नीति बनाते समय इन सुझावों सहित सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया के वाच एंड वार्ड कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

2178. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से तालाबन्दी है, में अभी तक ड्यूटी पर तैनात वाच एंड वार्ड कर्मचारियों को गत दो महीनों से अपना वेतन नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ताकि वाच एंड वार्ड कर्मचारियों को, जो अभी तक ड्यूटी पर हैं, उनका देय वेतन मिले ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) निगम ने 3-3-1978 को सूचित किया है कि सुरक्षा और अन्य अनिवार्य कर्मचारियों को जनवरी, 1978 का वेतन वित्तीय स्रोतों की कमी और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० द्वारा अक्तूबर, 1977 से स्वीकृत कर्ज के भुगतान को रोक लिए जाने के कारण अभी तक नहीं दिया गया है और अब उसने जनवरी तथा फरवरी, 1978 के वेतन के भुगतान के लिए धन राशि का अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिया है।

गोलीबारी में मारे गए बी० सी० सी० एल० के हरिजन कामगारों के आश्रितों को रोजगार

2179. **ए० के० राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 नवम्बर, 1973 को सिजुआ गोलीबारी, जिसमें प्रबन्धकों के सुरक्षा दल द्वारा धनबाद में बी० सी० सी० एल० के छह हरिजन कामगार मारे गये थे, की न्यायिक जांच ने इस गोलीबारी को अनुचित पाया है;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन के मिलने के बाद भी गोली के शिकार हुए इन व्यक्तियों के आश्रितों को कोई मुआवजा और रोजगार नहीं दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय इन मामलों को ऊर्जा मंत्रालय के साथ उठायेगा जिससे अनुचित गोलीबारी के मृतकों के परिवारों को भूखमरी से बचाया जा सके ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) : गसलितन कोलियरी, सिजुवा में 15 नवम्बर, 1973 को हुए गोली कांड की न्यायिक जांच से यह पता चला कि गोली चलाना अनुचित था । गोली चलाने के फलस्वरूप जिन छः श्रमिकों की मृत्यु हुई उनमें से पांच हरिजन थे और वे कोलियरी के श्रमिक थे। छठा व्यक्ति हरिजन नहीं था और न वह कोलियरी का श्रमिक ही था। लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 509, दिनांक 16 नवम्बर, 1977 के उत्तर में यह बता दिया गया था कि गोली कांड में मरे व्यक्तियों के आश्रितों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय कानून मंत्रालय से परामर्श लेकर इस प्रश्न पर, विचार कर रहा है कि मुआवजे के भुगतान के संबंध में बी० सी० सी० एल० की क्या देयता है। श्रम मंत्रालय ने संबंधित प्राधिकारियों को यह परामर्श दिया है कि वे इस मामले में सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनायें।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों, धनबाद के सफाई कर्मचारियों को अस्पतालों में सुविधायें न देना

2180. **श्री ए० के० राय**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में राष्ट्रीयकृत कोयला-खानों में नियुक्त कर्मचारियों को श्रम मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अस्पताल में दाखिल नहीं किया जाता यद्यपि क्लर्कों तथा खानों के बाहर भूमि तल पर काम करने (सरफेस) वाले अन्य श्रमिकों को ये सुविधायें दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन असंगतियों के क्या कारण हैं और उस पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) जी नहीं। कोयला खान कल्याण संगठन के अस्पताल में सभी कोयला खानों में नियोजित सफाई कर्मचारियों को दिसम्बर, 1977 से अन्तरंग चिकित्सा, सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख में सोने की खानें

2182. **श्रीमती पार्वती देवी**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जस्कर, लद्दाख में मिलिंग गांव सीने की खानों के लिए प्रसिद्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार है इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और इस क्षेत्र की सोने की खानों के वैज्ञानिक विदोहन की संभावना का अध्ययन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी नहीं।
(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता।

इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद द्वारा कामगारों की छंटनी

2183. **श्री ए० के० राय**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद द्वारा उपस्थिति नामावली (मस्टर रोल) कामगारों की अवैध छंटनी के प्रश्न पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद द्वारा विचार नहीं किया गचा है;

(ख) क्या उच्चतम न्चायालय द्वारा हाल ही में शिक्षा संस्थाओं को भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इंडियन स्कूल आफ माइन्स के इन पीड़ित कामगारों को राहत देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जो शैक्षणिक संस्थान उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कसौटियों को पुर्ण करते हैं, वे औद्योगिक विवाद अधनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आयेंगे।

(ग) उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय को मद्देनजर रखते हुए असन्तुष्ट कर्मचारी इस ममले को संबंधित राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के साथ उठा सकते हैं।

REQUEST FROM U.P. GOVERNMENT FOR SECURING WORLD BANK FINANCIAL ASSISTANCE

2184. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have urged the Central Government to secure World Bank financial assistance for setting up primary health centres in rural areas; and

(b) if so, the main features thereof and the reaction of Government thereto ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No.

(b) Question does not arise.

ईरान का भारत में प्रस्तावित निवेश

2185. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय**
श्री दी० बी० चन्द्र गौड़ा } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान ने किन-किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश की पेशकश की है, और

(ख) भारत में इस पूंजी निवेश के नियम और शर्तें तथा आधार क्या होंगे ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) : ईरान ने पूर्वी तट-वर्ती बाक्साइट भंडार की अल्यूमिना प्रायोजना में, त्रिपुरा की कागज और लुगदी फैक्टरी तथा राजस्थान नहर के द्वितीय चरण जैसी कतिपय योजनाओं में शामिल होने अथवा वित्त लगाने का प्रस्ताव किया है। इस उद्देश्य के लिए ईरान ने ऋण शर्तों पर अथवा एक मुश्त अदायगी पर, जो भी सुविधाजनक हो, प्रतिवर्ष 'ओपेक' दर पर अतिरिक्त कच्चा तेल देने की पेशकश की है। इन किश्तों अथवा एक मुश्त अदायगी जैसी भी स्थिति हो, के बराबर रुपया भारत में ही पूंजीनिवेश अथवा खर्च के लिए कोष में जमा किया जाएगा या फिर इसका इस्तेमाल अनुमोदित प्रायोजानाओं में वित्त विनियोग के लिए भी किया जा सकेगा।

अधिक ब्यौरा दोनों सरकारों के बीच तय होना है।

उड़ीसा एल्यूमीनियम परियोजना की स्थापना

2186. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा एल्यूमीनियम परियोजना की स्थापना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए कनाडा के ए० एल० सी० ए० एन० का चयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सहयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

बन्धुआ श्रम पद्धति का विद्यमान होना

2187. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री पी० के० कोडियन } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि बन्धुआ श्रम की बुराई अभी तक देश में विद्यमान है।

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह बुराई अब तक विद्यमान है; और

(ग) इसके साथ कारगर ढंग से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और संघीय क्षेत्र मिजोरम ने यह सूचित किया है कि उनके क्षेत्रों में बंधित श्रम प्रणाली विद्यमान है।

(ग) बंधित श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए, बंधित श्रम प्रणाली (उत्पादन) अधिनियम, 1976 बनाया गया है जो 25-10-1975 से लागू हुआ है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें तथा संघीय क्षेत्र जिम्मेवार हैं। उन्हें समय-समय पर लिखा जाता रहा है कि वे इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तगत यथोचित कार्यवाही करें तथा बंधित श्रमिकों का पता लगाने के लिए सवक्षण भी करें ताकि उन्हें मुक्त कराया जा सके और पुनः बसाया जा सके। आशा है कि चालू राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32वें दौर के फलस्वरूप यह सूचना प्राप्त हो सकेगी कि विभिन्न क्षेत्रों में यह प्रणाली किस सीमा तक विद्यमान है।

मुक्त कराए गए बंधित श्रमिकों का पुनर्वास विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की चालू योजनाओं के अधीन किया जा रहा है। साथ ही उन्हें इस प्रयोजन के लिए ऋण भी जहां कहीं उपलब्ध है, ब्याज की विभिन्न दरों पर दिए जा रहे हैं। पुनर्वास की गति तेज करने के लिए केन्द्रीय सरकार का भी उन राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देने का विचार है, जहां चालू योजनाओं के अधीन साधन पर्याप्त नहीं हैं।

एकीकृत इस्पात तथा एल्यूमीनियम संयंत्र के लिए विदेशी पूंजी की खोज

2188. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत इस्पात और एल्यूमीनियम सयंत्रों के निर्माण में विदेशी पूंजी लगाने के इच्छुक देशों की जिन्हें इस्पात और एल्यूमीनियम के निर्यात के रूप में भुगतान किया जायेगा, उनकी खोज की कोई अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन संयंत्रों की स्थापना के लिये रुपये के रूप में संसाधनों का पता लगाने के लिये क्या करेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) 1 से 6 माच 1978 को नई दिल्ली में हुई भारत-रूस संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में विचार-विमश के दौरान क्षतिपूर्ति के आधार पर आन्ध्र प्रदेश में लगभग 600,000 टन वार्षिक क्षमता के एक एल्यूमीना संयंत्र लगाने के बारे में बातचीत में आगे प्रगति हुई है। फाउण्ड्री ग्रेड के कच्चे लोहे की 10 लाख टन वार्षिक क्षमता की एक धमन भट्टी लगाने के बारे में बातचीत में भी प्रगति हुई है।

जहां तक एल्यूमीना संयंत्र का सम्बन्ध है भारत एल्यमीनियम कम्पनी और रूस के मैसर्स मेवटमेटप्रोमेक्सपोर्ट के बीच दो करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं जिनके अनुसार रूसी कम्पनी बाक्साइट निक्षेपों का मूल्यांकन तथा आन्ध्र प्रदेश में इन बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित "क्षतिपूर्ति" के आधार पर एक एल्यूमीना संयंत्र के लिए शक्यता अध्ययन करेगी। यदि संयंत्र लगाना सम्भव हुआ तो रूस संयंत्र के रूपांकन और निर्माण में सहायता देगा और इस प्रकार लगाई गई पूंजी की वापसी रूस को एल्यूमीना का निर्यात करके की जायेगी। जहां तक धमन भट्टी का सम्बन्ध है प्रत्येक पक्ष द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण, रूस द्वारा सप्लाई किये जाने वाले उपस्कर तथा सामग्री की मदों के विवरण, आदि के बारे में अलग से बातचीत की जानी है।

उड़ीसा बाक्साइट के विकास के लिए फ्रांस के मैसर्स एल्यूमीनियम पैचिने द्वारा एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। परियोजना की स्थापना की सम्भावना के बारे में निश्चय हो जाने के पश्चात् ही अंतर्राष्ट्रीय सहायता के बारे में बातचीत की जायेगी।

आशा है उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए आवश्यक रूपया योजना के जिसे पंचवर्षीय योजना के अधीन अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है, समग्र संसाधनों से उपलब्ध हो जाएगा।

वर्ष 1979 के लिये परिवार नियोजन के लक्ष्य

2189. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 के लिये निर्धारित किये गये परिवार नियोजन के लक्ष्यों के पूरा होने की आशा नहीं है और उन्हें पुनरीक्षित किया जा रहा है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम को नया रूप देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यथानिर्धारित परिवार कल्याण कार्यक्रम का जनसंख्या सम्बन्धी उद्देश्य यह था कि जन्म-दर को घटाकर 1978-79 तक 30 प्रति हजार के स्तर

तक लाया जाए। जनवरी, 1978 में हुए केन्द्रीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषदों के चौथे संयुक्त सम्मेलन में परिवार कल्याण कार्यक्रम में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि जन्म दर को घटाकर 1978-79 तक 30 प्रति हजार तक लाने का उद्देश्य पूरा करना सम्भव नहीं है। अतः इस सम्मेलन ने सुझाव दिया है कि 1982–83 तक 30 प्रति हजार का जन्म दर निर्धारित किया जाए। पहले वाले उद्देश्य को पूरा न कर पाने का कारण यह था कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उनको पूरा करने में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्य निष्पादन में कमी रही। आपात-काल के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जोर जबरदस्ती की व्यापक शिकायतों के कारण हाल ही के महीनों में प्रगति रुक गई है।

(ग) और (घ) : वर्तमान सरकार का उद्देश्य परिवार नियोजन को इसकी पुरानी और संकुचित संकल्पना से उभार कर इसे परिवार कल्याण के समग्र दर्शन में उपयुक्त स्वरूप प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का नाम परिबार नियोजन से बदल कर परिवार कल्याण रखना इस कार्यक्रम की नीति के नए स्वरूप का परिचालक है। नई नीति के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में और उस व्यापक नीति के अभिन्न अंग के रूप में जोरदार ढंग से चलाया जाएगा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूति और बाल स्वास्थ्य देख-रेख, परिवार कल्याण, महिलाओं के अधिकार और पोषण शामिल हैं। इस कार्यक्रम को लागू करने में किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं बरती जाएगी। सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक और प्रेरणात्मक गतिविधियों को सुदृढ़ और तेज करने के लिए कदम उठाए हैं और गर्भवती महिलाओं तथा छोटी आयु के बच्चों को रोगों से बचाने के लिए टीके लगाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपोषणज अरक्तता और विटामिन 'ए' की कमी से होने वाले अन्धेपन की रोकथाम सम्बन्धी योजनाओं को अधिक कारगर ढंग से लागू किया जा रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में काफी प्रगति हुई है। परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षण देने का व्यापक कार्यक्रम चलाकर और सहायक नर्स मिडवाइफों की संख्या बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अच्छी तरह प्रसूति देखरेख को सुनिश्चित किया जा रहा है। उप-जिला स्तर की संस्थाओं में भी प्रसवोत्तर कार्यक्रम चलाकर और चुनी हुई तालूक स्तर की संस्थाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में साज सामान, आपरेशन थियेटर और अतिरिक्त पलेगों की व्यवस्था करके लोगों को उनके घरों के पास ही सुरक्षित और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं देने की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। परिवार कल्याण कर्यक्राम को जन आन्दोलन का रूप प्रदान करने के लिए सभी वर्गों के लोगों और उन स्थानीय निर्वाचन नेताओं का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है जिनमें स्वैच्छिक संगठन और संगठित क्षेत्र की श्रमिक संस्थाएं भी शामिल हैं। वर्तमान सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को जोरदार ढंग से चलाएगी और इसमें स्थानीय निर्वाचन नेताओं का भी पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करेगी।

दृष्टि-दोष तथा अन्धता को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

2190. श्री दुर्गा चन्द : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दृष्टि दोष को रोकने तथा अन्धता को नियंत्रित करने पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अधीन पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है; और

(च) क्या इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) यह राष्ट्रीय कार्यक्रम नवम्बर, 1976 में स्वीकृत किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य हैं (1) जन प्रचार के सभी साधनों के जरिये लोगों को यह समझाना कि नेत्रों की देखरेख कैसे की जाती है, इसमें बच्चों और नेत्र रोगों के सहज रूप से हो जाने की सम्भावना वाले अन्य लोगों के नेत्रों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाता है (2) नेत्र रोगों सम्बन्धी चिकित्सा सेवाओं को इस ढंग से बढ़ाना जिससे कि लोगों को कम से कम समय में और एक साथ राहत मिल सके और (3) नेत्रों को स्वस्थ रखने की ऐसी योजना के लिए आधार-भत ढांचा खड़ा करना जिसमें आम लोगों को प्रमुखता प्राप्त हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन सुविधाओं का चरणबद्ध रूप से विकास किया जाना है वे इस प्रकार हैं :—

(1) 80 गश्ती यूनिटों की स्थापना।

(2) 5000 प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों को मजबूत बनाना।

(3) 400 जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करना।

(4) लगभग 30 मेडिकल कालेजों के नेत्र विभागों को सुदृढ़ करना।

(5) देश के 20 क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थानों का विकास करना।

(ग) और (घ) इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में जिसमें पहाड़ी और पिछड़े इलाके भी आ जाते हैं और जहां ऐसी सुविधाएं पहले से विद्यमान नहीं हैं, लोगों को नेत्र सम्बन्धी व्यापक सुविधाएं सुलभ करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं का विकास करना, इनमें पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ङ) जी हां।

(च) स्वैच्छिक एजेन्सियों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ सक्रिय रूप से सम्बध किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ये सुविधाएं पहले से विद्यमान नहीं है विस्तृत नेत्र शिविर आयोजित करने के लिए इन एजेन्सियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री द्वारा निर्मित पुश बटन टेलीफोन उपकरणों की संख्या

2191. श्री दुर्गा चन्द: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने अब तक कितने पुश बटन टेलीफोन उपकरणों का निर्माण किया है;

(ख) एक पुश बटन टेलीफोन उपकरण की लागत क्या है;

(ग) ऐसे कितने उपकरण बेचे गए हैं और कितने मूल्य पर;

(घ) क्या ऐसे उपकरणों की कोई मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे उपकरणों का निर्माण करने का वर्तमान कार्यक्रम क्या है

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री ने अब तक 2100 पुश बटन टेलीफोन उपस्कर तैयार किये हैं।

(ख) पुश बटन टेलीफोन उपकरण का बिक्री मूल्य 1880 रुपये तथा विधि सम्मत कर है।

(ग) सितम्बर, 1975 से जनवरी, 1978 तक 41.41 लाख रुपये के मूल्य के 1898 पुश बटन टेलीफोन उपस्कर बेचे गए।

(घ) ऐसे लगभग 50 उपकरणों की मांग हर महीने रहती है।

(ङ) इस समय इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के भण्डार में लगभग 200 पुश बटन टेलीफोन हैं जिनसे आने वाले चार महीनों के लगभग की मांग पूरी हो सकेगी। मौजूदा भण्डार में और कमी होने पर इस तरह के और उपकरण बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली में क्षय रोग अस्पताल का कार्यकरण

2192. श्री दुर्गाचन्द : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग अस्पताल, महरौली दिल्ली में कुछ कर्मचारियों के साथ किये जा रहे पक्षपातपूर्ण व्यवहार के बारे में कर्मचारियों में कुछ असंतोष है; और

(ख) क्या रोगियों को सप्लाई किये जा रहे घटिया किस्म के भोजन के बारे में भी सरकार को जानकारी मिली है, यदि हां, तो अस्पताल के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) लाला राम स्वरूप अस्पताल, महरौली, भारतीय क्षयरोग संघ द्वारा चलाया जा रहा एक गैर-सरकारी अस्पताल है। वे केवल भारत सरकार से कुछ सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं। भारतीय क्षयरोग संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रश्न के दोनों भागों (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है।

LIBERAL GRANT OF VISAS

†2193. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some agents are alleged to be looting labourers in the name of getting them visa for going to middle east countries; and

(b) if so, whether Government propose to liberalise grant of visa in the same manner as has been done in the case of passports in order to stop exploitation of the labourer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) Yes, Sir. The Government of India have received reports that some agents have extracted money from Indian nationals on the pretext that they would obtain for them visas for entry into Middle East countries.

(b) While passports are issued by Government basically to Indian citizens to travel abroad, the entry into foreign countries is regulated by foreign Governments by the grant of entry visas. The question of Government of India liberalising the grant of visas to enter a foreign country does not arise.

In order to prevent exploitation, every passport, at the time of issue, bears a printed slip advising and cautioning the holder about entry formalities in foreign countries. If a person is proceeding abroad for gainful employment, he is further warned and advised about the need to equip himself with a firm employment contract or a valid sponsorship from a close relative who may already be resident abroad.

कोढ़ का उपचार

2194. **डा० सुशीला नायर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को देखते हुए कि कोढ के 30 प्रतिशत रोगी डी० डी० एस० से ठीक नहीं हो रहे हैं क्या सरकार का विचार कोढ़ के उपचार के लिए और अधिक प्रभावी औषधियों का उपयोग आरम्भ करने का है;

(ख) वे औषधियां क्या हैं और उनसे रोगी का इलाज करने पर कितना खर्च आयेगा; और

(ग) क्या इलाज को कम खर्चीला बनाने के उद्देश्य से कुछ मूल्यवान औषधियों का देश में ही उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) मुख्यत: देर से तथा अनियमित इलाज के कारण कुष्ठ रोग के लगभग 10 प्रतिशत रोगियों पर डी० डी० एस० ने काम नहीं किया। ऐसे रोगियों के मामले में रीफैं-पीसिन तथा लैम्परीन जैसी अन्य कारगर दवाइयों का उपयोग किया जाता है। यदि एक रोगी का एक मास तक रीफेपीसिन से इलाज किया जाए और तीन महीने तक लैम्परीन से इलाज किया जाए तो प्रत्येक इलाज का औसतन खर्च लगभग 350 रुपये बैठता है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी

2195. **डा० सुशीला नायर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी अथवा स्वास्थ्य संरक्षक योजना आरम्भ करने के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या योजना आयोग का विचार योजना का समवर्ती मूल्यांकन करने का है और उक्त प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 14,060 जन स्वास्थ्य रक्षकों के पहले दल ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और समाज सेवा करने के लिए वे अपने-अपने गांवों में लौट गये हैं। जन स्वास्थ्य रक्षकों के दूसरे दल का प्रशिक्षण भी 1 जनवरी, 1978 से आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तथा राज्य सरकारों द्वारा मूल्यांकन करवाने की व्यवस्था की है।

मोतियाबिन्द का आपरेशन कराने वालों को मुफ्त चश्मे

2196. **डा० सुशीला नायर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्धता को रोकने तथा मोतियाबिन्द के आपरेशन की सुविधाएं देने की विशाल प्रस्तावित योजना को देखते हुए, क्या सरकार के पास मोतियाबिन्द का आपरेशन करने वाले रोगियों को मुफ्त अथवा राज सहायता-युक्त मूल्यों पर चश्में उपलब्ध कराने का है;

(ख) क्या दृष्टि की ऐनक बनाने के लिए अपेक्षित किस्म के शीशे अब भारत में ही उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश के नागरिकों की दृष्टि-सुरक्षा के हित में इन शीशों का आयात करने का है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मैसर्स भारत आफथैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना है, भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अनुसार आफथैलमिक ग्लास ब्लैंक्स का निर्माण कर रही हैं। चूंकि इस यूनिट का उत्पादन देश की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं है इसलिए आयात की अनुमति दी जा रही है।

राज्यों की राजधानियों और डिवीजनल मुख्यालयों के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन की सुविधायें और बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) में स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किया जाना

2197. **डा० सुशीला नायर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में राज्यों की राजधानियों और डिवीजनल मुख्यालयों के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नगरों के, राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) क्या बुन्देलखण्ड के डिवीजनल मुख्यालय में कोई स्वचालित एक्सचेंज नहीं है जिससे जनता तथा प्रशासन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) इस कमी को कितनी जल्दी दूर किया जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां। उपभोक्ता ट्रंक डायल सुविधाएं कई राज्यों में राजधानियों और कुछ डिवीजनल मुख्यालयों के बीच पहले ही मौजूद है।

(ख)	1. आन्ध्र	कोई डिवीजन नहीं।
	2. अरुणाचल	कोई डिवीजन नहीं।
	3. असम	राजधानी और उसी में डिविजन मुख्यालय।
	4. बिहार	मुजफ्फरपुर से पटना।
	5. गुजरात	कोई डिवीजन नहीं।
	6. जम्मू व कश्मीर	जम्मू से श्रीनगर।
	7. केरल	कोई डिवीजन नहीं।
	8. कर्नाटक	बेलगाम।
	9. हरियाणा	अम्बाला से चण्डीगढ़।
	10. हिमाचल	कोई डिवीजन नहीं।
	11. मणिपुर	—वही—
	12. मेघालय	—वही—
	13. मध्य प्रदेश	इन्दौर से भोपाल।
	14. महाराष्ट्र	नागपुर से बम्बई और पूना से बम्बई।
	15. मिजोरम	कोई डिवीजन नहीं।
	16. नागालैंड	—वही—
	17. उड़ीसा	कटक से भुवनेश्वर।
	18. पंजाब	जालंधर से चण्डीगढ़।
	19. राजस्थान	डिवीजनल मुख्यालय और राजधानी के बीच कोई एस० टी० डी० नहीं है।
	20. तमिलनाडु	कोई डिवीजन नहीं।
	21. त्रिपुरा	कोई डिवीजन नहीं।
	22. उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद से लखनऊ, फैजाबाद से लखनऊ, वाराणसी से लखनऊ।
	23. पश्चिम बंगाल	डिवीजनल मुख्यालयों और राजधानी के बीच कोई एस० टी० डी० नहीं।
	24. सिक्किम	कोई डिवीजन नहीं।
	25. गोवा, दमण और दीव	—वही—

(ग) झांसी में बुन्देलखण्ड के मुख्यालय में एक मैनुअल एक्सचेंज है।

(घ) अस्थायी तौर पर यह कार्यक्रम बनाया गया है कि झांसी के टेलीफोन एक्सचेंज को आटोमैटिक बनाने के लिए उपस्कर का अलाटमेंट सातवीं योजना के प्रारम्भ में कर दिया जाए।

जिपमेर अल्पताल, पांडिचेरी द्वारा वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित न किया जाना

2198. **श्री भगत राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तीसरे वेतन आयोग ने प्रत्येक श्रेणी के पदों में 20 प्रतिशत 'चयन ग्रेड' की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पांडिचेरी स्थित जिपमेर अस्पताल में 'चयन ग्रेड' के इस उपबन्ध को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी श्रेणियों के लिए बिना किसी और विलम्ब के चयन ग्रेड के पद लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में निम्नलिखित श्रेणी के पदों के लिए "सेलेक्शन ग्रेड" स्वीकृत करते हुए सरकारी आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं :--

(1) तकनीकी सहायक
(2) फर्मासिस्ट
(3) रेडियोग्राफर
(4) डार्करूम सहायक
(5) जन स्वास्थ्य नर्स
(6) हवलदार/सुरक्षा सारजेंट
(7) मिडवाइफ
(8) सामाजिक कार्यकर्ता
(9) प्रयोगशाला परिचारक
(10) परिचारक
(11) सहायक माली
(12) थियेटर परिचारक
(13) चपरासी
(14) वाच मैन/चौकीदार
(15) मेहतर/मेहतर-सफाई कर्मचारी
(16) स्टाफ नर्स
(17) दफ्तरी

ड्राइवरों को सेलेक्शन ग्रेड देने के सामान्य प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

जिपमेर अस्पताल, पांडिचेरी के कर्मचारियों का स्थायीकरण

2199. **श्री भगत राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पांडिचेरी स्थित जिपमेर अस्पताल के कर्मचारियों को जिन्होंने 10 वर्ष से भी अधिक सेवा पूरी कर ली है, अभी भी अस्थाई कर्मचारियों के रूप में रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन सभी कर्मचारियों को स्थायी बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख), (ग) और (घ) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी के प्रिंसिपल से यह पता चला है कि वर्तमान 1322 स्थायी पदों में से 1004 पदों पर कर्मचारियों को पहले ही स्थायी कर दिया गया है । यद्यपि कुछेक व्यक्तियों के मामले उनकी प्रतिकूल रिपोर्टों के कारण स्थगित कर दिए गये हैं, तथापि शेष व्यक्तियों के बारे में कार्यवाही की जा रही है । इस मामले का शीघ्र निपटान करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है । परन्तु निश्चित रूप से यह कह पाना कठिन है कि कर्मचारी कब तक स्थायी कर दिये जायेंगे ।

जिपमेर अस्पताल पांडिचेरी के स्टाफ और कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाना

2200. **श्री भगत राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि जिपमेर अस्पताल, पांडिचेरी के स्टाफ और कर्मचारियों को रात्रि के समय ड्यूटी देते हुए 4 घंटे अतिरिक्त काम के लिये समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता;

(ख) क्या सरकार को पता है कि समयोपरि भत्ता दिये जाने की मांग वर्ष 1968 से विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो श्रम निधियों का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) यह सही है कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में स्टाफ के कुछेक वर्गों जैसे नर्सों, को जिन्हें रात्रि ड्यूटी करनी पड़ती है, समयोपरि भत्ता नहीं मिलता ।

(ख), (ग) और (घ) सरकार को संबंधित कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने संबंधी मांग की जानकारी है लेकिन वह इसे मानने में असमर्थ हैं । तथापि, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण दल की सिफारिशों के फलस्वरूप कुछेक अतिरिक्त पद बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । यदि इस पर निर्णय हो जाता है तो इससे नर्सिंग तथा अन्य स्टाफ को 12 घंटे की रात्रि ड्यूटी से राहत पाना सम्भव हो सकेगा ।

जिपमेर अस्पताल एम्पलाइज यूनियन, पांडिचेरी को मान्यता दिया जाना

2201. **श्री भगत राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जिपमेर अस्पताल एम्पलाइज यूनियन पांडिचेरी को मान्यता देने की लम्बे समय से की जा रही मांग की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसे मान्यता देने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

इस्पात उद्योग में ठेका श्रमिक प्रथा का उत्पादन

2202. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस्पात उद्योग में ठेका श्रमिक प्रथा का उत्सादन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : अन्य उद्योगों की तरह इस्पात उद्योग में भी ठेका श्रमिक लगाने का कार्य ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियंत्रित तथा विनियमित किया जाता है । लेकिन इस्पात उद्योग के लिए संयुक्त वेतन-वार्ता समिति द्वारा (जिसे अब राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति कहा जाता है) हस्ताक्षरित द्विपक्षीय वेतन करारों में सिद्धान्ततः यह बात मान ली गई है कि इस्पात उद्योग में स्थायी और निरन्तर चलने वाले कार्यों के लिए न तो ठेकेदारों की मार्फत श्रमिक रखे जाएंगे और न ठेकेदार के मजदूर रखे जायेंगे । तदनुसार इस्पात कारखानों के प्रबन्धक उचित कार्रवाई कर रहे हैं और स्थायी तथा निरन्तर चलने वाले कई कार्य विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के पाइप लाइन एकक में हड़ताल

2203. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रबंधकों द्वारा दो कर्मचारियों को दिये गये मुअत्तली आदेशों के विरोध में राउरकेला इस्पात संयंत्र के पाइप एकक में 300 कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के मुअत्तली आदेशों को वापिस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : क) और (ख) जी, हां। 29 जनवरी, 1978 को राउरकेला इस्पात कारखाने के इलेक्ट्रिकल रिजिस्टन्स वेल्ड पाइप प्लांट के 300 कामगारों ने बिना कोई नोटिस दिए अथवा बिना कोई कारण बताए हड़ताल कर दी थी । बाद में समझौता वार्ता के दौरान ही इस बात का पता चल सका कि कामगारों द्वारा हड़ताल करने का एक कारण यह था कि प्रबन्धकों ने दो कामगारों को मुअत्तल कर दिया था। समझौता हो जाने पर 18 फरवरी, 1978 को हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। इससे पूर्व 14 फरवरी, 1978 को कामगारों का मुअत्तली आदेश वापिस ले लिया गया था।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित न किये जाने के कारण

2204. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : यह रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट से उत्पन्न हुये सभी प्रश्नों का, जिनमें रिपोर्ट के प्रकाशन का प्रश्न शामिल है, सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके अध्ययन किया जा रहा है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में आपातकाल के दौरान पीड़ित किये गये कर्मचारियों की बहाली

2205. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में विशेष रूप से गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में आपातकाल में पीड़ित किये गये सभी कर्मचारियों को बहाल करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) कितने मामलों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और कर्मचारियों के बहाल कराने में सफलता मिली; और

(ग) कितने मामले निपटाने के लिये बाकी हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अप्रैल, 1977 में सभी राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों और सरकारी उद्यम ब्यूरो को यह अनुदेश जारी किए गए थे कि वे सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के उन सभी कर्मचारियों को, जो आपात स्थिति के दौरान भारतीय आंतरिक सुरक्षा नियमों या भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियमों और प्रतिषिद्ध संगठनों से संबंधित तत्कालीन केन्द्रीय सरकार के आदेशों के प्रवर्तन के कारण अपनी नौकरी खो बैठे थे, बहाल कराएं और ऐसे सभी मामलों को, जिनमें नियोजकों ने आपात स्थिति के वातावरण का लाभ उठाते हुए कानूनी प्रक्रिया और निर्धारित कार्य पद्धति का सहारा लिए बगैर और स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण किए बगैर कर्मचारियों को बरखास्त या पदच्युत कर दिया था, पुनरीक्षा करें और संबंधित कर्मचारियों को अपनी सफाई देने का नया अवसर प्रदान करें। इन हिदायतों का यथा सम्भव अधिकतम प्रचार किया गया। नियोजकों और श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे सरकार की हिदायतों को लागू करने के लिए इस मामले में सरकार के साथ सहयोग करें। प्राप्त हुए सभी वैयक्तिक अभ्यावेदनों को संबंधित राज्य सरकारों या केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ उठाया गया तथा उन्हें यह हिदायत की गई कि सरकार के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए वे समुचित कार्यवाही करें।

(ख) और (ग). केन्द्रीय क्षेत्र के 146 सरकारी उपक्रमों से प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रभावित हुए 365 कर्मचारियों में से 264 कर्मचारियों को सेवा में बहाल कर दिया गया है। निजी क्षेत्र के संबंध में सही सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

LINKING OF POLICE STATIONS WITH DISTRICTS IN U.P. BY TELEPHONE

†2206. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the police stations in many Districts of Uttar Pradesh which have higher crime incidence are not linked by direct telephones with Districts; and

(b) if so, the names of such police stations not linked with Districts and the steps being taken to provide these facilities there ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) & (b) : The names of the police station in U.P. having crime incidence is not known to the Ministry of Communications. The information regarding availability of direct telephone links of the police stations with District Headquarters will be placed on the table of the House after the information is obtained.

APPOINTMENT OF SUPERINTENDENT OF POST OFFICES

†2207. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether one Superintendent of Post and Telegraph is appointed in each district to Supervise/control postal services; and

(b) if so, the criteria adopted in this appointment and whether appointments have been made in every district ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

आयल फायर्ड कार्निश बायलर की खरीद

2208. श्री ए० मुरुगेसन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4826 के उत्तर में उल्लिखित आयल फायर्ड कार्निश बायलर की खरीद के सम्बन्ध में जांच कर ली है विशेषकर जबकि डिपो के कार्यक्रम तय नहीं हुए थे;

(ख) संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध 78,750/- रुपये (बिक्री कर, भाड़ा आदि छोड़कर) फालतू खर्च करने और बायलर को 12 वर्ष तक बेकार रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने फार्मास्यूटिकल फैक्टरी के विस्तार कार्य-क्रम के संबंध में बायलर के उपयोग में लाने की व्यवहार्यता की जांच कर ली है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में दन्तचिकित्सकों का योगदान

2209. श्री अघन सिंह ठाकुर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जनवरी को नई दिल्ली में हुए डेंटिस्ट एसोसिएशन आफ इण्डिया के वार्षिक सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्रों में दंतचिकित्सकों के योगदान के सम्बन्ध में डा० गोयला द्वारा तैयार की गई किसी योजना पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) जी हाँ ।

(ख) भारतीय दन्तचिकित्सा संघ से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) जो दन्त चिकित्सक रजिस्टर्ड नहीं हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए दन्त चिकित्सा रजिस्टर के भाग (ख) को सम्पूर्ण भारत में पुनः चालू कर दिया जाए और सभी राज्यों में निर्धारित तारीख को हमेशा के लिए एक साथ बंद कर दिया जाए ।

(ii) इस तरह रजिस्टर्ड हुए व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग भारत सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अधीन ग्रामीण इलाकों में किया जा सकता है ।

(iii) इन व्यक्तियों को तीन मास का प्रशिक्षण दिया जा सकता है और उन्हें दन्त चिकित्सा सम्बन्धी किटें सप्लाई की जा सकती हैं ।

दन्त चिकित्सा अधिनियम 1948 की धारा 32(2) के अनुसार राज्य सरकारों को सरकारी राजपत्र में एक तारीख अधिसूचित करनी होती है जिस दिन अथवा उससे पहले रजिस्ट्रेशन के सभी आवेदन पत्र उक्त अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन गठित रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को भेजने होते हैं । इस प्रकार आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए केवल एक ही तारीख निर्धारित की जा सकती है और इस को बढाया नहीं जा सकता है । अतः देश भर में दन्त चिकित्सा रजिस्टर को पुनः चालू करके दन्त चिकित्सा कार्य कर रहे अनर्ह चिकित्सकों का पंजीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर पाना सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार की जन स्वास्थ्य रक्षक योजना में दन्त चिकित्सकों को नियुक्त/उपयोग करने की कोई अलग व्यवस्था नहीं है ।

इस्पात संयंत्रों की कोकिंग कोयले की आवश्यकताएं

2210. श्री अघन सिंह ठाकुर : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिये कोकिंग कोयले की मासिक आवश्यकता क्या है, और

(ख) इन संयंत्रों को गत तीन मास में संयंत्र-वार कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1977-78 के लिए इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की औसतन मासिक आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं :—

	(हजार टन)
भिलाई इस्पात कारखाना	334
राउरकेला इस्पात कारखाना	220
दुर्गापुर इस्पात कारखाना (दुर्गापुर इस्पात कारखाने की शोधनशाला भी शामिल है)	186
बोकारो इस्पात कारखाना	264
इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी	158
टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी	218
कुल	1360

(ख) पिछले तीन महीनों में इन कारखानों को प्राप्त हुई कोककर कोयले की मात्रा नीचे दी गई है :—

(हजार टन)

कारखाना	प्राप्त हुआ कोककर कोयला		
	दिसम्बर, 1977	जनवरी, 1978	फरवरी, 1978
भिलाई इस्पात कारखाना .	341	345	307
राउरकेला इस्पात कारखाना . . .	175	178	179
दुर्गापुर इस्पात कारखाना . . .	166	188	176
बोकारो स्टील लि० . .	252	216	209
इस्को	139	131	125
टिस्को . . .	231	195	212
कुल	1304	1253	1208

संक्रामक रोग और कैंसर के लिए औषधि

2211. **श्री अघन सिंह ठाकुर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संक्रामक रोगों और कैंसर का इलाज करने के लिये आश्चर्य चकित कर देने वाले 'इंटरफेरोन' के प्रयोग में टोक्यो के एक चिकित्सक दल को सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त औषधि की प्रभावशीलता के परीक्षण के बारे में कोई जांच-पड़ताल करने का है और यदि उसे संतोषजनक पाया गया, तो उसे भारत में कैंसर के रोगियों के इलाज के लिये प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 11 जनवरी, 1978 के टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली संस्करण में इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) परीक्षणों में इन्टरफेरोन प्रभावकारी सिद्ध हुआ या नहीं तथा क्लिनिकी परीक्षणों द्वारा उसकी प्रभावकारिता जानने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब जापानी इस औषधि का बड़ पैमाने पर उत्पादन करने में कामयाब हो जायेंगे और काफी रोगियों पर इसका प्रयोग हो चुकेगा।

MEDICAL GRADUATES

2212. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the total number of medical graduates in 1976-77 and the number of those out of them who went abroad for further studies;

(b) whether it is a fact that they go abroad for studies because of the absence of full facilities for their career; and

(c) if so, whether Government propose to make such arrangements to utilise their services in the country itself ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) A total of 20,09,333 medical graduates were registered with the various medical Councils in the country in the year 1976. The Government of India are not maintaining any records regarding the number of doctors going abroad for employment for higher studies.

(b) No. Adequate facilities are available for higher training in India in various specialised fields.

(c) The Government of India have taken various steps to utilize the services of medical graduates in the country itself.

DIVISIONAL HEADQUARTERS IN U.P. NOT HAVING DIRECT DIALLING

+2213. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the names of the divisional headquarters in Uttar Pradesh where facility of direct dialing system has not been provided; and

(b) the reasons for not providing it so far and the time by which it will be provided there ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) & (b) : Gorakhpur, Jhansi, Nainital and Pauri-Garhwal do not yet have automatic exchanges.

There is acute shortage automatic exchange equipment. The manual exchange are being automatised in a phased manner. The programme of automatization of the exchanges mentioned above is as under :

(i) Gorakhpur : A 2700 lines automatic exchange is already under installation and is likely to be commissioned by end of this month.

(ii) Jhansi : The automatic exchange is expected to come up in the 7th Plan.

(iii) Nainital : The exchange is programmed to be commissioned in 80-81.

(iv) Pauri Garhwal : A small automatic exchange is planned in 81-82.

TELEX EXCHANGES IN THE COUNTRY

+2214. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number and names of cities and towns in Uttar Pradesh having telex exchanges;

(b) whether it is proposed to open such exchanges in the State under Sixth Five-Year Plan; and

(c) if so, main facts of the proposal and the places where these exchanges are to be set up ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) There are eight Telex Exchanges in Uttar Pradesh at the following stations :—

Agra, Allahabad, Dehradun, Kanpur, Lucknow, Meerut, Rae Bareilly and Varanasi. The 9th Telex Exchange is under installation at Ghaziabad.

(b) Yes, Sir.

(c) In the 6th Plan, there are proposals to provide Telex facilities at the following twenty three places, subject to adequate demand coming up :

Aligarh, Bareilly, Bhadoi, Gorakhpur, Jhansi, Faizabad, Mirzapur, Moradabad, Muzagarnagar, Saharanpur, Cikandrabad, Sitapur, Bulandshahr, Farukhabad, Haldwani, Hapur, Hardwar, Mathura, Modinagar, Mussoorie, Rampur, Ferozabad, Shahjahanpur.

दुर्गापुर में टेलीफोन में सुधार

2215. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दुर्गापुर टेलीफोन सेवा की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दुर्गापुर में फोन सेवाओं में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी नहीं। दुर्गापुर की टेलीफोन सेवाओं के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है। फिर भी, सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक सामान्य उपाय के रूप में, जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, एक्सचेंज संयंत्रों की ओवरहालिंग और उपभोक्ताओं के अहाते में लगे साजसामान को व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया गया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की समस्या

2216. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र विद्युत और कोयले की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि दामोदर घाटी निगम ने विद्युत की सप्लाई के सम्बन्ध में अपना वचन पूरा नहीं किया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) इन समस्याओं के बारे में सम्बन्धित अभिकरणों से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

(ग) जी, हां।

कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी लागू करना

2217. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी लागू करने के बारे में 24 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत से राज्यों के बहुत से प्रदेशों/क्षेत्रों में सांविधिक न्यूनतम मजूरी केवल कागजों पर ही है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि बहुत से क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को वर्तमान दरें बढ़ाने के बारे में सरकार के नये आदेश की जानकारी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई उपाय किये जा रहे हैं, तो क्या ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) एक विवरण जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित कृषि श्रमिकों के लिए नवीनतम न्यूनतम मजदूरी-दरें दिखाई गई हैं और एक विवरण जिसमें वर्ष 1976-77 के दौरान विभिन्न राज्यों में हलवाहा या खेत मजदूरों की वास्तविक दैनिक मजदूरी दरें (वार्षिक औसतों की) दिखाई गई हैं संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1760/78]

(ख) और (ग) सरकार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही लिख चुकी है कि वे अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी-दरों को व्यापक प्रचार देने के लिए प्रभावी कदम उठाए। किए गए कुछ उपायों में जन सम्पर्क के विभिन्न माध्यमों से प्रचार शामिल है। अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू करने हेतू कारगर कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को समय-सयम पर सलाह भी दी गई है। किए गए कुछ उपायों में से कुछ ये हैं—प्रशासी ढ़ांचे को सुदृढ़ करना, श्रम विभागों के कर्मचारियों के अतिरिक्त राजस्व, कृषि, ग्राम विकास जैसे विभागों के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना तथा दावा प्राधिकारियों की सख्या बढ़ाना।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

2218 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सबसे अधिक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य योजनायें क्या हैं ;

(ख) इन क्षेत्रों में पहले से क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कैसे और कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :(क), (ख) और (ग) अधिकांश अन्य क्षेत्रों की भांति पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों द्वारा सुविधायें प्रदान की जा रही हैं जिन की सख्या क्रमश: 5372 तथा 37,775 है। देश के आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में लगभग 892 ब्लाक हैं। इन आदिवासी ब्लाकों में लगभग 812 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 2559 उप-केन्द्र खुले हुये हैं। इस प्रकार 86.2 प्रतिशत से अधिक आदिवासी ब्लाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र खोले जा चुके हैं। क्योंकि डाक्टर तथा परा-चिकित्सा कर्मचारी ऐसे इलाकों में काम करने के लिए राजी नहीं होते जहां पर्याप्त आवासीय, पानी, बिजली आदि की सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें इन इलाकों में काम करने के लिए आकर्षित करने की दृष्टि से चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई थी। गुजरात, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के अलावा आदिवासी लोगों के लिये अलग से गश्ती स्वास्थ्य यूनिट/औषधालय हैं।

पांचवीं पंच वर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य पक्ष में इस बात पर बल दिया गया है कि देश में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना को शुरू करने संबंधी मार्गदर्शी सिदधान्तों तथा प्राथमिकताओं में इस बात पर बल दिया गया है कि न्यूनतम आवश्यकता स्वास्थ्य कार्यक्रम को उन गांवों में चलाने के लिए प्राथमिकता दी जाए जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं तथा जो पहाड़ी क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित

हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में तथा अपर्याप्त संचार व्यवस्था वाले क्षेत्रों और उन पहाड़ी क्षेत्रों में जिनमें माताओं और बच्चों की मृत्यु दर अधिक है, अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने संबंधी कार्य को प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया है। ऐसी हिदायतें भी दी गयी हैं कि आदिवासी/पहाड़ी इलाकों की जो लड़कियां सहायक नर्स मिडवाइफ/लेडी हैल्थ विजिटर का प्रशिक्षण लेना चाहती हों उन्हें इस प्रशिक्षण में अन्य लड़कियों के साथ प्रतियोगिता में भाग लिये बिना सीधे दाखिला दे दिया जाए बशर्ते कि उनके पास अपेक्षित अर्हताएं हों।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में, जो हाल ही में आरम्भ की गई है, ऐसी हिदायतें हैं कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां कि आबादी कम है, जनस्वास्थ्य रक्षकों के चयन सम्बन्धी मानदण्ड शिथिल कर दिए जाएं।

देश में तथा आन्ध्र प्रदेश में लगाए गए सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या

2219. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कितने टेलीफोन लगाए गए हैं ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान 15-2-78 तक देश में लम्बी दूरी के 1033 पी-सी-ओ खोले गए थे।

(ख) उपर्युक्त में से 145 पी-सी-ओ आन्ध्र प्रदेश में खोले गए हैं।

CITIES HAVING S.T.D. FACILITIES WITH DELHI AND OTHER CITIES

†2220. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the names of the cities for which S.T.D. facility is available from Delhi;

(b) the names of the cities having S.T.D. facilities with other cities in various States;

(c) whether Government propose to extend S.T.D. facilities to other cities from Delhi and capitals of the various States during the next financial year and if so, their names; and

(d) the names of the other cities in addition to those mentioned in parts (a) and (b) above, which are interlinked by S.T.D. ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) and (b) A list is laid on the table of the House. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1761/78].

(c) Yes Sir, list is laid on the table of the House.

(d) Nil.

NUMBER OF TELEPHONE CONNECTIONS IN THE COUNTRY AND MAJOR CITIES AND APPLICATIONS PENDING AT PRESENT

†2221. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of telephone connections in the country at present, State-wise and district-wise;

(b) the number of telephone connections in each of 20 major cities of the country and the number of applications pending in each of these cities at present; and

(c) whether telephone connections will be provided to all the persons who have been registered so far in the next two years and if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) The number of telephone connections in the country as on 31-12-77 is as follows :

Sl. No.	State	Working connections
1.	Andhra	1,01,206
2.	Bihar	48,919
3.	Gujarat (including Daman, Diu and Silvasa)	1,42,786
4.	J & K	11,725
5.	Karnataka	96,244
6.	Kelala (including Laksha Dweep & Mahe)	74,284
7.	M.P.	61,108
8.	Maharashtra Telecom. Circle and Bombay Telephone District i.e. Maharashtra & Goa State	3,26,923
9.	North Eastern Telecom. Circle (covering Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland & Tripura)	29,925
10.	North Western Telecom. Circle (covering Punjab, Haryana & H.P.)	1,00,404
11.	Orissa	21,364
12.	Rajasthan	52,963
13.	Tamilnadu (including Pondicherry)	1,71,446
14.	U.P.	1,23,104
15.	West Bengal (including Sikkim and A. Nicobar)	1,74,203
16.	Delhi	1,34,663
	Total	**16,71,267**

Information about working connections is maintained separately for each telephone exchange and telecom. and telephone district. Collection of number of working connections for each revenue district would require considerable time and effort.

(b) The working connections and the waiting list in 20 major cities of the country as on 31-12-77 is as follows :—

S. No.	Name of city	Working connections	Waiting List
1.	Ahmedabad	39065	10850
2.	Amritsar	12998	946
3.	Bangalore	39684	4094
4.	Chandigarh	9702	2089
5.	Coimbatore	11825	6
6.	Ernakulam	10259	1640
7.	Hyderabad	35192	2444
8.	Indore	12665	157
9.	Jaipur	13911	2107
10.	Kanpur	20012	977
11.	Lucknow	13973	610
12.	Ludhiana	9492	4419
13.	Nagpur	12070	205
14.	Patna	11764	37
15.	Pune	26147	1614
16	Surat.	14365	2657
17.	Bombay	206178	47862
18.	Calcutta	143498	26024
19.	Delhi	134663	46017
20.	Madras	72565	2682

(c) No Sir. However efforts are being made to clear the majority of this waiting list by the end of 1980. In certain areas in some of the larger towns and cities it may not be possible to achieve the same. It may also not be possible to provide very long distance connections in a few smaller towns.

HINDI IN U.N.O.

†2222. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA
SHRI UGRASEN : } : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the efforts made so far by Government for making Hindi as one of the official languages of United Nations Organizations and the result thereof; and

(b) the action proposed to be taken by Government in future, in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a)and (b) The introduction of additional language as an official language of the United Nations requires an affirmative decision of the UN General Assembly. Before formally moving the UN General Assembly for including Hindi as one of its official languages, we are examining all the implications. In the meanwhile, the possibility of important documents being brought out in Hindi is also being explored.

APPLICATIONS FOR O.Y.T. GENERAL AND SPECIAL TELEPHONE CONNECTIONS PENDING IN DELHI

†2223. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of applications for O.Y.T. general and special telephone connections pending with each telephone exchange under Delhi Telephone District as on 31st January 1978;

(b) the number of telephone connections proposed to be provided in each category during the remaining period of the current financial year under each telephone exchange; and

(c) the serial number and dates of the applications in the waiting lists of each category which are proposed to be covered ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) to (c) A statement is laid on the table of Lok Sabha.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1762/78].

मंत्री द्वारा इस्पात संयंत्रों का निरीक्षण

2224. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में अभी इस्पात संयंत्रों के कार्यकरण की जांच करने के लिये उन संयंत्रों का दौरा किया था,

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक संयंत्र में तैयार उत्पाद कितने एकत्र हो गये और प्रत्येक महीने में कोक तथा कोयले के स्टाक की स्थिति क्या रही;

(घ) स्टाक की स्थिति में सुधार करने तथा तैयार उत्पादों की ढुलाई के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उनके दौरों के बाद संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख) और (ङ) मैंने हाल में राउरकेला, भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों का दौरा किया था। इन दौरों के दौरान मैंने सम्बन्धित

अधिकारियों के साथ इन कारखानों के कार्यकरण की समीक्षा की थी और इस बात पर विचार-विमर्श किया था कि इन कारखानों के उत्पादन में बाधक रुकावटों को कैसे दूर किया जाय, संयंत्र के आधुनिकीकरण, भावी योजनाओं तथा मालिक-मजदूर सम्बन्धों की समस्याओं से सम्बन्धित कुछ मामलों पर भी बातचीत हुई थी और संयंत्रों के कार्यकरण में समग्र रूप से सुधार लाने के लिए निर्णय लिए गए थे।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में प्रत्येक कारखाने में विक्रेय इस्पात, कोक और कोयले के स्टाक की महीनावार स्थिति संलग्न अनुलग्नक में दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1763/78] ।

(घ) इस्पात कारखानों से तैयार इस्पात की तेजी से ढुलाई सुनिश्चित करने के लिये सेल तथा इस्पात और खान मंत्रालय दोनों द्वारा संयंत्र स्तर पर रेलवे के साथ सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है। इसी प्रकार इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की आपूर्ति तथा ढुलाई के बारे में जानकारी रखने के लिए रेलवे, कोल इंडिया लि० तथा कोयला विभाग से सम्पर्क रखा जा रहा है। हर महीने स्थिति की समीक्षा की जाती है परन्तु भरसक प्रयत्नों के बावजूद कोककर कोयले के मामले में स्टाक की स्थिति असन्तोषजनक बनी हुई है ।

चालू वित्त वर्ष के आरम्भ में विक्रेय इस्पात का स्टाक 329.6 हजार टन था जो घटकर 1-3-1978 को 270.7 हजार टन रह गया था। उत्पादन की वर्तमान दर से यह स्टाक केवल 13 दिन के उत्पादन के बराबर है।

टेलीफोन संबंधी शिकायतें सुनने लिए एक सार्वजनिक सेल खोलना

2225. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा**
श्री वसन्त साठे } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनरल मैनेजर (टेलीफोन) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों की संख्या न केवल इस कारण बढ़ी है कि उन्हें उचित अधिकारी तक पहुचने का निदेश देने के लिये वहां कोई नहीं है बल्कि उस कारण भी बढ़ी है कि अधिकारी भी उनसे मिलने में अधिक रुचि नहीं लेते हैं;

(ख) क्या यहां तक कि जनरल मैनेजर जो केवल कुछ महीने पूर्व प्रतिदिन जनता के लगभग 50 व्यक्तियों से मिलता था वह अब चार अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों से नहीं मिल पाता है और इन्टरव्यु तब ही होते हैं यदि वे एक दिन पूर्व निर्धारित कर लिये जायें; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सामान्य जनता की टेलीफोन सम्बन्धी शिकायतों को सुनने के लिये कोई सार्वजनिक सैल खोलने का है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। ये आरोप सही नहीं हैं।

(ख) जी नहीं, जनरल मैनेजर, निश्चित तारीखों पर पहले समय निश्चित करके उन्हीं आगंतुकों से मिलते हैं जो निचले स्तर के अधिकारियों से संतुष्ट नहीं होते। इस प्रकार मुलाकात के समय मामले से संबंधित रिकार्ड तैयार रखने में सुविधा रहती है।

(ग) जनरल मैनेजर टेलीफोन के कार्यालय में और एरिया मैनेजर टेलीफोन के कार्यालयों में 14-10-77 से एक सार्वजनिक शिकायत कक्ष काम कर रहा है।

चल डाकघरों के माध्यम से गांवों को डाक काउंटर सुविधायें

2226. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1978 के अन्त में गांवों को चलते फिरते डाकघर के माध्यम से डाक काउंटर सुविधाएं दिए जाने के काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) 31-1-1978 तक चलते फिरते डाकघरों के जरिए 57360 गांवों में डाक काउंटर सुविधाएं दे दी गई हैं जबकि वर्ष 1977-78 के दौरान, 50,000 गांवों में यह सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

2227. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**
श्री के० राममूर्ति } **: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की, विशेषरूप से नीमहकीम नियुक्त करने की प्रसिद्ध डाक्टरों तथा भारतीय चिकित्सा संघों के अध्यक्षों और राष्ट्र मंडल चिकित्सा संघ (कामनवैल्थ मेडिकल एसोसिएशन) द्वारा की गई आलोचना पर ध्यान दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के विरुद्ध प्रेस में जो भी आलोचना प्रकाशित हुई है अथवा उसकी जो भी जानकारी मिली है, सरकार ने उस पर ध्यान दिया है । अधिकांश डाक्टर इस योजना के महत्व और उद्देश्यों से सहमत हैं ।

29–31 जनवरी, 1978 को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के चतुर्थ संयुक्त सम्मेलन में भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष भी शरीक हुए थे । उक्त सम्मेलन में उन्होंने योजना की आलोचना नहीं की । उक्त संघ की दिल्ली शाखा के अध्यक्ष भी सम्मेलन में उपस्थित थे । लेकिन उन्होंने भी इसकी आलोचना नहीं की । सम्मेलन में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, भारतीय चिकित्सा रिसर्च परिषद के अध्यक्ष तथा विषय के अन्य विशिष्ट विशेषज्ञ भी उपस्थित थे जिन्होंने योजना की प्रशंसा की । विदेशों के विशेषज्ञों ने भी योजना का स्वागत किया है । राज्यों से मिली खबरों एवं अधिकारियों के दौरों की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि योजना के प्रति लोगों में उत्साह एवं प्रसन्नता है ।

जन स्वास्थ्य रक्षक डाक्टर नहीं हैं । वे केवल लोगों द्वारा चुने गये स्वास्थ्य रक्षक हैं । यह योजना लोगों को अपनी देखभाल स्वयं करने के लिए तैयार करने की दिशा में एक कदम है ।

एक डच कम्पनी से 'कोल्ड रोल्ड" इस्पात चादरों का आयात

2229. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "हुगवीनस" नामक एक डच कम्पनी से "कोल्ड रोल्ड" इस्पात चादरों का भारी मात्रा में आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी प्रतिटन क्या कीमत अदा की जायेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि यह कीमत विश्व बाजार दरों से बहुत अधिक है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं । लेकिन सैल इन्टरनेशनल अन्ततः उपयोक्ताओं की समय-समय पर इस्पात सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्पात का आयात करती है । वर्ष 1977-78 के दौरान इस्पात की जिन मदों का आयात किया जा रहा है उनमें ठण्डी बैलित चादरों क्वायल भी शामिल हैं । यह सच है कि सैल इन्टरनेशनल ने जिस प्रकार अन्य विदेशी कम्पनियों को आर्डर दिए हैं उसी प्रकार हालैंड के मैसर्स हुगोवन वरकूपकन्तूर को भी आर्डर दिया है ।

(ख) आर्डर के अनुसार जो माल बम्बई आयेगा उसका प्रति टन लागत-भाड़ा मूल्य डी० एफ० एल० 663 होगा और जो माल मद्रास और विशाखापतनम आयेगा उसका प्रति टन लागत भाड़ा मूल्य डी० एफ० एल० 668.85 होगा । यह जहाज की शर्तों पर निर्भर करेगा । बीजक "नेट फार नैट बेसिस" पर बनाया जायेगा ।

(ग) जी, नहीं । फिर भी स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के अध्यक्ष से इस मामले की जांच करने को कहा गया है ।

विदेशी मुद्रा "रैकिंग"

2230. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में उन स्थानों पर जहां कि 'अधिकांशतः' भारतीय रह रहे हैं विदेशी मुद्रा "रेकिम" पर रोक लगाने के बारे में विदेशों में अपने मिशनों को सतर्कता बरतने के संदंध में अनुदेश जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक देश में ऐसे कितने भारतीय हैं जिनके गत दो वर्षों के दौरान पारपत्र जब्त किये गये हैं ।

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में विदेश स्थित भारतीय मिशनों को सामान्य अनुदेश दिए जा चुके हैं तथा कोई और अनुदेशों के जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1976 और 1977 के दौरान विदेशों में रहने वाले सात व्यक्तियों के पासपोर्टों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निरोधक अधिनियम 1974 के अधीन आर्थिक कारणों से जब्त करने के आदेश दिए गए । इसका देशवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

सिंगापुर	4
दुबई	1
मलेशिया	1 तथा
हांगकांग	1

AGITATION TIBBIA COLLEGE STUDENTS

2231. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state : (a) whether Government's attention has been drawn to the demands of the students of Tibbia College and the agitation being launched for meeting these demands;

(b) if so, the action taken in this regard;

(c) whether Government are preparing a concrete scheme to bring about uniformity in medical education; and

(d) if so, by what time ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Delhi Administration, which is managing the affairs of the Ayurveda and Unani Tibbia College, Delhi is aware of this matter.

(b) Delhi Administration have constituted a 'Salahkar Samiti' under the Chairmanship of the Chief Secretary to go into the various aspects of the functioning of the college and suggest short-term and long-term measures.

(c) and (d) In so far as the Allopathic sytem is concerned the Medical Council of India have already prescribed a uniform syllabus for medical education in all the medical Colleges in the country.

Syllabii for uniform education in Ayurveda, Siddha and Unani have already been prepared by the Central Council of Indian Medicine and approved by Government. These were circulated among the States for implementation in January 1977. To bring uniformity in Homoeopathic education, the syllabus prepared by the Central Council of Homoeopathy is under consideration of the Government.

इस्पात संयंत्रों के लिये निम्न ग्रेड का मैंगनीज खरीदना

2232. **श्री कचरु लाल हेमराज जैन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में उपयोग के लिये निम्न ग्रेड का मैंगनीज गैर सरकारी फर्मों से खरीदा जा रहा है, जोकि महंगा पड़ता है; और

(ख) क्या इस निम्न ग्रेड मैंगानीज को सीधे खान-मालिकों से खरीदने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि कम से कम 15–20 रुपये प्रति टन की बचत हो सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों के लिए निम्न ग्रेड का मैंगानीज खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकरण की मार्फत खरीदा जा रहा है। यह निगम सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। यह निगम बिहार-उड़ीसा क्षेत्र के खान मालिकों से सीधे मैंगनीज अयस्क प्राप्त करती है। भिलाई इस्पात कारखाना अपनी आवश्यकता का लगभग 75% मैंगनीज अयस्क सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० से प्राप्त करता है और शेष अयस्क निजी खान मालिकों से सीधे प्राप्त करता है।

(ख) चूंकि सप्लाई पहले ही या तो सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों की मार्फत अथवा खान मालिकों से सीधे प्राप्त की जा रही है, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मालंजखंड तांबा परियोजना में स्थानीय लोगों की नियुक्ति

2233. **श्री कचरु लाल हेमराज जैन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में मालंजखंड तांबा परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मामले में प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थानीय लोगों को वहां रोजगार के मामले में प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) सभी पदों (प्रथम श्रेणी के पदों को छोड़कर, जिनकी भर्ती हिन्दुस्तान कापर लि० के मुख्यालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है) की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जाती है। स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को रोजगार देने पर विचार किया जाता है। जिन पदों के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय से उम्मीदवारों के नाम प्राप्त नहीं होते हैं, उन पदों को समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। रोजगार कार्यालय से उम्मीदवार भरती करने के अलावा, उन विस्थापित परिवारों के एक-एक व्यक्ति को भी रोजगार दिया जाता है जिनकी जमीनें परियोजना के लिए ले ली गई हैं। अब तक ऐसे 25 विस्थापित लोगों को परियोजना में रोजगार दिया गया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

हड़तालों पर रोक

2234. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी 1978 के "इण्डियन एक्सप्रैस" के बम्बई संस्करण में 'जनता मस्ट प्रीवेन्ट स्ट्राइक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार कुछ प्रकार की हड़तालों पर रोक लगाने के बारे में विचार कर रही है और यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कार्यबंदी की घटनाओं को न्यूनतम करने के प्रश्न पर प्रस्तावित व्यापक औद्योगिक संबंध कानून के समग्र संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण स्वास्थ्य संवर्ग

2235. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई घोषित तथा चलाई गयी ग्रामीण स्वास्थ्य संवर्ग पद्धति और उसके कार्यकरण के विरुद्ध व्यक्तियों तथा/अथवा संघों की ओर से एक अथवा अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अभ्यावेदनों और आपत्तियों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार जिम्मेदार व्यक्तियों से किसी शिकायतों आदि को देखते हुए उक्त योजना में परिवर्तन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कैसे और कब; और

(च) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) जी हां। सरकार को व्यक्तियों/संघों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें भारतीय चिकित्सा संघ प्रमुख है। यद्यपि इस योजना की भावना तथा उद्देश्यों के बारे में किसी को कोई बुनियादी आपत्ति नहीं है, कुछेक ने ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा रोगों का उपचार किये जाने की आलोचना की है। तथापि यह आलोचना सही नहीं है क्योंकि यह इस योजना को ठीक से समझे बिना ही की जा रही है। मूलतः इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य देख-रेख के काम में लोगों को भी शामिल करना है। दूसरे शब्दों में इस योजना का उद्देश्य लोगों का स्वास्थ्य उन्हीं के हाथों में सौंपना है।

29—31 जनवरी, 1978 को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद एवं केन्द्रीय कल्याण परिषद के चतुर्थ संयुक्त सम्मेलन में इस योजना पर विस्तार में चर्चा हुई। विभिन्न संघों तथा संस्थानों के प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित थे। अधिकांश ने योजना की प्रशंसा की। भारतीय चिकित्सा संघ ने, जिन्होंने योजना के चिकित्सा पक्ष की गत वर्ष आलोचना की थी, उक्त सम्मेलन में योजना की आलोचना नहीं की। वस्तुतः देश-विदेश के विशेषज्ञों एवं विशिष्ट व्यक्तियों ने योजना का स्वागत किया है। रिपोर्टों से भी स्पष्ट है कि ग्रामीण जनता में योजना के प्रति काफी उत्साह एवं प्रसन्नता है।

इस योजना का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है। आवधिक मूल्यांकन की भी व्यवस्था की गई है। इस मूल्यांकन के परिणामों से इस योजना को चलाने में आगे और सुधार होना चाहिए।

टेलीफोन की दोषपूर्ण सेवा को रोकने के लिए उसके उपकरणों की जांच

2236. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देशभर में टेलीफोन उपभोक्ताओं की ओर से टेलीफोन सेवा में लाइनों के अचानक कट जाने, दूसरों द्वारा बीच में सुने जाने या किसी अन्य टेलीफोन कर्ता की अनपेक्षित आवाज सुनाई देने, लम्बी अवधि तक लाइनों के बंद हो जाने तथा डायल करते समय हमिंग आवाज सुनाई न देने सहित सभी प्रकार की खराबियों की असंख्य शिकायतें निरन्तर प्राप्त हो हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नये उपकरणों की स्थापना तथा वर्तमान उपकरणों की स्थापना तथा वर्तमान उपकरणों की कार्यकरण के समूचे प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) वर्तमान सेवा में दोषों को यथायोग्य शीघ्रता से तथा संतोषजनक ढंग से दूर करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। सरकार को ऐसी किन्हीं शिकायतों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चंचल सरकार समिति का प्रतिवेदन

2237. श्री कंवर लाल गुप्त
श्री हुकम देव नारायण यादव } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे दूतावासों और मिशनों के कार्यकरण में सुधार और प्रचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु चंचल सरकार समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) गत 9 महीनों में हमारे दूतावासों और मिशनों के विरुद्ध सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) दूतावासों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) चंचल सरकार समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है और इसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । अन्तरिम रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) विदेश स्थित हमारे मिशनों के कार्य-संचालन के संबंध में कुछ सामान्य शिकायतें मिली हैं । यद्यपि इसे स्वीकार किया जाता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश हैं लेकिन इन शिकायतों पर ध्यान रखा जाता है, ताकि कार्य-संचालन की त्रुटियों को दूर किया जा सके और अपने प्रचार एवं जन-संपर्क सम्बन्धों को सुधारा जा सके ।

ऐसे व्यक्ति जिनको ओर टेलीफोन बिलों की 10 लाख रुपये की अधिक राशि देय है

2238. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनकी ओर टेलीफोन के बिलों की 10 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) ऐसे कितने मामलों में टेलीफोन कनेक्शन काट दिये गये हैं; और

(घ) टेलीफोन के बिलों की बकाया राशि को कम करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ख), (ग) और (घ)—ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निदेशकों को ग्राह्य दैनिक भत्ता

2239. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के निदेशकों को ग्राह्य दैनिक भत्ते की दर क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकारी दौरे के दौरान वे '5 स्टार, वाले होटलों में ठहरने के हकदार होते हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने तथा सरकारी दौरे के लिए, यदि वे कम्पनी अथवा उसकी सहायक कम्पनियों के गेस्ट-हाउस में ठहरते हैं, तो दैनिक भत्ता 50 रुपए प्रति-दिन की दर से और यदि वे ठहरने का अपना प्रबन्ध करते हैं तो दैनिक भत्ता 114 रुपए प्रति-दिन की दर से मिलता ह । यदि वे किसी होटल में ठहरते हैं तो ठहरने और खाने के खर्च के लिए उन्हें अधिकाधिक 175 रुपए प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

बहुराष्ट्रीय निगमों का औद्योगिक श्रमिकों पर प्रभाव

2240. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय निगमों के औद्योगिक श्रमिकों और श्रमिकों की गतिविधियो और श्रमिकों की दशा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

DEATHS DUE TO "JHUNJHUNNA" DISEASE

2241. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Central Government are aware of the reports of deaths of tribals in large number as a result of "Jhunjhunna" disease in tribal areas of Surguja District in Madhya Pradesh;

(b) if so, the steps taken so far its prevention;

(c) the number of people who died as a result thereof; and

(d) whether such a disease has spread in any other part of the country ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Government is aware of the reports of deaths in tribal areas of Sarguja District in Madhya Pradesh due to the contamination of jhunjhunna seeds.

(b) On the basis of the recommendations made by the All India Institute of Medical Sciences, Indian Council of Medical Research and the Expert Group, all possible medical assistance was given to the Government of Madhya Pradesh. The weeding operation was successfully completed during 1976 employing over 600 workers and fresh weeding operations were undertaken during September, 1977 with 700 workers.

An expert group was constituted by the Department of Agriculture to go into the various causes of disease and suggest long term remedial measures. Various steps have been taken as per the suggestions of the Committee.

(c) The number of deaths reported from 1973 to July 1977 on account of this disease is 90.

(d) No such reports have been received.

भारत में प्रति हजार कामगारों के पीछे श्रम दिवसों की हानि

2242. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित आकड़ों के अनुसार वर्ष 1975 में श्रम दिवसों की हानि के मामले में भारत का स्थान तीसरा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1975 में भारत में प्रति हजार श्रमिकों के पीछे श्रम दिवसों की हानि की संख्या 1430 थी और यदि हां, तो वर्ष 1976 में इसकी स्थिति क्या थी ;

(ग) क्या वर्ष 1977 में श्रम दिवसों की हानि की संख्या वर्ष 1975 की तलना में बहुत अधिक थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां; लेकिन आंकड़े पूर्णत: तुलनीय नहीं हैं क्योंकि विभिन्न देशों में नष्ट हुये श्रम दिनों की संख्या की गणना करने के लिये विभिन्न पद्धतियां प्रयुक्त की गई हैं ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार, खनन, विनिर्माण, परिवहन तथा संचार क्षेत्रों में वर्ष 1975 में प्रति हजार श्रमिक 1430 दिन नष्ट हुये । सूचना का श्रोत तथा प्रयुक्त की गई गणना पद्धति ज्ञात नहीं है । वर्ष 1976 संबंधी संख्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विवरण में नहीं दिखाई गई है।

श्रम ब्यूरो द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1975 में उद्योग के सभी क्षेत्रों को मिलाकर प्रति हजार श्रमिक 1113 श्रम दिन नष्ट हुये । वर्ष 1976 की अनंतिम संख्या 631 है।

(ग) और (घ) 1975 में नष्ट हुये श्रम दिन 21,900,931 थे और 1977 में 21,211,281 (अनंतिम) थे जिससे मालूम होता है कि 1977 में नष्ट हुये श्रम दिनों की संख्या 1975 में नष्ट हुये श्रम दिनों से अधिक नहीं थी।

गुजरात में संचार व्यवस्था में सुधार

2243. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में संचार व्यवस्था में सुधार करने हेतु केन्द्रीय सरकार को और अधिक धन देने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में कौन कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) गुजरात सरकार से गुजरात राज्य में संचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निधियां नियत करने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) राज्य सरकारों को निधियां नियत नहीं की जाती हैं बल्कि डाक और तार विभाग के उन प्राधिकारियों को निधियां अलाट की जाती हैं, जो परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च के लिए निधियों का नियतन इस प्रकार किया गया है :—

	(हजार रुपयों में)
(1) गुजरात दूरसंचार सर्किल . . .	5,61,19
(2) अहमदाबाद टेलीफोन जिला	5,60,23
(3) सूरत टेलीफोन जिला	42,58
योग	11,64,00

(ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में नीचे लिखी योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है :—

(I) डाक सुविधाओं का विस्तार

(i) देहाती इलाकों में नये डाकघर . . .	91
(ii) देहाती इलाकों में लेटर बक्स लगाना . .	2000
(iii) चलते फिरते डाकघरों के जरिए गांवों को डाक कांउटर सुविधाएं देना	3000

(II) सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त डाक-तार घर

(i) लम्बी दूरी के सार्वजिनक टेलीफेन घर	160
(ii) संयुक्त डाक-तार घर .	160

(III) टेलीफोन एक्सचेंज

12,600 लाइनें जोड़ने की योजना बनाई गई हैं । इनमें से 28-2-78 तक 10,000 लाइनें चालू की जा चुकी हैं ।

(IV) नये टेलेक्स एक्सचेंज

आणंद	50 लाइनों की क्षमता
गांधीधाम	50 लाइनों की क्षमता

(V) कोएक्सिएल केबुल प्रणालियां :

4 एम० एच० जेड कोएक्सिएल प्रणाली को 12 एम० एच० जेड प्रणाली में बदलना। इससे बुलसर इस प्रणाली के साथ जुड़ जाएगा तथा बड़ौदा, सूरज और अहमदाबाद जसे बड़े शहरों को एक दूसरे के बीच और देश के अन्य भागों के लिए अधिक ट्रंक सर्किट उपलब्ध हो जाएंगे।

(VI) खुले तार वाली कैरियर प्रणालियां :

	संख्या
(i) 8 चैनल प्रणालियां	16
(ii) 12 चैनल प्रणालियां	3
(iii) 3 चैनल प्रणालियां	24

गांवों में डाकघर

2244. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने देश में और अधिक गावों में डाकघर स्थापित करने के लिए कार्यक्रम बनाया है ?

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है और वर्ष 1978-79 में कितने गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

(ग) क्या गुजरात राज्य में ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं ; और

(घ) क्या सरकार आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक गांव में एक डाकघर स्थापित कर सभी गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रही है ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) अस्थायी लक्ष्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए है :-

I नये डाकघर	5,000
II गावों में काउंटर की सुविधाएं	10,000 गांव

(ग) गुजरात राज्य में 18,275 बसे हुए गांवों में से 6,538 गावों में डाकघरों की व्यवस्था कर दी गई है और 3844 गावों में चलते फिरते डाकघरों के जरिए डाक काउंटर सेवा की सुविधाएं दे दी गई हैं।

(घ) जी नहीं। तथापि वर्ष 1978-83 की अगली योजना में देहाती इलाकों में 25,000 डाकघर खोलने की योजना है। इसके अलावा 50,000 अतिरिक्त गांवों में डाक-काउंटर सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव है।

AMOUNT OF E.S.I.S. AND E.P.F. OUTSTANDING AGAINST SHRI RAYON TEXTILE MILL, UJJAIN

2245. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the amount of Employees' State Insurance Scheme and Employees Provident Fund outstanding against Shri Rayon Textile Mill, Ujjain at present; and

(b) whether Government will ascertain that the workers are made to work on daily wages and on contract basis to deprive them of benefits ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) According to the reports furnished by the Employees' State Insurance Corporation and the Provident Fund Authorities, there is no such factory covered under either E.S.I. Act, 1948 or the E.P.F. Act, 1952.

(b) Does not arise.

TERMINATION OF ANTI-LABOUR AGREEMENTS ENTERED INTO BY UJJAIN MILL MAZDOOR SANGH

2246. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the Ujjain Mill Mazdoor Sangh, a recognised Union entered into several agreements on the 2nd March, 1970, which were deemed to be effective from 1960 and would be detrimental to the interests of thousands of workers;

(b) whether Government propose to take some action against such anti-labour agreements;

(c) whether Government propose to ascertain the number of such anti-labour agreements concluded during the last three years;

(d) whether the workers were neither taken into confidence before concluding such agreements nor were they informed of them after these were concluded; and

(e) whether Government propose to enact some legislation to annual such arrangements and if so, when ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) The matter falls essentially in the State Sphere and is being brought to the notice of the State Government of Madhya Pradesh.

(b) to (e) An agreement between a recognised union and concerned management is essentially a bipartite matter between the two parties. In cases of alleged anti-labour settlements or agreements, if any, in violation of the law the aggrieved workmen can, apart from taking action in terms of their union constitution, seek remedies through the State Industrial Relations Machinery concerned. There is no proposal to ascertain the number of alleged anti-labour agreements, referred to in part (c); nor is this considered necessary; it is essentially for the union/workmen to raise the issue and seek remedies through legal process.

PAYMENT OF WAGES AND BONUS TO WORKERS OF SHRI RAYON TEXTILE MILL, UJJAIN

2247. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the workers of Shri Rayon Textile Mill, Ujjain, are not being paid wages according to the provisions of Factory Act and Wages Act;

(b) if so, the main reasons therefor and the steps being taken by Government to ensure payment of prescribed wages to these workers; and

(c) the number of workers employed at present in each shift on temporary, permanent and contract basis, separately in the said Mill and the salary being paid to a worker under each category and the amount of bonus given to workers each time from the date it was set up ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a), (b) and (c) This matter falls in the State Sector; and the required information is being collected from the Government of Madhya Pradesh.

STEPS TO RECOVER DUES OF E.S.I.S. AND P.F. FROM PHOENIX TEXTILE MILL NO. I, BOMBAY AND NO. II, UJJAIN AND INDORE TEXTILE MILL

2248. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 3,39,247.75 on account of employees' State Insurance is outstanding against Phoenix Textile Mill No. I Bombay and Phoenix Textile Mill No. II,

Ujjain for the period from August, 1976 to January, 1977 and a sum of Rs. 1,13,691.70 against the Indore Textile Mill upto February, 1977 and an amount of Rs. 10,56,773.45 against Phoenix Mill No. I, Bombay;

(b) if so, the steps being taken by Government to recover the said arrears; and

(c) the amount of provident fund yet to be recovered from the above mills, year-wise and the steps taken by Government in this direction ?

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) E.S.I. dues of the three textile Mills amount to :—

(i) Messrs. Phoenix Mill No. I, Bombay—Rs. 26.82 lakhs (Upto September, 1977).

(ii) Messrs. Phoenix Mill No. II, Ujjain—Rs. 2.11 lakhs (Upto February 1977).

(iii) Messrs. Indore Textile Mills, Ujjain—Rs. 1.14 lakhs (Upto March, 1977).

(b) The Employees' State Insurance Corporation is taking necessary legal action wherever due for the recovery of outstanding amounts.

(c) The amounts are :

Name of the Mill	Amount	Period	Action taken
(*i*) M/s. Phoenix Mill No. I, Bombay	Rs. 13·85 lakhs	March, 1977 to December, 1977	Revenue recovery proceedings have been initiated in respect of the dues upto July, 1977. The amount for subsequent period is being recovered in instalments, failing which legal action will be taken.
(*ii*) M/s. Phoenix Mill No. II, Ujjain	Rs. 16·37 lakhs	1-4-1974 to 31-3-1976	The Company has invested the amount in Government Securities, which are in the process of being transferred to the Employees' Provident Fund.
(*iii*) M/s. Indore Textile Mills, Ujjain	Rs. 2·44 lakhs	February and March 1977	Recovery proceedings have been initiated. One prosecution case has been filed. Complaint under section 406/409 of the I.P.C. has also been filed.

SETTING UP OF TELEPHONE EXCHANGES IN JUNAGARH, RAJKOT AND JAMNAGAR DISTRICTS, GUJARAT

†2249. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether new telephone exchanges have been sanctioned for Fatana, Rana Kandorna, Bagavadar and Ranpur villages in Junagarh District, Lath and Khakhijaliya villages in Rajkot District and Jamwali village in Jamnagar district of Gujarat;

(b) if so, the village-wise progress made so far in opening of telephone exchanges;

(c) the time by which the work of setting up of new telephone exchanges will be completed, village-wise;

(d) the names of villages where setting up of new telephone exchanges is being delayed and whether demands have been made to complete them speedily; and

(e) if so, the dates on which such demands were made ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a), (b), (c), (d) and (e) Position regarding opening of telephone exchanges in these villages is as follows :—

(i) *Fatana village in Junagarh Distt.*—The stores and equipment for the exchange are being arranged. The exchange is expected to be commissioned shortly.

(ii) *Rana Kandorna, Bagavadar and Ranpur village (Junagarh Distt.) and Jamwali village (Jamnagar Distt.).*—No demands for telephone connections have been registered at these villages.

(iii) *Lath in Rajkot Distt.*—The payments for the demand notes issued to the parties are awaited. If sufficient payments to make the scheme economically viable are received, opening of exchange would be approved.

(iv) *Khakhijaliva village in Rajkot Distt.*—There are only 5 demands for opening telephone exchange at present.

PROVIDING TELEPHONE LINK TO DEVDA GRAM PANCHAYAT, JUNAGARH DISTRICT, GUJARAT

†2250. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Davda Gram Panchayat of Kutiyana Taluka in District Junagarh of Gujarat State had made a demand for telephone link and if so, when and the details thereof;

(b) the time by which the telephone link will be provided in Davda village and the place from which it will be extended; and

(c) the progress made so far in this regard ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Yes, Sir. The Sarpanch, Gram Panchayat, Devda asked for provision of telephone facility at Devda (district Junagarh) on 25-11-76.

(b) and (c) The proposal for a public call office at Devda has been sanctioned and the proposed PCO will be connected to Kutiyana exchange. It is expected that the PCO will be opened during the year 1978-79.

PROVIDING TELEPHONE CONNECTIONS TO FAUDARA DAM AND BILESHWAR VILLAGE JUNAGARH DISTRICT, GUJARAT

†2251. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a telephone connection has been sanctioned or is proposed to be sanctioned for the office of Faudara Dam near Ranavar Taluka in Junagarh District of Gujarat;

(b) whethed the Gram Panchayat and traders of Bileshwar village near Faudara Dam have also made demand for providing telephone connections there;

(c) if so, the names of persons who applied for telephone connections there indicating the dates of their applications and the amount deposited by each of them as also the dates on which and the places where the money was deposited;

(d) the time by which they will be provided telephone connections; and

(e) the reasons for delay in providing telephone connections to them ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Yes Sir, one telephone connection has been sanctioned for Executive Engineer Faudara Dam.

(b) Gram Panchayat of Bileshwar village has not registered demand for telephone connection. Three parties of Bileshwar village have registered their demands for telephone connections.

(c) The particulars of the persons who have applied for telephone connections are given below :

Name	Date of application	Amount deposited	Date and place where amount deposited
1. Deputy Engineer, Public Sanitaty Sub Division.	20-7-74	Rs. 1000/-	5-1-76 at Ravavav Post Office.
2. Haridas Jetha Bhai & Co. of Village Bileshwar	Dec., 77	Rs. 1000/-	15-12-77 at Ranavav Post Office.
3. Shri Mahendra Kumar Hansraj Hidocha of village Bileshwar.	Dec., 77	Rs. 1000/-	15-12-77 at Ranavav Post Office.

(d) and (e) These are long distance connections required large quantities of line stores. The connections will be provided when required stores are made available.

GRANT OF TELEPHONE CONNECTIONS TO KALANA VILLAGE, RAJKOT DISTRICT

†2252. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number and names of persons belonging to Kalana village of Dhoraji Taluka in Rajkot District of Gujarat State who have applied for telephone connections indicating the dates of each such application;

(b) the amount deposited by each applicant indicating the dates on which and the places where the money was deposited;

(c) the time by which the people belonging to Kalana village will be provided with telephone connections and the reasons for delay in providing telephone connections to them; and

(d) the name of telephone exchange from where they will be provided telephone connections ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) The following two parties have applied for telephone connections :

Name of the Party	Date of application
1. Kalana Jute Multipurpose Co-operative Society Ltd. Kalana.	1-5-76
2. Branch Manager Distt. Co-opetative Bank Ltd. Kalana	21-3-77

(b) The particulars are given below:

Name of the Party	Amount deposited	Date & place where amount deposited
1. Kalana Jute Multipurpose Co-operative Society Ltd. Kalana	Rs. 1000/-	14-5-76 at Dhoraji Post Office.
2. Branch Manager District Co-operative Bank Ltd. Kalana	Rs. 800/-	25-3-77 at Dhoraji Post Office.

(c) These are long distance connections about 8 Kms. away from the exchange and period January to March, 1977 was 1,69,041. Since April 1977 the programme has been stores.

(d) Connections will be provided from Patan-Vav Exchange.

VOLUNTARY STERILISATION OPERATIONS

2253. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the number of operations performed under the voluntary sterilisation programme in 1977 and the State-wise details thereof ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : The number of sterilisation operation performed during the period January to March, 1977 was 1,169.041. Since April 1977 the programme has been conducted on a purely voluntary basis. The number of voluntary sterilisations performed during the period April to December 1977 was 569,031. The State-wise details are given in the enclosed statement.

STATEMENT

Performance of Sterilisations during 1977

(Figures provisional)

Sl. No.	States/UTs/Agencies	No. of Sterilisation	
		January'77—March'77	Voluntary (April '77—December'77)
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	82,916	84,237
2.	Assam	28,956	9,396
3.	Bihar	215,285	11,500
4.	Gujarat	50,143	62,232
5.	Haryana	21,032	3,139
6.	Himachal Pradesh	13,506	732
7.	Jammu & Kashmir	8,837	2,364
8.	Karnataka	60,963	73,255
9.	Kerala	50,415	53,870
10.	Madhya Pradesh	92,352	20,827
11.	Maharashtra	177,467	83,989
12.	Manipur	653	356
13.	Meghalaya	509	186
14.	Nagaland	45	28**
15.	Orissa	72,323	40,028
16.	Punjab	27,665	7,348
17.	Rajasthan	12,808	8,814
18.	Sikkim	97	956£
19.	Tamil Nadu	88,815	56,091
20.	Tripura	157	150
21.	Uttar Pradesh	65,971	8,414
22.	West Bengal	70,339	20,353
23.	A & N Islands	212	186
24.	Arunachal Pradesh	169@	27£
25.	Chandigarh	440	491
26.	D.N. Haveli	169	79
27.	Delhi	8,186	4,111
28.	Goa, Daman & Diu	2,226	1,438
29.	Lakshadweep	9	4
30.	Mizoram	199	488
31.	Pondicherry	835	1,944
32.	M/o Defence	8,953	8,320*
33.	M/o Railways	6,389	3,678*
	ALL INDIA	1,169,041	569,031

*Figures upto November 1977
**Figures upto July, 1977
£=Figures upto October, 1977
@=Figures upto February, 1977.

दक्षिण कोरिया को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया जाना

2254. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कोरिया को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस संबंध में भारत सरकार का दृष्टकोण क्या है और दक्षिण कोरिया की सदस्यता का समर्थन करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) हमारी जानकारी के अनुसार कोरिया गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ में दाखिल करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उप-ग्रहों के माध्यम से संचार व्यवस्था में सुधार

2255. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उपग्रहों के माध्यम से संचार व्यवस्था में सुधार किए जाने के बारे में सही स्थिति क्या है ;

(ख) कितने उपग्रह काम कर रहे हैं और कितने नए उपग्रहों का प्रस्ताव है; और

(ग उपग्रह व्यवस्था के साथ कितने ओर कौन-कौन से केन्द्र सम्बद्ध हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क, (ख) और (ग) उपग्रह के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन के बाहरी ओर स्वदेशी दो पहलू हैं ।

2. भारत ने 1971 के शुरु में बाहरी दूर संचार सम्पर्क के लिए, हिन्द महासागर पर स्थित दूरसंचार उपग्रह संगठन के उपग्रह को प्रयोग में लाना शुरु कर दिया था । इस समय उपग्रह के माध्यम से 80 प्रतिशत तार, 99 प्रतिशत टेलीफोन और 98 प्रतिशत टेलेक्स परियात निपटाया जाता है। उपग्रह के माध्यम से संचार सम्पर्क की विश्वसनीयता 99.9 प्रतिशत है ।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन का सम्बन्ध है, कुल चार उपग्रह काम कर रहे हैं। इनके अन्तर्गत अन्ध महासागर, प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर के इलाके आते हैं ।

भारत ने निम्नलिखित 21 देशों के साथ सीधा उपग्रह सम्पर्क स्थापित किया है :—

(1) आस्ट्रेलिया
(2) बहरीन
(3) बंगला देश

(4) पूर्वी अफ्रीका
(5) फ्रांस
(6) यूनान
(7) हाँगकांग
(8) ईरान
(9) इटली
(10) जापान
(11) कुवैत
(12) मलेशिया
(13) ओमन
(14) पाकिस्तान
(15) सिंगापुर
(16) स्पेन
(17) श्रीलंका
(18) थाईलैण्ड
(19) संयुक्त अरब अमीरात
(20) ब्रिटेन और
(21) जाम्बिया ।

इसके अलावा 'थ्रू पुट' परिपथों द्वारा बहुत से अन्य देशों से उपग्रह सम्पर्क हैं।

3. इस समय स्वदेशी संचार सम्पर्क के लिए कोई उपग्रह नहीं है।

मुख्य भूमि और द्वीप समूहों/दूरदराज के क्षेत्रों के बीच संपर्क के लिए उच्च स्तरीय परिपथ तत्काल उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपग्रह इण्टलसेट के 'ट्रांस्पॉण्डर' का एक हिस्सा ठेके पर लेने का प्रस्ताव है। इस प्रायोजना में नई दिल्ली और मद्रास में दो पारेषण अभिग्रहण केन्द्र होंगे। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर, निकोबार, कावरत्ती, लेह और एजल में पांच सुदूर क्षेत्र केन्द्रों की व्यवस्था होगी। यह योजना 1979 में पूरी करने का कार्यक्रम है।

स्वदेशी दूरसंचार व्यवस्था, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम-विज्ञान सेवाओं के लिए बहु-देश्यीय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली उपलब्ध करने का भी निर्णय किया है। इस योजना के अधीन 1980 के अन्त तक पृथ्वी की कक्षा में भौगोलिक दृष्टि से स्थिर दो उपग्रह स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रायोजना में 22 स्थिर भू-केन्द्रों और छः वायु सड़क परिवहनीय केन्द्रों की व्यवस्था होगी। आशा है ऐसे केन्द्र बम्बई, कलकत्ता, शिलांग, अहमदाबाद, एर्नाकुल्लम, जालन्धर, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जयपुर, गंगटोक, ईटानगर, जोधपुर, श्रीनगर, मिनिकाय, भुज, इम्फाल, गोवा, अगरतला, नागालैण्ड, और पाण्डिचेरी में स्थापित होंगे।

DEATHS DURING PREGNANCY PERIOD

2256. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Central Government have obtained figures from States in regard to the number of deaths of women during pregnancy;

(b) if so, the percentage of increase in the said number during the last four years; and

(c) the steps taken by Government to solve this problem ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Information on number of recorded deaths including deaths related to pregnancy in different medical and other specialised institutions is received from the States and Union Territories according to International classification of diseases.

(b) The available information relating to percentage of deaths related to pregnancy to total indoor deaths recorded in different institutes of following States during the years 1973, 1974 & 1975 is given below.

(in percentage)

Sl. No.	State	1973	1974	1975
1	2	3	4	5
Andhra Praderh		3·5	NA	NA
Assam		1·1	4·5	4.0
Haryana		2·6	2·9	3·3
Himachal Pradesh		1·8	NA	NA
Kerala		2·4	NA	NA
Madhay Pradesh		2·6	NA	NA
Maharashtra		1·2	NA	NA
Manipur		—	NA	NA
Karnataka		5·1	NA	NA
Nagaland		2·4	NA	NA
Orissa		6·2	6·3	5·7
Punjab		4.0	4·7	4·1
Tamil Nadu		10·00	7·8	8·6
Tripura		3·3	NA	NA
Arunachal Pradesh		—	NA	NA

(c) Reduction of maternal mortality is one of the objectives of MCH Services and the following steps have been taken :—

1. Registration of antenatal mothers by the field staff of sub centres and P.H.Cs in rural area and by the staff of Urban Family Welfare Centre staff in urban areas and educating them about health care and diet during pregnancy.
2. Holding Ante-natal clinics in sub Centres and P.H.Cs as also in hospitals for regular health check up during pregnancy and treating for any disease.
3. Providing prophylaxis against Nutritional anaemia by provision of Iron and Folic Acid Tablets.
4. Immunising the expectant mother specially against tetanus so as to protect both the mother and the new born.
5. Providing domicilliary delivery services by LHV/ANM.
6. Improving institutional delivery services in hospitals and P.H.Cs by providing additional beds and labour rooms.
7. Since most of the rural deliveries are conducted at home by traditional 'Dais' an intensive programme for training of indigenous dais has been sponsored by the Central Government. The target for the same for 1978-79 is 1 lac.

8. Cases requiring specialised attention are referred to P.H.Cs or district hospitals.

9. Post natal follow up and post natal clinics also form a part of the programme.

NON-MATRIC PHARMACISTS IN C.G.H.S.

2257. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of non-matric Pharmacists, who are working on the basis of registration in the C.G.H.S. Scheme;

(b) whether Government considered the question of appointment of Dressers who are matriculates on technical posts on the basis of their experience in future; and

(c) if so, against which posts they will be appointed ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Forty four.

(b) &(c) Dressers who are permanent and have a minimum of 10 years of service in that Grade are eligible for appointment to the selection grade for Dressers. They can be considered for appointment to other posts provided they satisfy the requirements as laid down in the Recruitment Rules for the post.

ASSISTANCE TO CHARITABLE HOSPITALS IN DELHI

2258. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4846 on the 22nd December, 1977 and state :

(a) whether information regarding grant of financial assistance to charitable hospitals in Delhi has since been collected;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether certain charitable dispensaries whose owners belonged to the parties opposed to Congress had been closed down during the emergency; and

(d) the steps being taken by Government to restore the assistance ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

रोगियों के लिये औषधियां

2259. श्री दया राम शाक्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 1 दिसम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रोगियों को तत्काल औषधियां देने के बारे में कितने सुझाव कार्यान्वित कर दिये गये हैं और कितने कार्यान्वित किये जाने हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : कार्मिक और प्रशासनिक और सुधार विभाग की अध्ययन रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरियों के कार्य संचालन सम्बन्धी उन सिफारिशों की, जिनका सम्बन्ध औषधियाँ मंगाने और रोगियों को उनकी सप्लाई किये जाने की प्रक्रियाओं से है, कार्यान्वित की स्थिति का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दवाइयां खरीदने और उन्हें रोगियों को सप्लाई करने की प्रक्रिया से संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषद्यालयों के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार की अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में स्थिति का विवरण।

	इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है।
11 (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को अपनी वार्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिए और केन्द्रीय चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो के परामर्श से अपने तिमाही कोटा अंतिम रूप से तय कर लेना चाहिए। उक्त डिपो को तदनुसार दवाइयां खरीदने का प्रबंध करना चाहिए।	(क) इस समय औषधालय अपने-अपने तिमाही मांग पत्र अपनी पिछली तिमाही की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर मेडिकल स्टोर डिपुओं को भेज रहे हैं। मेडिकल स्टोर डिपुओं द्वारा अग्रिम रूप से स्टाक प्राप्त करने के लिए डिस्पैंसरियां अपनी वार्षिक आवश्यकताओं को आंके इस आशय की सिफारिश जल्दी ही लागू कर दी जाएगी।
(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों द्वारा भेजे जाने वाले नियमित मांग पत्रों में एक तिमाही की प्रत्याशित मांग तथा पंद्रह दिन के लिए सुरक्षा भण्डार की मांग करनी चाहिए। तिमाही के लिए किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार जो कुल मांग की जाए वह आवश्यकताओं के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।	(ख) ऐसा किया जा रहा है।
(ग) यदि किसी खास दवाई की अधिक मात्रा में जरूरत हो तो उसकी आवश्यकता को विधिवत स्पष्ट करते हुए उसका पूरक मांग पत्र भेजा जाना चाहिए।	(ग) विशिष्ट दवाइयों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (1) पूरक मांग पत्र महीने में एक बार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। (2) दस्ती मांग पत्र सप्ताह में दो बार

(3) आपासन मांग पत्र किसी भी समय मेडिकल स्टोर डिपुओं में भेजने के अलावा स्थानीय खरीद मांग पत्र रोज सुपर बाजार को भेजे जाते हैं।

(घ) केन्द्रीय चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो को नियमित मांगपत्रों के मामले में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। पूरक मांग पत्रों के विषय में यदि कोई कटौती आवश्यक समझी जाए तो यह केवल संबंधित औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से परामर्श करने के बाद की जानी चाहिए।

डिसपेंसरियों से प्राप्त होने वाले नियमित तिमाही मांगपत्रों में केवल थोड़ी सी औषधियों को छोड़कर जिनकी स्टाफ स्थिति अच्छी नहीं होती मेडिकल स्टोर डिपुओं द्वारा सामान्य रूप से कोई कटौती नहीं की जाती है। ऐसे मामलों में एक मास की आवश्यकताएं सप्लाई कर दी जाती हैं और मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

12. अनावश्यक लेखन कार्य से बचने के लिए नियमित मांग पत्रों के प्रपत्रों में दवाइयों के नाम और कोड छापे जाएं।

मांगपत्र फार्मों पर दवाइयों के नाम छपवाने के बारे में शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

13. केन्द्रीय चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो हर सप्ताह केवल वह सर्कूलर भेजे जिसमें उस सप्ताह के दौरान आई नई औषधियां और इसकी जारी होने की तारीख को जो औषधियां खत्म हो गई हैं, उनकी सूची दे दी जाए।

नई आने वाली औषधियों तथा औषधियां जिनका स्टाक खत्म हो चुका होता है उनकी नियमित सूचना सभी औषधालयों को भेजवा दी जाती है।

4 (1) जहां तक सम्भव हो सके सुपर बाजार की अधिक से अधिक शाखाओं में केमिस्ट यूनिटें शीघ्र खोली जाएं।

सुपर बाजार से अनुरोध किया गया था कि वह अपनी सभी शाखाओं में केमिस्ट यूनिट खोल दें। उन्होंने मान लिया था कि उनकी जिन शाखाओं में केमिस्ट यूनिट हैं वे उस इलाके में खुली हुई डिस्पेंसरियों को औषधियां सप्लाई करेगी। लेकिन सुपर बाजार द्वारा इस योजना को कार्यरूप नहीं दिया गया है।

(2) जिन दवाइयों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है और जो दवाइयां केन्द्रीय भण्डार डिपो में समाप्त हो गई हों, यदि लाभार्थी उन दवाइयों को खरीदना चाहते हों तो उन्हें ये दवाइयां सीधे सुपर बाजार से खरीदने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

इस समय जो पद्धति चल रही है उसके अनुसार रोगी को असूचीबद्ध तथा स्टाक में अनुपलब्ध औषधियां जो जीवन को बचाने वाली तथा आपाती किस्म की होती हैं, सीधे ही सुपर बाजार से खरीदने के लिए प्राधिकृत कर दिया जाता है तथा अन्य औषधियां प्राप्त करने के लिए सुपर बाजार को दैनिक स्थानीय मांग पत्र भेजा जाता है। इस पद्धति को और उदार बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है।

लघु इस्पात संयंत्रों की संख्या और उनका उत्पादन

2260. **श्री अरविन्द कुबाला पजनौर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु इस्पात संयंत्रों की संख्या क्या है और इन एककों द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है;

(ख) उनमें से कितने आर्थिक रूप से सक्षम हैं और आर्थिक रूप से असक्षम एककों के असन्तोषजनक कार्यकरण के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने चीन में लघु इस्पात संयंत्रों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारणों का अध्ययन किया है, और

(घ) यदि हां, तो भारत में सफलता पूर्वक ढंग से इन्हें अपनाने के लिये क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) अब तक चालू किए गए लघु इस्पात संयंत्रों की संख्या 120 है। इनमें से 93 संयंत्रों का अप्रैल-दिसम्बर, 1977 के नौ महीनों का इस्पात पिण्ड का उत्पादन 7,62,133 टन तथा ढलवीं वस्तुएं तैयार करने के लिए द्रव धातु का उत्पादन 16,948 टन बताया गया है।

(ख) : किसी संयंत्र का आर्थिक रूप से सक्षम होना कई बातों पर निर्भर करता है जिनमें प्रबन्ध-कुशलता, उत्पादन में कुशलता, बिजली, स्क्रैप और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जैसे महत्वपूर्ण आदानों की उचित मूल्य पर पर्याप्त उपलब्धि, बाजार की मांग आदि शामिल हैं। सरकार आर्थिक रूप से सक्षम/असक्षम लघु इस्पात संयंत्रों के आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) चीन में लघु इस्पात संयंत्रों के कार्यकरण के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना

2261. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख परियोजना में जुटी प्राइवेट पार्टियों/ठेकेदारों के नाम क्या हैं और प्रत्येक पार्टी के पास जो काम है उसका ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या इसकी क्रियान्विति में विलम्ब से लागत में वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्यों के ठेकों के बारे में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने की कोई आशंका नहीं है ।

विवरण

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना में निजी पार्टियों/ठेकेदारों को दिए गए एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के ठेकों का विवरण

पार्टी का नाम	कार्य का विवरण
1. मेसर्स एशिया इंजीनियरिंग कारपोरेशन	292 रिहायशी मकानों का निर्माण ।
2. मेसर्स एशिया फाउन्डेशन एण्ड कंस्ट्रक्शन लि०	साइलों का पाइलिंग कार्य ।
3. मेसर्स तारपोर एण्ड कम्पनी 4. मेसर्स उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कम्पनी	कारखाने का सिविल इंजीनियरी कार्य ।
5. मेसर्स जयप्रकाश एशोसिएट्स	लखिया बांध का निर्माण ।
6. मेसर्स मैमन निर्माण	पानम्बूर में सांद्रण गोदा की नीवं भरने का कार्य ।
7. मेसर्स गैमन इंडिया	मैंगलोर में सिविल कार्य ।
8. मेसर्स दोदसाल प्राइवेट लि०	लोह अयस्क घोल के लिए पाइपलाइन बिछाना ।
9. मेसर्स बिन्नी लि० 10. मेसर्स भारत इन्डस्ट्रियल वर्क्स 11. मेसर्स मदर्न स्ट्रक्चरल्स	स्ट्रक्चर स्टील वर्क ।

भारत के दौरे पर आये चीनी शिष्ट मंडल और भारतीय इस्पात में उनकी रुचि

2262. **श्री शरद यादव**
श्री समर गुह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दौरे पर आये चीनी व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने भारतीय लौह अयस्क, इस्पात और इस्पात के उत्पादों में रुचि दिखाई है,

(ख) या इस दल ने हमारे कुछ इस्पात संयंत्रों का दौरा किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या इस दौरे के बाद भारत से चीन को इस्पात उत्पादों के कोई दीर्घकालिक निर्यात की संभावना है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख), और (ग) शिष्टमंडल के कुछ सदस्यों ने, जो चीन के नेशनल मेटल्स एण्ड मिनरलस इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन के प्रतिनिधि थे, 17 फरवरी, 1978 को राउरकेला इस्पात कारखाने का दौरा किया था ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

LIBRARY OF THE MINISTRY

2263. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total number of books with language-wise break-up in the Library of his Ministry/Department;

(b) the amount spent on purchase of books in Hindi and English separately during the last two years;

(c) the names of the news papers and magazines procured for the Library at present with particular mention of Hindi Newspapers and magazines; and

(d) whether there is any scheme to increase the number of Hindi books as well as the news papers and magazines and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) The total number of books in the Ministry of Steel and Mines is 15,471, of which 15,059 are in English and 412 in Hindi.

(b) The amount spent on the purchase of books in English was Rs. 9,362/-, and on books in Hindi Rs. 409/-, during the last two years.

(c) The required information is given in Appendices 'A' and 'B' in respect of the Departments of Steel and Mines respectively.

[Placed in Library. See No. L.T. 1765/78]

(d) The Libraries in the Departments of Steel and Mines are intended essentially to keep technical books and journals in respect of the subjects handled in the two Departments. Even so, depending upon the availability of books and magazines on these subjects in Hindi, it is proposed to increase their number progressively.

TO BE ANSWERED ON 9TH MARCH, 1978

PUBLICATIONS BROUGHT OUT BY MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

2264. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the publications, periodicals and journals brought out by his Ministry/Department during 1977;

(b) the number out of them brought out in Hindi and the reasons for not publishing other Periodicals, Journals in Hindi;

(c) whether all such other publications and Periodicals which are still published in English are proposed to be brought out in Hindi; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) The list of publication/periodicals, journals brought out by the Ministry of External Affairs is given in ANNEXURE "A".

[Placed in Library. See No. L.T. 1765/78]

(b), (c) and (d) Some of the speeches made by the External Affairs Minister have been published by the Ministry in Hindi in the form of booklets and these have been distributed—through our missions abroad, especially where Hindi is understood by the local population or where a large number of Indian nationals or people of Indian origin reside. During the year 1977, two such booklets were published.

There is going to be a greater emphasis during the current calendar year on bringing out of booklets and other publications in Hindi and steps are under way to organise this.

A step of considerable significance has been taken in 1978 by starting a quarterly journal in Hindi named "Gagananchal" published by the Indian Council for Cultural Relations.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGES ACT IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

†2265. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Section 3(3) of the Official Languages Act is being implemented fully in his Ministry;

(b) if so, the number of general orders, circulars, Notices and tender permits issued during the last six months of 1977 and the number of such orders etc. issued in Hindi alongwith English; and

(c) the reasons, if the said Section is not being implemented fully and the steps being taken to implement it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a), (b) & (c) On the basis of the information available, during the last six months of 1977, general orders, notifications etc. numbering 221 were issued bilingually and 138 were issued only in English. All efforts are being made to implement the provisions of the Official Languages Act fully.

भारतीय पागलपन अधिनियम

2266. श्री वसन्त साठे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अप्रचलित हुए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के स्थान पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एक और अधिक मानवीय और व्यापक विधान लाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विधेयक इस समय किस अवस्था में है और संसद में इसे जल्दी से जल्दी कब तक पुरः स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की तुलना में इस विधेयक की मुख्य मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) विधेयक का मसौदा तैयार है और उसको जनता के विचार जानने के लिए प्रकाशित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की तुलना में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1978 की मुख्य मुख्य बातें।

भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की तुलना में इस विधेयक की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) 'विक्षिप्त', 'पागल', 'मूर्ख' और 'पागलखाना' जैसे अपमानजनक शब्दों के स्थान पर' मानसिक रोग' और 'मानश्चिकित्सा अस्पताल' जैसे उपयुक्त वैकल्पिक शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। नर्सिंग होम्स को मनश्चिकित्सा नर्सिंग होम्स कहा गया है।

(2) 'मानसिक रोग' की परिभाषा को और स्पष्ट करने तथा अधिक व्यापक बनाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित कर दिया गया है।

(3) इस विधेयक में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को किसी मनश्चिकित्सा अस्पताल अथवा मनश्चिकित्सा नर्सिंग होम में भर्त्ती करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत दाखिला मानसिक अस्पतालों तक ही सीमित था।

(4) वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत रोगियों को निम्नलिखित हालतों में किसी मानसिक अस्पताल में दाखिल किया जा सकता है :

(i) रोगी द्वारा स्वयं आवेदन पत्र देकर अस्पताल के दो विजिटरों की सहमति से।

(ii) निम्नलिखित मामलों में किसी मजिस्ट्रेट के आदेश से :

(क) किसी नजदीकी संबंधी द्वारा याचना पर जिसके समर्थन में दो डाक्टरी प्रमाणपत्र लगे हों।

(ख) खतरनाक व्यक्तियों के मामले में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने और रिपोर्ट करने पर।

(ग) मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के किसी अभिभावक द्वारा निर्दयता का व्यवहार करने अथवा अपर्याप्त देखरेख और नियंत्रण रखने के बारे में पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट करने पर।

तथापि प्रस्तावित कानून के अंतर्गत किसी भी रोगी को भर्ती किया जा सकता है :—

(i) शारिरिक बीमारी होने पर रोगी को किसी प्रकार की कानूनी औपचारिकताओं के बिना ही स्वैच्छिक रोगी के रूप में।

(ii) मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उस मजिस्ट्रेट जिसमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिसे इस प्रयोजन के लिए शक्ति दी गई हो, भी शामिल है, द्वारा जारी किए गए अस्थायी उपचार आदेश पर जो छः महीनों के लिए वैध हो।

(iii) रोगी के किसी रिश्तेदार द्वारा अनुरोध करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए रिसेपशन आदेश के आधार पर जिसके समर्थन में दो मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगे हों।

(iv) मानसिक रोग के कारण खतरनाक समझे जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर मजिस्ट्रट द्वारा रिसेपशन आदेश जारी करने पर।

(v) किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सूचना देने पर कि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति की ठीक ढंग से देखरेख और नियंत्रण नहीं किया जा रहा है या उसके साथ लापरवाही बरती जा रही है अथवा ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जहां मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को अपने पास रखने के लिए कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर उत्तरदायी नहीं है ।

(vi) आपाती रोगियों (अनैच्छिक) को मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर भर्त्ती कर दिया जाए लेकिन उन्हें 2 घंटे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए ।

(vii) न्यायिक परीक्षण करने के बाद ।

(5) इस विधेयक में एक ऐसे मानसिक रूप से पीडित व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में अस्पताल में दाखिल करने के लिए व्यवस्था की गई है जो ऐच्छिक रूप से दाखिले के लिए नहीं कहता या अपनी इच्छा प्रकट करने के योग्य नहीं है तो उसका कोई रिश्तेदार दो ऐसे चिकित्सकों जिनमें एक मनश्चिकित्सक हो, के मेडिकल सर्टिफिकेट सहित अनुरोध करता है तो उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजने के बिना ही केवल 90 दिन की अवधि के लिए अस्पताल में दाखिल किया जा सकता है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि मजिस्ट्रेट आदि के माध्यम की प्रक्रिया के साथ बदनामी जुड़ी होने के कारण बहुत से ऐसे मानसिक रूप से पीड़ित रोगियों को जिनका किसी मनश्चिकित्सा अस्पताल या उपचर्या गृह में दाखिल करके उपचार किया जा सकता था, वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं ।

(6) मानसिक रूप से पीड़ित अपराधियों को हिरासत में रखने और उपचार की सुविधाएं देने की व्यवस्थाएं जारी रखी जा रही हैं ।

(7) प्रस्तावित कानून में निम्नलिखित बातों के लिए भी व्यवस्था की गई है :—

(i) मनश्चिकित्सीय अस्पतालों और उपचार गृहों के विनियमन के लिए ।

(ii) मनश्चिकित्सा अस्पतालों अथवा मनश्चिकित्सा उपचर्या गृहों का आवधिक निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किए गए विजिटरों द्वारा आवधिक निरीक्षण करने और मनश्चिकित्सा अस्पतालों अथवा मनश्चिकित्सा उपचर्या गृहों के कार्य-भारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेशों से दाखिल किए रोगियों के स्वास्थ्य में हुई प्रगति के बारे में मजिस्ट्रेट को आवधिक रिपोर्टें भेजने और मानसिक रूप से अस्वस्थ अपराधियों के बारे में मनश्चिकित्सक द्वारा विशेष आवधिक रिपोर्टें भेजने के लिए ।

(iii) मानसिक रोगियों को छुट्टी देने अथवा अनुपस्थित रहने की अनुमति देने आदि के लिए ।

(iv) जबरदस्ती भर्ती करने अथवा अस्पताल में रोके रखने के विरुद्ध किसी रोगी द्वारा की गयी अपील के लिए ।

(v) मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए ।

(vi) तथा कथित मानसिक रोगियों की जिनकी सम्पत्ति होती है, जिला न्यायालयों द्वारा अदालती जांच करने के लिए अभिभावकों को नियुक्त करने तथा उनकी सम्पदा का प्रबन्ध करने के लिए व्यवस्था करना जिसमें उच्च न्यायालय से अपील करने की भी व्यवस्था होगी।

(vii) मानसिक रोगियों के लिए सरकारी खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए।

(viii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानसिक अस्पताल का मेडिकल अफसर इंचार्ज एक योग्य मनश्चिकित्सक है;

(ix) किसी मनश्चिकित्सा अस्पताल अथवा मनश्चिकित्सा उपचर्या गृह में मानसिक रोगी के अनुरक्षण संबंधी खर्च को राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त मामलों में वहन करने के लिए।

(x) कार्यकारी निर्देशन जारी कर रोगियों के सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए।

डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों के साथ प्राथमिकता का व्यवहार

2267. **श्री वसन्त साठे:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार रेल मंत्रालय के विचाराधीन प्रस्ताव के अनुरूप ही, डाक व तार विभाग से संबंधित व्यक्तियों के साथ नौकरियां देने के मामले में प्राथमिकता का व्यवहार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मांग पर विचार न करने के क्या कारण हैं;

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत को ईरानी तेल का ऋण

2268. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत को प्राप्त होने वाले ईरानी तेल ऋण की स्पष्ट शर्तें क्या हैं और रुपये की समवर्ती निधि के प्रबन्ध के बारे में दोनों देशों के बीच क्या समझौता हुआ है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): ईरान ने ऋण शर्तों पर अथवा एक मुश्त अदायगी पर, जो भी सुविधाजनक हो, प्रतिवर्ष 'ओपेक' दर पर अतिरिक्त कच्चा तेल देने का प्रस्ताव किया है। इन किश्तों अथवा एक मुश्त अदायगी के बराबर रुपये को अपेक्षानुसार पूंजीनिवेश अथवा खर्च के लिए भारत में ही कोष में जमा किया जाएगा या फिर इसका इस्तेमाल पूर्वी तटवर्ती बाक्साइट भंडार की अल्यूमिना प्रायोजना, त्रिपुरा की कागज और लुगदी फैक्टरी तथा राजस्थान नहर के द्वितीय चरण जैसी अनुमोदित प्रायोजनाओं में वित्त-विनियोग के लिए किया जा सकेगा।

इनका ब्यौरा दोनों सरकारों के बीच अभी तय होना है।

कुद्रेमुख परियोजना के बारे में भारत ईरान करार

2269. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुद्रेमुख परियोजना के बारे में भारत ईरान करार की निश्चित शर्तें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : ईरान के साथ दो समझौते हुए हैं। ये दोनों समझौते 4 नवम्बर, 1975 को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के साथ हुए थे और बाद में ये कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० को सौंप दिए गए थे। एक समझौता नेशनल ईरानियन स्टील इन्डस्ट्रीज कम्पनी को लोह अयस्क सांद्रण की सप्लाई के बारे में है और दूसरा समझौता कुद्रेमुख परियोजना को कार्यान्वित करने पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए ऋण की व्यवस्था के बारे में है। यह दोनों समझौते एक दूसरे के अनुषंगी हैं।

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० के (विक्रेता) तथा नेशनल ईरानियन स्टील इंडस्ट्रीज कम्पनी (क्रेता) के बीच हुए बिक्री और क्रय समझौते के अनुसार 23 अगस्त, 1980 से आरम्भ करके 21 वर्षों में 150 मि० टन लोह अयस्क सांद्रण की सप्लाई की जानी है। परिचालन के पहले पूरे वर्ष में 3 मि० टन, दूसरे वर्ष में 5 मि० टन और तीसरे वर्ष से आगे प्रत्येक वर्ष में 7.50 मि० टन सांद्रण सप्लाई किया जाएगा जिसमें 10% तक की छूट होगी। समझौते में दी गई विशिष्टियों के अनुसार सांद्रण में लोहे की मात्रा औसतन 66.5% (न्यूनतम 64%), और सिलिका तथा एल्यूमिना की मात्रा औसत 4% (अधिकाधिक 5%) से अधिक नहीं होगी। नमी की मात्रा अधिकाधिक 9% होगी। समझौते के अनुबन्धों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सप्लाई किए गए सांद्रण की क्वालिटी और मात्रा में भिन्नता के कारण बोनस की अदायगी और हर्जाना देना होगा।

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० (उधारकर्त्ता) और ईरान की शाही सरकार (उधारदाता) के बीच हुए वित्तीय समझौते के अनुसार उधारदाता कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना को, जिसमें बन्दरगाह और बिजली की सुविधाएं भी शामिल हैं, कार्यान्वित करने के लिए अधिकाधिक 630 मि० अमरीकी डालर का ऋण देगा। ऋण का उपयोग भारत में लगने वाले करों, महसूल और चुंगी तथा कानून के अनुसार उधारकर्त्ता द्वारा सीधे दिए जाने वाले आपतन खर्चों को छोड़कर सभी प्रकार के पूंजीगत खर्च के लिए किया जाएगा। 23 फरवरी, 1976 को 100 मि० अमरीकी डालर की अग्रिम राशि प्राप्त हुई थी। उधारकर्त्ता द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के आधार पर आगे का भुगतान समय-समय पर किया जाएगा। यह ऋण 31 बराबर, अनुक्रमिक, अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में वापिस किया जाएगा। ये किस्तें समझौते की प्रभावी तारीख (9-2-76) से 5 वर्ष बाद शुरू होंगी।

कलकत्ता टेलीफोन का कार्यकरण

2270. श्री समर गुह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन के कार्यकरण के बारे में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और गत छः महीनों में कलकत्ता टेलीफोन के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। पिछले कुछ महीनों में शिकायतों की संख्या कम हो गई है।

(ख) सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उटाए गए हैं :—

1. ज्वाइंटों की जांच करने के लिए खाइयों को पानी से भरना।
2. केबिनेट स्थापित करना, आर्द्रतारोधक लगाना, जेली भरे केबुलों का प्रयोग करना ।
3. भूमिगत जंक्शनों और मुख्य केबुलों को धीरे-धीरे गैस दबाव में रखने की व्यवस्था करना।
4. एक्सचेंज उपस्कर को ओवरहाल करना जिसमें ट्रेलिंग वाइपरों की फिटिंग और खराब बैंक्स बदलना भी शामिल है।
5. इस वर्ष बाहरी प्लांट उपस्कर को 50% तक ओवरहाल करना ।
6. कलकत्ता में सेन्ट्रल एक्सचेंजों और सेटेलाइट एक्सचेंजों के बीच माइक्रोवेव प्रणालियों की व्यवस्था करना।

विशाखापत्तनम, विजयनगर तथा सेलम में इस्पात कारखानों की प्रगति

2271. श्री एस० आर० दामाणी
श्री जी० एस० रेड्डी } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापतनम, विजयनगर तथा सेलम इस्पात कारखानों की स्थापना के मामले में क्या प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 78-79 के लिये बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वास्तविक निर्माण कार्य, संयंत्र तथा मशीनें लगाने का कार्य कब तक आरंभ हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) :

विशाखापत्तनम और विजयनगर

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को विजयनगर इस्पात परियोजना के बारे में बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अप्रैल, 1977 में तथा विशाखापतनम इस्पात संयंत्र के बारे में अक्तूबर 1977 में प्राप्त हुआ था । इस समय इन दोनों विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की सेल द्वारा संवीक्षा की जा रही है । इस बीच भूमि-अर्जन, मिट्टी की जांच, कच्चे माल के परीक्षण आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य काफी समय से चल रहे हैं और वष 1978-79 के दौरान इन कार्यों में आगे प्रगति होगी । संयंत्र तथा मशीनरी के वास्तविक निर्माण तथा स्थापना कार्य की वास्तविक तारीख के बारे में तभी मालूम होगा जब भारत सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की संवीक्षा कर ली जाएगी और इनका अनमोदन कर दिया जाएगा तथा यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर भी निर्भर करेगा।

सेलम

मार्च, 1977 में सरकार ने सेलम इस्पात परियोजना के प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 32,000 टन ठंडी बेलित इस्पात की चादरें/पत्ती का उत्पादन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी । इस चरण के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कार्य तथा अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य लगभग पूरा हो गया है । मुख्य संयंत्र के लिए टेण्डर प्राप्त हो गए हैं । सेलम में ठण्डे बेलित बेदाग इस्पात के लिए जानकारी तथा तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए सेलम स्टील लि० और फ्रांस के मैसर्स 'प्लूगो ल्वार' के बीच 26 जनवरी, 1978 को समझौता हो गया है । ठण्डी बेलन मिल श्रृंखला का निर्माण कार्य भी आरम्भ हो गया है ।

वर्ष 1978-79 के दौरान निम्नलिखित मुख्य-मुख्य कार्य किए जाएंगे :—

(1) ठण्डी बेलन मिल के अधिकांश सिविल कार्य ।

(2) ठण्डी बेलन मिल के लिए संरचनात्मकों का निर्माण तथा स्थापना कार्य ।

(3) मुख्य संयंत्र तथा अधिकांश उपस्करों के लिए आर्डर देना ।

आशा है कि मुख्य संयंत्र तथा उपस्करों की स्थापना का कार्य वर्ष 1980 में आरम्भ हो जाएगा ।

राजस्थान के डुंगरपुर जिले में तांबे के निक्षेपों का पता लगाने के लिये कार्यवाही

2272. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के डुंगरपुर जिले में स्थित तांबे के निक्षेपों का पता लगाने के लिये क्या तुरन्त कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ केन्द्रीय सरकार ने कार्य को शीघ्रतापूर्वक करने के लिये अपने अधिकारी भी नियुक्त किये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण एक लगातार चलने वाला कार्य है । राज्य भू वैज्ञानिक प्रोग्रेमिंग बोर्ड के समन्वित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय भू सर्वेक्षण तथा राज्य खनन और भूविज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान के डुंगरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तांबे के लिए खोज कार्य चल रहा है । डुंगरपुर जिले के जिन तीन क्षेत्रों पडेर-की-पाल, बीछी वाड़ा और बलिया-देवल-गुगरान म पर्याप्त तांबा होने की रिपोर्ट थी उनमें से बीछीवाड़ा में भारतीय भू सर्वेक्षण को उत्साहजनक परिणाम नहीं मिले; जबकि भू सर्वेक्षण द्वारा बलिया देवल-गुगरान में खोज जारी है । राजस्थान सरकार ने पडेर-की-पाल क्षेत्र में 12 लाख टन भंडारों का पता लगाया है जिनमें 1.3% औसत तांबा तत्व है।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

मलंजखंड तांबा परियोजना का निर्धारित कार्य

2273. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा प्रद्रावक संयंत्र को अयस्क सप्लाई करने की अविलम्बता को ध्यान में रखते हुए मलंजखंड तांबा परियोजना पर निर्धारित कार्य को समय से पूर्व करने के लिये प्रयास किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मलंजखंड ताम्र परियोजना पर जून, 1977 से काम शुरू हुआ। आशा है 10 लाख टन वार्षिक क्षमता वाली खान और समान क्षमता वाले सान्द्रक संयंत्र के निर्माण का काम सितम्बर, 1981 तक पूरा हो जाएगा। खान और सांद्रक की वार्षिक क्षमता 20 लाख टन करने का काम सितम्बर 1983 तक पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना का कार्य निर्धारित समय सूची के अनुसार चल रहा है। चूंकि परियोजना की अवधि पहले ही सोच समझ कर निर्धारित की गई है इसलिए उसको घटाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

खेतड़ी तांबा प्रद्रावक संयंत्र में क्षमता का उपयोग और वास्तविक उत्पादन

2274. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा प्रद्रावक संयंत्र में चालू वर्ष में 31 दिसंबर, 1977 तक क्षमता का उपयोग कितना रहा और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) किये गये अनेक उपायों के परिणामस्वरूप तांबा अयस्क की सप्लाई में किस सीमा तक सुधार हुआ है ; और

(ग) चांग्मारी और दरीबा तांबा परियोजनाओं को विकसित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) खेतड़ी प्रद्रावक से ब्लिस्टर तांबे का जनवरी से दिसंबर, 1977 के दौरान 12 महीने का उत्पादन 9648 टन था। यह 31 प्रतिशत क्षमता उपयोग के बराबर है। खेतड़ी प्रद्रावक में क्षमता के कम उपयोग का सबसे बड़ा कारण प्रद्रावक की टेक्नालौजी और संचालन संबंधी कठिनाइयों का था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जापान के मैसर्स फुरूकावा की सहायता ली गई है। जापानी विशेषज्ञ पहले ही पहुंच चुके हैं।

(ख) किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप खेतड़ी और कोलिहान खानों से तांबा अयस्क के उत्पादन में लगातार सुधार हो रहा है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :—

साल	अयस्क उत्पादन (टन)
1974-75	613,539
1975-76	775,393
1976-77	1,051,569
1977-78 (अप्रैल से दिसंबर)	803,118
1978-79 (लक्ष्य)	1,400,000

(ग) चांदमारी ताम्र परियोजना को दो चरणों में बनाया जा रहा है। 500 टन अयस्क के दैनिक उत्पादन की खान क्षमता का पहला चरण दिसंबर, 1975 में पूरा हुआ था और उसमें अयस्क का नियमित उत्पादन हो रहा है। दूसरा चरण अयस्क का दैनिक उत्पादन 1000 टन करने के लिए खान क्षमता के विस्तार का है, जो चल रहा है। 1000 टन अयस्क उत्पादन की दर 1979-80 में प्राप्त हो जाने की आशा है।

दरीबा ताम्र परियोजना सितम्बर, 1973 में शुरू की गई थी। यह 100 टन अयस्क के दैनिक उत्पादन की खान क्षमता तथा समान क्षमता के सांद्रक कारखाने की स्थापना के लिए थी। इस परियोजना में क्षमता के अनुसार वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन हो रहा है।

EXPANSION OF BHILAI STEEL PLANT

2275. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state the total expenditure to be incurred on expansion of Bhilai Steel Plant ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : The present estimated cost of the Bhilai Expansion project from 2.5 million tonnes to 4 million tonnes capacity is about Rs. 1120 crores.

FAMILY PLANNING PROGRAMME

2276. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the steps taken to popularise family welfare programme in rural areas; and

(b) whether some village level workers are required to be trained for the purpose and if so, action taken in that direction ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE : (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) In order to promote the family welfare programme in villages all media of motivation, particularly radio, are being utilised. The State Governments have been requested to organise orientation camps in 1000 primary health centres this year. Through these orientation camps efforts will be made to achieve participation of prominent persons in rural areas in the family welfare programme.

(b) Under the rural health scheme about 15,000 community health workers have been trained. About 15,000 more such workers are currently under training. In addition to promoting health education these workers will also give information about the family welfare programme to people in villages.

बिगड़ती हुई टेलीफोन सेवा और टेलीफोन आपरेटरों के अशिष्ट व्यवहार के बारे में शिकायतों की जांच

2277. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिगड़ती हुई टेलीफोन सेवाओं और टेलीफोन आपरेटरों के अशिष्ट व्यवहार के बारे में प्रमुख टेलीफोन केन्द्रों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है और इन अनुचित कामों के लिये जिम्मेदारी निश्चित की है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी नहीं। टेलीफोन सेवा के बारे में शिकायतों की संख्या पिछले कुछ महीनों में कम हो गई है। टेलीफोन आपरेटरों के अशिष्ट व्यवहार के संबंध में बहुत कम शिकायतें आई हैं।

सभी शिकायतों की जांच की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।

स्वर्गीय श्री ई० वी० रामास्वामी नाइकर का स्मारक डाक-टिकट

2278. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग का विचार स्वर्गीय श्री ई० वी० रामास्वामी नाइकर की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसा करने के विरुद्ध जनता से अनेक रोष-पत्र मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आपत्तियां क्या हैं ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार के पास जनता की तरफ से कुछ विरोध पत्र आए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को लाभ

2279. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक तथा अन्य कर्मचारियों को उदारतापूर्वक लाभ देने के बहुत से प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो संशोधित प्रस्ताव क्या हैं और वे कब से लागू होंगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं को अनेक प्रसुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सरकार के विचारार्थ सिफारिश की है। इन प्रसुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं :—

(1) विनिर्दिष्ट उद्योगों/प्रतिष्ठानों के वर्गों के संबंध में $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत और 8 प्रतिशत की वर्तमान दर के स्थान पर सभी श्रेणी के प्रतिष्ठानों के लिए निधि को देय भविष्य निधि अंशदान की 8 प्रतिशत की समान दर ;

(2) इस शर्त को हटाना कि निधि की सदस्यता के लिए पात्र बनने हेतु कर्मचारी ने 6 महीने की अर्हक सेवा पूर्ण कर रखी हो या 120 दिन के लिए वास्तव में काम कर रखा हो या वह स्थायी घोषित किया गया हो ;

(3) त्याग-पत्र के मामलों में अंशदानों की बाबत नियोजक के हिस्से की ज़ब्ती की प्रमात्रा में कमी करना।

(4) कुदरती विपत्तियों से प्रभावित हुए सदस्यों को न लौटाए जाने वाले अग्रिम की राशि को 300 रु० से बढ़ा कर 500 रु० करने हेतु उपबन्ध बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन करना।

(5) ऐसे सदस्यों को 'वापस किया जाने वाला अग्रिम' मंजूर करना जिन्हें कुछ समय से वेतन न दिया गया हो।

(6) पेंशन की मासिक दर को निम्नानुसार बढ़ाना :—

वर्तमान पेंशन		प्रस्तावित संशोधन	
प्रति माह वेतन	पेंशन की मासिक दर	प्रति माह वेतन	पेंशन की मासिक दर
1. 800 रुपये और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 150 रुपये।	1. 1200 रुपये और उससे अधिक	15 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 225 रुपये
2. 200 रुपये और उससे अधिक परन्तु 800 रुपये से कम	वेतन का 15 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 96 रुपये और न्यूनतम 60 रुपये	2. 800 रुपये और उससे अधिक परन्तु 1200 रुपये से कम	20 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 200 रुपये और न्यूनतम 160 रुपये
3. 200 रुपये से कम	वेतन का 30 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 40 रुपये	3. 200 रुपये और उससे अधिक परन्तु 800 रुपये से कम	वेतन का 25 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 150 रुपये और न्यूनतम 80 रुपये
		4. 200 रुपये से कम	वेतन का 40 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 60 रुपये।

(7) सेवा-निवृत्ति प्रसुविधा की राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये करना।

(8) कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 के अन्तर्गत बीमा प्रसुविधा का हकदार बनने के लिए 1000 रुपये के न्यूनतम औसत शेष की शर्त को हटाना।

(9) बीमा प्रसुविधा की अधिकतम राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करना।

समुद्रपारीय रोजगार एजेंटों की छानबीन

2280. **डा० वसन्त कुमार पण्डित**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों को भर्ती हेतु समुद्रपारीय रोजगार एजेंटों को लाइसैंस जारी करते समय उनके आय-कर सत्यापन प्रमाण पत्रों की छानबीन करती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) वर्तमान क्रिया-विधि के अंतर्गत अनंतिम पंजीकरण की अनुमति देने के लिए उसके अनुरोध पर जांच करते समय भर्ती एजेंट के इनकम टैक्स सत्यापन प्रमाणपत्र की छानबीन नहीं की जाती है। तथापि, विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती तथा भर्ती एजेंटों के पंजीकरण के लिए क्रियाविधि से संबंधित सारी कार्यप्रणाली की जांच के लिए यह सुझाव हाल ही में गठित समिति के विचाराधीन है।

इस्पात का आयात और राज्यों को आबंटन

2281. **श्री सी० के० जाफरशरीफ**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में आयात किये गये स्टेनलैस स्टील की मात्रा का विवरण क्या है और प्रत्येक राज्य को कुल कितना आवंटन किया गया?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय बेदाग इस्पात की चादरों, प्लेटों तथा पत्तियों के आयात से है।

भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार नियम लि० ने बेदाग इस्पात की इन मदों का वर्ष 1975-76 में 7723 टन तथा वर्ष 1976-77 में 9340 टन आयात किया था। आयात की गई बेदाग इस्पात की प्लेटों, चादरों और पत्तियों का वितरण वैयक्तिक उपभोक्ताओं द्वारा कराए गए पंजीकरण के अनुसार किया जाता है। अतः बड़ी मात्रा में राज्यवार आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता।

STATEMENT OF SHRI DALAI LAMA'S SPOKESMAN

†2283. DR. RAMJI SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the spokesman of Shri Dalai Lama that India should give practical shape to her sympathy towards Tibet;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) whether India is not prepared to have bilateral talks over the Tibet problem; and

(d) whether Government have the information of military preparedness of China on Tibet borders and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) The Government of India has seen the statement of the Representative of the Bureau of His Holiness the Dalai Lama in New Delhi as carried by the Statesman of February 9, 1978, which called upon world leaders to translate into action their sympathy for the people of Tibet.

(b) & (c) It is well known that the Government of India is rendering generous humanitarian assistance for the maintenance of the Tibetans in India and for the preservation of their traditions, culture, religion, etc.

(d) There is no indication of any increase in the overall strength of Chinese armed forces in Tibet, including areas along the India-China border.

U.K.—INDIA JOINT VENTURES

†2284. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether during his recent visit to India. the Prime Minister of U.K. had put forth a proposal before Government to set up joint venture industries in third countries in collaboration with India, according to his broadcast on B.B.C.;

(b) if so, whether Government have accepted his proposal in this regard; and

(c) if so, the names of the countries in which such industries are likely to be set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) & (b) In the course of the talks during the British Prime Minister's visit in January 1978, both sides agreed to explore the possibility of setting up joint ventures in third countries through Indo-British collaboration.

(c) Ways and means of doing so will require detailed examination of such possibilities.

स्वागत समारोहों में शराब पेश किया जाना

2285. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों द्वारा आयोजित किये जाने वाले स्वागत/रात्रि भोज समारोहों में आयातित शराब पेश करने की सरकार ने अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राजधानी में स्थित उच्चायोगों तथा अन्य दूतावासों को उनके द्वारा आयोजित किये जाने वाले स्वागत/रात्रि भोज समारोहों में आयातित शराब पेश करने की पूरी छूट है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी दूतावासों सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों द्वारा आयोजित किये जाने वाले इन स्वागत/रात्रि भोज समारोहों में भारत में बनी शराब का प्रयोग करने का है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विदेशी मिशन जिन स्वागत समारोहों/रात्रि-भोजों का आयोजन करते हैं उनमें विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार की शराब पेश करने की छूट होती है। पेश की गई शराबों में से पसंद करने का सवाल अतिथि पर छोड़ दिया जाता है।

आजाद हिंद स्मारक के हिस्सों का वापिस लाना

2286. **श्री समर गुह**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजाद हिन्द स्मारक, जिस को वर्ष 1945 में सिंगापुर पर पुनः कब्जा करने के दौरान लार्ड माउंटबेटन की सेना ने तोड़ दिया था, के कुछ हिस्सों की श्री शाह नवाज खान के रावलपिंडी स्थित निवास स्थान में रखा हुआ है;

(ख) क्या श्री शाह नवाज खान ने खोसला आयोग के समक्ष और इस विषय से संबंधित पहले रखे गए प्रश्नों के उत्तर में भी संसद में इस तथ्य को स्वीकार किया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या शहीदों के स्मारक के पवित्र हिस्सों को वापिस लाने के लिए आगे कार्यवाही की गई है ताकि भारत में उनके परिरक्षण हेतु समुचित कार्यवाही की जा सके?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) जैसा कि 20-3-1974, 9-4-1975 और 1-12-1977 को लोक सभा में दिये गए प्रश्नों के उत्तर में पहले भी बताया जा चुका है, श्री शाह नवाज खान ने बताया था कि आजाद हिंद फौज के शहीद स्मारक के स्मारक-फलक का एक छोटासा टुकड़ा 1946 में उनके कब्जे में आया था और उन्होंने फलक के इस भाग को रावलपिंडी में अपने परिवार के सदस्यों के पास छोड़ दिया था। बाद में उनके परिवार के सदस्यों को भारत आना पड़ा।

(ख) जी हां।

(ग) इस्लामाबाद स्थित हमारा राजदूतावास रावलपिंडी में श्री शाह नवाज खान के पुराने मकान की ठीक-ठीक जगह तलाश नहीं कर पाया है। अब हमने इस मामले में स्वयं श्री शाह नवाज खान को लिखा है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

कांग्रेस दल (आई) को लोकसभा में एक दल के रूप में मान्यता

RECOGNITION TO CONGRESS PARTY (I) AS A PARTY IN LOK SABHA

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को सूचित करता हूं कि मैंने कांग्रेस (आई) को लोकसभा में एक दल तथा श्री सी० एम० स्टीफन को उसके नेता के रूप में मान्यता दे दी है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बात महत्वपूर्ण है कि दल-बदल को प्रोत्साहन न दिया जाय। इसी उद्देश्य से मैंने आप को लिखा था कि एक दल या गुट की मान्यता देने सम्बन्धी वर्तमान निदेश 120 से 124 तक का पुनरीक्षण किया जाये और उनके स्थान पर यह जोड़ा जाये कि यदि कोई सदस्य अपने दल को छोड़ना चाहता है, जिस पर वह चुन कर आया है तो वह व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष से मिलेगा और उनकी उपस्थिति में शपथपत्र देगा। यह मैं इस लिये कह रहा हूं क्योंकि देश में बहुत सी ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो लोकतांत्रिक और दलीय ढांचे को गिराना चाहती हैं। कुछ लोगों की अन्तरात्मा बड़ी चंचल होती है और आए दिन बदलती रहती है। यदि मान्यता के सिद्धान्त का कोई महत्व है, तो इसे सुदृढ़ बनाया जाये।

श्री सौगत राय (बैरकपुर): यह आरोप लगाया गया है कि जिन लोगों ने नए दल के लिये हस्ताक्षर नहीं किये हैं उनके नाम भी सूची में रखे गए हैं। अध्यक्ष ऐसे मामलों की जांच करें। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने किसी को कोई सूची नहीं दी है। प्रत्येक सदस्य ने स्वयं अध्यक्ष को लिखा है। अपने हस्ताक्षरों से अध्यक्ष को मैंने कोई सूची नहीं दी है। सदस्यों ने स्वयं अध्यक्ष को लिखा और उन्होंने जब देखा कि उनकी संख्या एक निश्चित संख्या से अधिक हो गयी है और मान्यता देनी होगी तो उन्होंने मान्यता दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : पुरानी परम्परा को बदलना सभा अथवा नेताओं पर निर्भर है। जब तक ऐसा नहीं होता अध्यक्ष को परम्परा का पालन करना होगा और परम्परा यह है कि 30 से अधिक सदस्य होने पर ग्रुप को मान्यता दे दी जाती है और 50 से अधिक सदस्य होने पर दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। ऐसा पहले भी किया गया है।

जहां तक हस्ताक्षरों सम्बन्धी आरोप का प्रश्न है, जब तक बहुत ही आवश्यक न हो, सदस्यों को बुलाना उचित नहीं है। मैंने यहां प्रयुक्त रजिस्टर से सदस्यों के हस्ताक्षर मिलाने को कहा और उस आधार पर मैं निर्णय पर पहुंचा हूं कि इन सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है। इसलिए मैंने इस दल को सभा में एक दल और श्री स्टीफन को उसके नेता के रूप में मान्यता दे दी है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : यदि कोई हस्ताक्षर जाली हों तो ..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कार्यालय ने इन्हें मिलाया है और मैंने आदेश दिये हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण अडवाणी) : मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिये स्वायत्तता सम्बन्धी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन (खंड 1 और 2) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1733/78]

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1978

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 201 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1734/78]

पारपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1977

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुण्डू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पारपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 734 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी०-1735/78]

(2) 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के उन मामलों का, जिनमें भारतीय उच्चायुक्त (पूर्ति विभाग), लन्दन और भारतीय दूतावास (पूर्ति विभाग) वाशिंगटन द्वारा न्यूनतम निविदायें स्वीकार नहीं की गयी, एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1736/78]

ANNUAL REPORT OF PGIMER CHANDIGARH

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) :

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, for the year 1976-77, under section 19 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1966.

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०1737/78]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Hindustan Latex Limited, Trivandrum, for the year 1976-77 along with the Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी०-1738/78]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार-उल्लाह) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 62/78-कस्टम्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1739/78]

राष्ट्रपति का सन्देश

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मैं लोक सभा को राष्ट्रपति से प्राप्त दिनांक 7 मार्च, 1978 के निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं :

"मैंने 20 फरवरी, 1978 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था उसके प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।

RE : REPORT OF THE ENQUIRY COMMITTEE ON SHRI JAYAPRAKASH NARAYAN'S TREATMENT

श्री जयप्रकाश नारायण के इलाज संबंधी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में

श्री कृष्ण कान्त (चंडीगढ़) : आपने कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रकाश नारायण की चिकित्सा सम्बन्धी प्रतिवेदन को सोमवार तक सभा पटल पर रखेंगे, जो अभी तक नहीं रखी गयी।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजनारायण।

श्री बसंत साठे (अकोला) : लेकिन इसे पहले कार्य-सूची में दर्ज किया जाना चाहिये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : क्या वे न्यायिक जांच के लिये तैयार हैं?

यह जांच एक ऐसे डाक्टर द्वारा की गई है जो कई वर्षों से चिकित्सा कार्य नहीं कर रहे हैं। तथा न ही उन्हें इस कार्य में कोई विलक्षण योग्यता प्राप्त है। इसीलिए मैं यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने का विरोध करता हूं। (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण कान्त : न्यायिक जांच हो या न हो, यह तो एक भिन्न बात है परन्तु जब सदन में प्रतिवेदन पर चर्चा हो तो सदस्य ऐसी मांग कर सकते हैं। हम ऐसा करने के लिए सहमत हो सकते हैं परन्तु यह एक षड़यंत्र लगता है कि प्रतिदिन प्रकाश में ही न आये। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अध्यक्ष प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने का अनुदेश दे चुके हैं। अध्यक्ष द्वारा अपना निदेश वापिस लेने का कोई नियम नहीं है और मंत्री उनके निदेश से बंधा है। (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : हम पूर्ण न्यायिक जांच चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पूरा प्रतिवेदन रखा जाए। परन्तु यह अन्तरिम प्रतिवेदन क्यों लाया जा रहा है? डाक्टरों ने इस पर आपत्ति की है।

श्री सी० एम० स्टीफन : सभा पटल पर कुछ रखे जाने सम्बन्धी कुछ नियम और विनियम हैं। यह एक जांच प्रतिवेदन है और यह जांच, जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत की गई जिसके अन्तर्गत प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए और उसकी एक प्रति सभापटल पर रखी जाए। यह ऐसा प्रतिवेदन नहीं है। यह अंतरिम निष्कर्ष है और पूरा प्रतिवेदन अभी नहीं आया है।

दूसरे, यदि कोई पत्र सभा पटल पर रखा जाए तो उसे कार्य सूची में रखा जाए। परन्तु यह कार्यसूची में नहीं। अतः इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता।

तीसरे, यदि स्वास्थ्य मंत्री कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो ऐसा वे केवल नियम 372 के अन्तर्गत ही कर सकते हैं। इसलिए मैं इस प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखे जाने और मंत्री के वक्तव्य देने का विरोध करता हूं।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : इस प्रतिवेदन में फेर-बदल किया गया है। अध्यक्ष महोदय ऐसे प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति न दें।

श्री वयालार रवि (चिरयंकिल) : अन्तरिम प्रतिवेदन उस दशा में सभा पटल पर रखा जा सकता है यदि सरकार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता हो। पर इस सम्बन्ध में ऐसा कुछ नहीं है।

श्री कृष्णकांत : जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। अन्यथा वे कागजों को क्यों छिपाना चाहते हैं?

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : न्यायिक जांच तो होनी ही चाहिये।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The report contained some startling disclosures. There had been an attempt to murder J. P. Those who are opposing the laying of the report on the Table were trying to cover up those things.

SHRI MANI RAM BAGRI : (Mathura) : The Speaker had directed the Minister to lay the Report on the Table of the House by Monday. Today is Thursday but till now the Report has not been laid on the Table. It is evident that an attempt is being made to prevent the facts from coming to light.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस बात का कोई महत्व नहीं है कि रिपोर्ट अन्तरिम है अथवा अन्तिम। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि जब सदन के समक्ष उसे प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया था, तो उसे पूरा किया जाना चाहिये। जांच आयोग अधिनियम ऐसा करने से नहीं रोकता है।

श्री बसन्त साठे : धारा 3(4) के अन्तर्गत यह एक प्रतिवेदन नहीं है। सरकार कहेगी कि की गई कार्यवाही सम्बन्धी कोई ज्ञापन इसके साथ नहीं है। क्यों ? क्यों कि यह एक पूर्ण प्रतिवेदन नहीं है। अतः 6 महीने की अवधि यह कहकर समाप्त कर दी जायेगी कि वे ऐसा पूर्ण प्रतिवेदन मिलने पर करेंगे। इस दौरान वे इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत न करके आंशिक निष्कर्ष पेश करेंगे। इस प्रकार का अधूरा दस्तावेज सभा पटल पर रखना कानून के विरुद्ध होगा।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोनानी) : अधिनियम की धारा 3(4) इससे सम्बन्धित है और इस मुद्दे का फैसला करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आयोग का प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जायेगा। इसमें 'प्रतिवेदन' या "प्रतिवेदनों" नहीं कहा गया है। आयोग का एक ही प्रतिवेदन होता है जो सभा के समक्ष आना चाहिये। अतः यदि अन्तरिम प्रतिवेदन अब रखा जाता है तो सभा को इस मामले के बारे में और कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी। धारा 3(4) में केवल एक प्रतिवेदन का उपबन्ध है। अतः अन्तिम प्रतिवेदन ही सभा के समक्ष रखा जा सकता है।

SHRI GAURI SHANKAR RAI (Ghazipur) : The question of treatment of J. P. in jail has been hanging fire for a long time. The people want to know the facts. If it is the desire of the House that the Report be laid on the Table, no rules can stand in the way because the House is the supreme authority in regard to the business before it.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Shri Raj Narain) : Last week a question regarding laying the Report of the Alva Commission on the Table of the House was raised. At that time I had said :

> "Mr. Speaker, Sir, I had found out a solution of this question yesterday. It is correct that we have received a report on Shri Jaya Prakash, but it is an interim report, it is not a full report. We are studying this report, our department is studying this report. It is a lengthy report. After its study it will be placed on the Table of the House if it was considered necessary."

The hon. Members were pressurising and the hon. Speaker had suggested that I should present this Report on 6th March.

I would like to state the background behind appointment of a one-Member Commission in this regard. The House will recall that on 6th April, 1977 the Home Minister

had, in reply to Starred Question No. 40 by Shri Samarendra Kundu informed the Lok Sabha that Government had decided to appoint an Inquiry Commission to go into the matter of damage caused to Shri Jayaprakash Narayan's kidney while he was in jail during the Emergency. Accordingly, on 23rd April Dr. P. Koshi was appointed as a one-man Commission. At that time it was not known that Dr. Koshi's son Dr. Abraham Koshi had been appointed a lecturer in the Post-graduate Institute of Chandigarh. Subsequently, when this fact came to light and there was criticism in the press, Dr. P. Koshi resigned. It was then that Dr. K. Nagappa Alva was appointed as the one-man Commission on 13th May. This Commission submitted its Interim Report on 27-2-1978. So long as the final report is not submitted, it will not be proper to take action on this Report. I considered it my sacred duty to lay the Alva Commission Report on the Table, but in view of legal difficulties, it will not be proper to do so.

It is hoped that Dr. Alva would be able to submit the final Report in a month or two. Dr. Alva is doing his best to expedite the matter. But he is in great difficulty because certain records are missing. Also, he has received threats of being killed. It is not proper to say anything derogatory against Dr. Alva He is reputed doctor and had worked very honestly to give the Report.

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के दौरान तीन बातें उठाई गई (1) यह मामला सदन की कार्य-सूची में शामिल नहीं है, इसलिये इसे नहीं लिया जा सकता, (2) केवल अन्तिम प्रतिवेदन ही सभा पटल पर रखा जा सकता है और (3) सरकार द्वारा विचार किये बिना कोइ प्रतिवेदन पेश नहीं किया जा सकता और सरकार के निर्णय उसके साथ एक ज्ञापन में होने चाहिए।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कई बार ऐसे मामले उठाए जाते हैं जो कार्यसूची में नहीं होते। इसलिए इस बात में कोई तथ्य नहीं है।

जहां तक दूसरी और तीसरी बात का सम्बन्ध है हमें जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार कार्य करना होता है। यह कहा गया है कि "यदि कोई प्रतिवेदन" शब्दावली में प्रतिवेदन का अर्थ अन्तिम शब्दावली से है, मैं इस बात को नहीं मानता। 'कोई भी प्रतिवेदन' प्रत्येक प्रतिवेदन हो सकता है। इसलिए अन्तरिम प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा जा सकता है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उपधारा (4) के अन्तर्गत तैयार की गई कोई रिपोर्ट सरकार द्वारा उस पर निर्णय लिये जाने से पहले सभा पटल पर रखी जा सकती है। इस धारा का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। कोई प्रतिवेदन तब तक सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता जब तक कि सरकार उस पर विचार न करले और अपना निष्कर्ष न निकाले। अतः प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के लिए सरकार के निष्कर्षों सहित ज्ञापन अत्यावश्यक है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए सरकार के विचार किए बिना सरकार के निष्कर्षों को ज्ञापन में प्रविष्टि किए बिना किसी प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना मंत्री के लिए वांछनीय नहीं है। इस दृष्टि से मैंने उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का अनुमोदन किया और मंत्री महोदय को निदेश दिया कि वह प्रतिवेदन को तब तक सभा पटल पर न रखें जब तक कि उसमें समुचित ज्ञापन न लगा हो।

[**(उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

13वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 8 मार्च, 1978 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री वयालार रवि (चिरयकील) : गत छः वर्षों से संचार मंत्रालय के कार्यकरण या मांगों पर चर्चा नहीं की गई है। यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय में लगभग 6 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम संचार मंत्रालय के कार्यकरण के सुधार के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अतः कार्य सूची में इस मंत्रालय पर चर्चा की मद को शामिल किया जाए।

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad) : In the last year Budget's Session Demands for Grants were guillotined and passed without discussion. I request that priority should be given for discussion to such demands which were not discussed earlier and passed. At least two Half-an-hour discussions should be allowed this week.

श्री रवीन्द्र वर्मा : मंत्रालयों के चयन के बारे में सदस्यों को प्रक्रिया भली भांति मालूम है। किसी मंत्रालय को चर्चा से अलग रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्राथमिकता के बारे में सभी दलों और वर्गों के साथ बातचीत की जाती है। कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिपक्षी सदस्य स्वयं उन मंत्रालयों को सुझाव देते हैं जिनको चर्चा के लिए शामिल करना होता है। सरकार इस बारे में कुछ नहीं करती। यदि समय हुआ तो संचार मंत्रालय पर भी चर्चा की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 8 मार्च, 1978 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पारपत्र संशोधन विधेयक

PASSPORTS (AMENDMENT) BILL

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री समरेन्द्र कुण्डू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) दिल्ली टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा टेलीफोन आपरेटरों की सेवायें नियमित करने का मामला

SHRI L. L. KAPOOR (Purnea) : A test was conducted in June, 1976 for the recruitment of telephone operators. List of candidates was prepared on merit. Those

who secured good marks were immediately called to join service. About 100 girls who secured comparatively less marks than the above candidates were called to join as Short Duty Operators in December, 1976 on the basis that their appointment would be regularised after their completion of 120 days duty in six months. But in March, 1977 another examination was conducted by the Delhi Telephones authorities and many fresh candidates were given appointment and these were made senior to those girls who have been working as Short Duty Operators. The Minister of Communications should look into the matter to regularise the services of these girls as an early date.

(दो) वनों को नष्ट करने और पेड़ों को अन्धाधुन्ध गिराये जाने का कथित समाचार

SHRI HARI SHANKAR MOHALE (Bhalegaon) : I would like to draw the attention of the Government towards an important matter. It was planned that expansion of forest area would be undertaken so as to cover 33 per cent of the land in the country, but it has not been implemented. Crores of rupees have been spent in the name of plantation, production of timber and protection of forest areas, but it has achieved no good result.

The forest areas on Himalayas and other mountains in the country are diminishing day by day. About 5 crore tribal people are near the forest areas in the country and in those remote areas they are deprived of modern educational facilities, employment facilities etc. They mainly depend on the forest wealth. Previous Government's forest policy and clearance of the forests after the setting up of new Forest Development Divisions have shattered the economy of tribal people. These new Divisions should be abolished. Our forest scheme has been formulated by the world Bank experts who have not been able to assess over actual requirements. The forest policy should be reviewed and revised keeping in view the interests of the tribal people.

(तीन) प्रतापगढ़ से ट्रैक्टर फैक्टरी को हटाये जाने का कथित समाचार

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV (Pratapgarh) : I would like to draw the attention of the hon. Minister of Industry and Labour towards an important matter. A scheme for setting up a tractor factory at Pratapgarh, which is one of the most backward areas of U.P., was sanctioned by the Planning Commission and an amount of three and half crores of rupees was allocated therefor. But now it is understood that there is proposal to shift this factory to some other place.

Keeping in view the fact that the work on the factory have already been started in the year 1977 and lakhs of rupees have already been spent over it and that its setting up at Pratapgarh would provide employment opportunities to approximately two thousand five hundred persons and that about 15-20 districts of the eastern U.P. would be benefited by this scheme to manufacture small tractors of 15–20 H.P., Government should drop the proposal to shift this factory to some other place.

(चार) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से हटाये जाने का कथित समाचार

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल की सिफारिश के अनुसार भारतीय उर्वरक निगम को 5 अलग अलग कम्पनियों में बांटा जाना है। इनमें से एक कम्पनी का नाम हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया जाना है। राजनीतिक प्रभाव में आकर इसका कार्यालय कलकत्ता से बाहर स्थानान्तरित किया जा रहा है। स्थानान्तरण से विपणन, प्रशासनिक तथा संचार समस्याएं पैदा होंगी। भारत सरकार अपने निर्णय पर फिर से विचार करे और इस कम्पनी का कार्यालय कलकत्ता में ही रहने दे।

(पांच) जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों द्वारा कल से शुरू की गई हड़ताल के बारे में मामला उठाना चाहता हूं। जीवन बीमा निगम के 7656

अधिकारियों ने कल से एक माह की हड़ताल शुरू कर दी है और उन्होंने विभिन्य मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन करने भी शुरू कर दिए गए हैं। हड़ताल का यह मामला अत्यन्त गम्भीर है क्योंकि इससे निगम को 20 करोड़ के राजस्व का तथा कुल 300 करोड़ रुपये का घाटा होगा। फरवरी से फील्ड कर्मचारी मंत्रालय को अपनी समस्याओं के हल के लिए लिखते रहे हैं। लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ। उनका मुख्य विरोध आपात स्थिति के दौरान अप्रैल, 1976 में गत सरकार के साथ कर्मचारी संघ के हुए करार को लेकर था।

फील्ड कर्मचारियों की पुरानी सेवा शर्तें बहाल करने और उन्हें सामान्य वेतन भोगी बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। आज एक बीमा विकास कर्मचारी ठेके के मजदूर के ही समान है और प्रबन्धकों द्वारा उसकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। सेवा शर्तों में किए गए इस परिवर्तन के कारण ही जीवन बीमा निगम का व्यापार कम होता जा रहा है। वर्ष 1976-77 में 4 करोड़ रुपये का व्यापार कम हुआ। 1977-78 में अब तक इसे 156 करोड़ रुपये का कम व्यापार मिला। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। सम्बन्धित मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

रेलवे बजट, 1978-79--सामान्य चर्चा--जारी)

RAILWAY BUDGET, 1978-79—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1978-79 के रेल बजट पर चर्चा करेंगे।

SHRI TEJ PRATAP SINGH (Hamirpur) : Sir, 97 per cent of our people travel in second class and they are the main source of revenue to the Railways. But the facilities provided to them are not adequate. Attention should be paid to provide more facilities and amenities to them.

Production of passenger coaches and bogies in the country is not adequate to meet the internal requirements. In spite of this, about 166 passenger Coaches were exported during 1976-77. Action should be taken to step up the production of passenger Coaches and to stop their export so that more accommodation can be provided to second class passengers and new passenger trains may also be introduced, speed of trains should also be increased to facilitate introduction of new trains on the existing routes.

Corruption in the matter of reservations is rampant in the railways. Even the conductors on duty in trains are indulging in corrupt practices. Suitable action should be taken to root it out.

The number of ticketless travellers has increased from 38 lakhs in 1975-76 to 42 lakhs in 1976-77. The checking staff should be given incentives as their duty involves many type of risks.

It is admirable to note that the incidents of pilferages from Railway stores has decreased as a result of the steps taken by the Railway Protection Force.

A survey has been made for construction of a railway line from Mahoba to Khajuraho. The hon. Minister should see that the implementation of this work is expedited. A railway line from Mahoba to Urai, *via* Charbari and Rath should also be constructed and Khajuraho should be linked with Satna.

A train from Durg to Madras *via* Bilaspur should also be introduced early.

The Regional Committees are simply advisory Committees. Certain powers should be given to them so that they become competent enough to solve various small problems then and there and matters are not delayed. Some elected representatives should also be included in these cimmittees.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : The hon. Minister deserves congratulation for presenting a surplus Budget for second successive year and for granting certain facilities to the Staff and railway users. But it has to be pointed out that freight estimates are

not proving correct. The last Budget provided a surplus of about 80 crores of rupees but now it is only of the order of about 65 crores of rupees. This falling trend is not good. The percentage of expenditure has also increased from 84 to 85 per cent Attention should be paid to reduce this expenditure.

Night travel, concession has been granted only to those whose travel covers more than one nights. No concession has been granted for one night's journey and air conditioned class travellers.

The rates of surcharge at different halt stations are different. There is no ground for imposing this surcharge, but even if it is, to be imposed keeping in view the expenditure involved on halt, stations its rates should be uniform for all the halt stations.

The percentage of commission being paid to the contractors at halt stations is low and is also subject to a maximum limit of Rupees 150 per month. This is leading to corruption. This percentage and maximum limit should therefore, be, increased keeping in view the labour and expenditure involved on the part of the contractor. Some incentives should be given to those who show maximum sale.

The increase in the number of railway collisions and deaths, thereby is a deplorable trend. More effective steps should be taken to prevent railway accidents.

Catering arrangements are very poor. The quality of Janata Khana is not upto the mark. Requisite standard should be maintained in the quality as well as the quantity. Discrimination is being made among the private caterers at different stations in the matter of rates for awarding contracts. A uniform policy should be adopted in this regard. Steps should also be taken to remove the corrupt officials from the catering department.

Certain new lines are being constructed, while the work on certain lines for example Sonepur-Chhapra line on which 85 per cent expenditure has already been incurred, has been abandoned. These lines should be completed on a priority basis so that capital already invested on them is not wasted.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : बजट सम्बन्धी कागजों को देखकर मेरे मन में यह धारणा पैदा हुई है कि यह एक सामान्य वर्ष है जिसकी शुरूआत तो शुभ है लेकिन अंत बहुत खराब होगा । यह वर्ष प्रफुल्लता से आरंभ हुआ है। ऐसा मंत्री जी ने जून 1977 में अपने बजट भाषण में कहा था । उन्होंने यह भी कहा था कि कार्यकरण को देखते हुए हमें प्राक्कलनों में काफी वृद्धि करनी होगी । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उसी स्थिति को अब तक बरकरार रखा गया है, अथवा नहीं? समूचे बजट भाषण में बड़े-बड़े दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ वायदे किए थे तथा कुछ आश्वासन दिए थे । तत्पश्चात उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में रेल कर्मचारियों तथा रेल यात्रियों को दिए गए वचनों को पूरा किया जायेगा ।

मंत्री महोदय ने उस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, जो कि एक सक्षम और स्वस्थ संगठन है । चाहे उनका दल इसे कुछ भी कहे । इस संगठन पर 1977 के अंत तक लगभग 4,533 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम चितरंजन, वाराणसी और इन्टेगरल कोच फैक्टरी इन सब में सुचारू रूप से कार्य हो रहा है । और रेलवे ने नए क्षेत्रों में पदार्पण किया है। लगभग 1190 किलोमीटर रेल लाइन पर विभिन्न चरणों में काम हो रहा है। रेलवे के भविष्य के विकास के लिए 15 वर्षीय विकास परियोजना है। रेल अभिसमय समिति ने रेलवे वित्त पर पड़ने वाला भार कुछ हद तक समाप्त किया है । यह सब उन्होंने मार्च 1977 में अपने भाषण में स्वीकार किया जब कि उन्होंने इस वष को महत्वपूर्ण वर्ष कहा था । लेकिन रेलवे के इतिहास में यह एक श्रेष्ठ वर्ष नहीं था । अब यह दावा किया जा रहा है कि रेलवे में हर प्रकार से सुधार हो रहा है । मुझे इसमें भी कुछ संदेह है ।

आपात स्थिति से पूर्व भी हम रेलवे में सुधार कर रहे थे । 1952 में हमने इसे केवल 850 करोड़ रुपये से आरम्भ किया था । इस तरह इसका विकास होता रहा और मुनाफा भी कमाया जाता रहा। किन्तु 1967 से यह घाटे में चलने लगा। 1971-72 तथा 1973-74 में इसे 115 करोड़ रूपये का घाटा हुआ 1974-75 में इसे 113 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। उसके बाद आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई । 1976-77 में इसे 87 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। यह मुनाफा हमें सामान्य राजस्व में दी जाने वाली धन राशि के अतिरिक्त हुआ। अतः आपात स्थिति से रेलवे की स्थिति सुधर गई ।

1973-74 तथा 1974-75 में परिवहन से 271 करोड़ रुपये की आय हुई जो कि 1974-75 तथा 1975-76 में बढ़कर 359 करोड़ रुपये हो गयी। आपात स्थिति के वर्ष के दौरान यह घट कर 269 करोड़ रुपये हो गई। 1976-77, 1977-78 में यह और घटकर 95 करोड़ रुपये रह गयी ।

इस वर्ष 87 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है और अगले वर्ष 65 करोड़ मुनाफे की उम्मीद है। इस तरह मुनाफा भी घटता जा रहा है।

उनके बजट भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सिद्धांतों में अधिक विश्वास है, वास्तविकता में नहीं। जिसका कि रेलों को सामना करना पड़ रहा है । यहां बहुत सी अच्छी बातों का दावा किया गया है। किन्तु दुमंजिली रेल गाड़ियों का विचार नया नहीं है। इस तरह कई बातों को ऐसा चढ़ा बढ़ाकर कहा गया है मानो कि वे नई बातें हों । कहा गया है कि लम्बी दूरी वाली रेल गाड़ियों में दूसरे दर्जे की ही व्यवस्था करके जनता रेल गाड़ियां चलाई जायेंगी। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। श्रेणी विहीन रेल गाड़ियों का विचार नया नहीं है। यहां तक कि जनता भोजन का विचार भी नया नहीं है।

जहां तक रेलवे बोर्ड का सम्बन्ध है, इसके बारे में एक समिति की स्थापना की गई थी, जो कि इस समूचे मामले पर विचार करती। समिति ने विचार करने के पश्चात् यह कहा कि रलवे बोर्ड को बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि कि ऐसी व्यवस्था आवश्यक है।

फिर यह कहा गया कि वहां से सदस्यों को हटाया जाये और शक्तियों का अन्तरण किया जाना चाहिए । यदि संरचनात्मक परिवर्तन करना ही है तो शक्तियों के अन्तरण का होना आवश्यक है। किन्तु पता नहीं यह कार्य कहां तक किया गया है?

जहां तक नई रेल लाइनों के निर्माण का सम्बन्ध है, 1190 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन का क्या हुआ है जो कि अनुमोदित हो चुकी थी तथा जिस पर कार्य आरम्भ हो गया था?

पहले आवश्वासन दिया गया था कि कुछ अतिरिक्त गाड़ियां चलायी जायेंगी और रेलवे लाइनें बनाई जायेंगी । एर्नाकुलम-अलेप्पी रेल लाइन के बारे में भी ऐसा ही वचन दिया गया था। लेकिन इसका अब कोई उल्लेख नहीं है। जिन लाइनों के लिए स्वीकृति दी गई थी उनमें से अधिकांश छोड़ दी गई हैं।

बजट में सबसे अधिक स्वागत योग्य बात रेलवे आरक्षण कार्यालयों में महिला कर्मचारियो की नियुक्ति है। लेकिन यह कहना गलत है कि सभी पुरुष कर्मचारी भ्रष्ट हैं।

कुछ प्रस्तावों के लिए रेलवे विभाग ने पेशकश की थी लेकिन कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और अब वही प्रस्ताव बजट में रियायतों के रूप

में रखे गये हैं। कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच हुई आपसी बातचीत में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे अब उन्हें रियायतें कहा जाना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। रेल कर्मचारियों को बोनस देने का कोई उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। इस मामले पर निर्णय को और अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। उन्हें बोन्स न दिये जाने का कोई कारण नजर नहीं आता।

श्री पी० बी० पेरियासामी (कृष्णगिरी) : मैं तमिलनाडु के धर्मपुरी क्षेत्र से आया हूं जिसे केन्द्रीय योजना आयोग ने पिछड़ा जिला घोषित किया है। वास्तव में यह तमिलनाडु मे सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

कई एक्सप्रेस और डाक गाड़ियां मोराप्पुर से गुजरती हैं। यह स्थान धर्मपुरी से केवल 12 मील दूर है। लेकिन खेद है कि यरकाड एक्सप्रेस के अतिरिक्त कोई भी गाड़ी मोराप्पुर में नहीं रुकती। फलस्वरूप इस क्षेत्र के लोग गाड़ियों का लाभ नहीं उठा पाते। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कोवई एक्सप्रेस, वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, नीलगिरी एक्सप्रेस तथा अन्य गाड़ियों को कम से कम दो मिनट के लिए मोराप्पुर में अवश्य रुकने की व्यवस्था करें।

श्री एम० सत्यानारायण राव पीठासीन हुए

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

बंगलौर और बम्बई जाने वाले लोगों के लिए जालारपेट एक महत्वपूर्ण जंकशन है। सभी गाड़ियों को वहां रुकना चाहिये। धर्मपुरी जिले के पिछड़ेपन को देखते हुऐ केन्द्र सरकार वहां सलेम इस्पात संयंत्र जैसे औद्योगिक एककों की स्थापना पर करोड़ों रुपये का निवेश कर रही है। इस क्षेत्र में सलेम से लेकर बंगलौर तक केवल एक ही मीटरगेज लाइन है। इसे शीघ्र ही बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए।

हमारे यहां बंगलौर जाने वाली एक तेज गाड़ी है। इस तेज गाड़ी का ग्रामीण यात्री लाभ नहीं उठा पाते और आवश्यक वस्तुएं बंगलौर नहीं ले जा पाते अतः इस तेज गाड़ी को सामान्य यात्री गाड़ी में बदला जाना चाहिये।

काफी अवधि से पालक्कोड़ के निकट रेलवे पुल बनाने की मांग की जा रही है। यह मांग पूरी की जानी चाहिए।

शंकरीदुर्ग में डाउन गाड़ियां प्लेटफार्म पर नहीं रुकतीं। इससे बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं को बड़ी कठिनाई होती है। ये गाड़ियां प्लेटफार्म पर रुकनी चाहियें।

दक्षिणी भारत के लोग उत्तर में तीर्थ यात्रा के लिये इलाहाबाद, बनारस तथा गया इत्यादि स्थानों में आते हैं। इन स्थानों में आरक्षण चार्ट हिंदी में लगे होते हैं। इसलिए दक्षिण के यात्रियों को अपना सीट नम्बर और डिब्बे का पता करने में काफी कठिनाई होती है ऐसे चार्ट अंग्रेजी में भी लगाए जाने चाहिए।

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translation based on English version of the speech delivered in Tamil.

मंत्री महोदय ने कहा है कि अब आरक्षण कार्यालयों में महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया जायेगा क्योंकि इससे भ्रष्टाचार रोका जा सकेगा। यह नीति मुआवजा विभाग के सम्बन्ध में भी अपनाई जानी चाहिये क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है।

सरकार आये दिन यह घोषणा कर रही है कि आर्थिक गतिविधियों की योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुखता दी जायेगी। रेलवे एक बहुत बड़ा उपक्रम है जिसमें देश के कई बेरोजगार युवकों के परिवाक्षी प्रशिक्षुओं के रूप में रोजगार दिया जा सकता है। अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के उपरांत उन्हें रोजगार दिया जा सकता है। मंत्री महोदय को इस पर भी विचार करना चाहिए। मेरे क्षेत्र के केलामंगलम और मराडाहाल्ली स्टेशनों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी कार्रवाही की जानी चाहिए।

SHRI RAM KANWAR BERWA (Tonk) : The Railway Budget has been welcomed by the people for which Railway Minister deserves all praise.

There is lot of corruption in the matter of railway reservations. A complaint book should be placed at the platform so that railway users could record their complaints therein.

Scooters or taxis are not easily available outside the stations. The police should be instructed to see that these vehicles are easily available there.

Only one or two new railway lines were laid in Rajasthan after independence and this is the main cause of backwardness of that state. There is no provision in the budget for laying new railway lines in Rajasthan. Special consideration should be given to this question. Tonk is a backward area. Shri Jagjivan Ram, as Railway Minister, had assured that District Headquarters Tonk will be linked with the railways but nothing has so far been done in this direction.

Loharu—Jaipur—Sawai Madhopur railway line should be converted into broad-gauge line and linked with Tonk via Siras, Saroli, Banetha etc. A new railway line should also be opened between Kota and Ajmer so that Bundi could also be connected with the railways.

I request that the next railway line should be provided for extension of new railway line in Rajasthan.

DR. LAXMI NARAIN PANDEYA (Mandsaur) : The Railway Budget is another stop towards fulfilling people's aspirations. The railway freight or fare has not been increased but even then Railway is under a financial burden. It is really sad that no intention has been paid towards opening new railway lines in backward areas. A definite policy should be adopted in this regard by the Government.

Railway Board should be re-constituted. The recruitment of class III and class IV employees in the railway has not increased in proportion to the gazetted officers. What is the reason of unlimited increase in the recruitment of gazetted officers ?

The funds from out of welfare fund are not being utilised properly. No residential and medical facilities are provided to the railway running staff.

There had been many railway accidents. We should thoroughly go into the reasons of accidents involving fast and super fast trains.

During the emergency some *ad hoc* recruitments were made in the railways in Experts' quota with the result that good sportsmen were not taken. The Railway Minister should look into this matter. Railways have the capacity to provide employment to a large number of people, and if recruitment could be made in a proper manner, five lakhs of persons could have been appointed in the railways.

The work of railway electrification of Baroda-Nagda line should be taken up again.

Kachiguda-Ajmer train should be run daily instead of Bi-weekly. Then 25 Down and 25 Up trains should be made to halt at Shamgarh. Similarly, the work of opening railway lines of Indore-Dohad. Ratlm-Bansawada and Neemuch-Kotah should also be taken up. The monopoly of Wheeler and Co., should be removed. Ajmer—Khandwa line

should be converted into broad-gauge, because there are many cement factories in this area and there is C.R.P. HQrs. at Neemuch as well as Army Centre at Nasirabad.

Lastly I would request that Western Rly. Hqrs. should be shifted to Ratlam.

SHRI D. G. GAWAI (Buldana) : Mr. Chairman, Sir, I request you to give me some more time.

सभापति महोदय : अन्य सभी दलों के लिए 11 मिनट का समय रह गया है और 11 सदस्य बोलने वाले हैं ।

SHRI D. G. GAWAI : I stand to support the Railway Budget. A sum of Rs. 65 crores has been declared surplus in this Budget. As regards opening new railway lines, a survey has already been conducted for a railway line connecting three regions of Madhya Praesh, Vidarbha and Marathwada, but the work has been suspended. The Railway Minister should take measures to see that this railway line is completed at the earliest.

Steps should be taken to make such casual labourers regular and permanent as have put in 4 to 5 years of service.

The contracts for canteens, book stalls or fruit stalls at railway stations should be given to people with moderate means and not to big contractors. It would be better to give these contracts to the persons belonging to Scheduled Castes in preference to other people.

The Railway Service Commission does not take any action in the matters of recruitment and promotions for Scheduled Caste persons in the services of the railways.

It is all the more commendable that janata meal has been provided for railway passengers, but care must be taken to see that it is good quality food.

Arrangements should be made for the provision of male attendents to Members of Parliament in first class and a lady attendant for wives of those M.P. who travel alone.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : रेल मंत्री एक बहुत अच्छा बजट पेश करने के लिए बधाई के पात्र हैं। रेल मंत्री ने बोनस की मांग को स्वीकार नहीं किया है। रेलवे को प्राप्त होने वाली आय राष्ट्र का धन है। वह धन पुन: भारतीय रेलवे में लगाया जाना चाहिए। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए अत: रेल मंत्री को रेल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए । रेल मंत्री को बहुत निर्भीक होना चाहिए और उनमें कर्मचारियों की किसी भी अनुचित मांग को अस्वीकार करने का साहस होना चाहिए।

रेलवे बोर्ड को समाप्त करने की भी मांग की जा रही है। आखिर रेलवे बोर्ड मंत्री महोदय के आदेशों का ही तो पालन करता है। अत: अधिकारियों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

बीकीनगर और नरकुडा की ब्रांच लाइन का निर्माण करने के लिए धन राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। यह लाईन नागार्जुनसागर से सम्पर्क स्थापित करेगी। रामगमडंम और निजामाबाद का भी सम्पर्क स्थापित करने की मांग की जा रही है। ये लाइनें शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जानी चाहिए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मुनाफे का बजट पेश करने के लिए रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं । जनता के सभी वर्गों ने इस बजट का स्वागत किया है । जहां तक यात्रियों को सुविधाएं दिये जाने का प्रश्न है दूसरी श्रेणी के डिब्बों से जितनी आय होती है इसके अनुपात में देखा जाए तो यात्रियों को जितनी सुविधाएं दी जानी चाहिए थीं उतनी नही दी गई

हैं। रेल यात्रियों के लिए 1 रुपये की थाली में जो जनता खाना देने की व्यवस्था की गई है वह भी स्वागतयोग्य कदम है। आशा है कि वह नाम मात्र का खाना न होकर खाने के लायक भी होगा।

नडियाड–मीदासा लाइन बरास्ता कपाडगंज के बारे में उल्लेख किया गया है लेकिन भावनगर–तारापुर रेलवे लाइन का क्या हुआ? इस संबंध में सर्वेक्षण हो चुका है और गुजरात सरकार ने कुछ हद तक घाटे को पूरा करने के लिए भी मंजूरी दी है। अतः इस लाइन पर कार्य शुरु न करने का कोई कारण नही दिखता।

दाहोद–झमारकोटरा से उदयपुर तक लाइन बनाने हेतु एक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण कराने के लिये कहा गया था। यह रेलवे लाइन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के एक भाग से होकर गुजरेगी साथ ही यह पहाड़ी क्षेत्रों और कुछ पिछड़े क्षेत्रों से भी होकर गुजरेगी। रेलवे को इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के लिए सहमत होना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि यह संभाव्य है अन्यथा नहीं?

दिल्ली से अहमदाबाद तक की मीटर गेज-लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

वीरमगांव–ओखा–पोरबंदर लाइन पर सरकार कुछ धन व्यय कर चुकी है। रेल मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो काम पहले से शुरू किये जा चुके हैं जैसे मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य इत्यादि उन कामों की गति तेज करके कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए।

छोटा उदयपुर–बड़ौदा, अंकलेश्वर–राजपीपला और बिल्लीमोरा–वघाई लाइनों को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न की भी जांच की जानी चाहिए।

बम्बई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाने चाहिए। साथ ही रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में तीन बार एक अतिरिक्त गाड़ी चलाई जानी चाहिए, जिससे इस लाइन पर होने वाली अत्यधिक भीड़ को कम किया जा सके। अहमदाबाद और बड़ौदा तथा बड़ौदा और बलसाड़ के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

साबरमत्ती एक्सप्रेस जोकि अहमदाबाद और वाराणसी के बीच चलती है केवल बड़ौदा तक एक्सप्रेस है बड़ौदा के बाद वह सवारी गाड़ी बन जाती है इसलिये या तो इस गाड़ी का नाम बदल दिया जाए या उसकी गति बढ़ा दी जाए।

मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि अब आरक्षण काऊंटर पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। यह अच्छा है।

मंत्री महोदय ने रेलवे बोर्ड को नया रूप देने की बात कही है। प्रश्न यह है कि रेलवे प्रशासन में पुराने ढ़ंग की बातें क्यों हो रही हैं। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि वह रेल अधिनियम में परिवर्तन करके उसे नयी स्थिति के अनुसार बनाना चाहते हैं।

नवसारी पर फाटक की व्यवस्था की जानी चाहिए। अहमदाबाद में साबरमती के पास रणीय पर एक पैदल पुल की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमने रेलवे कुलियों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कई ऐसे हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है। उनके लिए कुछ शैड़ों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

माल डिब्बों की कमी है। कोयला क्षेत्र से अहमदाबाद तक कोयला लाने के लिए माल डिब्बे नहीं हैं। इससे बिजली की सप्लाई में कटिनाई हो रही है। माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण नमक बर्बाद हो रहा है।

गांधीनगर से अहमदाबाद तक एक गाड़ी चलती है लेकिन इन दोनों के बीच कोई स्टेशन नहीं है। यदि इन दो स्थानों के बीच यह गाड़ी चलाई गई है तो कम से कम बीच में एक स्टेशन होना चाहिए।

वाराणसी, इलाहबाद, प्रयाग तथा अन्य स्थानों के नाम केवल हिन्दी में लिखे हुए हैं। दक्षिण भारत के लोगों की सुविधा के लिए उन स्टेशनों के नाम अंग्रेजी में भी लिखने चाहिए।

SHRI Y. P. SHASTRI (Rewa) : The Railway Minister has presented a historic budget. One feel that there is a welcome change from the past. The entire country feels that the Railway Minister has started in a right direction.

During the last 11 months of Janata Party rule 108 new railway trains have been introduced. Routes of 74 trains have been extended. For all these achievements the Railway Minister deserves all praise.

Selection Grade is being given to Class IV employees. Such a thing has never happened during the last 25 years. Promotion avenues for clerical staff have been increased. All this shows that a new direction is being given to tone up railway administration.

The development of the country is inextricably linked with the development of rail facilities. We have to find out areas which have so far been neglected and provide rail facilities there so that those areas may develop.

Madhya Pradesh is far behind the other states in the matter of rail facilities. The States Reorganisation Commission had also recommended that in order to the administration of the state satisfactorily a network of railway lines will have to be provided in M.P. The Commission had suggested that it is essential to link Jabalpur with Lalitpur. During the last 23 years, not an inch of railway line has been provided in the state.

The Railway Minister has now taken a preliminary step to link western part of Vindhya Pradesh with its eastern part. There is a proposal for survey of Lalitpur-Singrauli–Satna section. Survey of Satna to Singrauli *via* Rewa line has already been done in 1973. The hon. Minister should now only get a survey made of Lalitpur to Satna *via* Khajuraho. A rail link from Chirmidi to Baraudih should be provided. These railway lines will help in the exploitation of rich mineral resources in the area.

There has been a long-standing demand for a railway line from Dalli Rajabara to Jagdalpur and also from Khandwah to Dahod. These rail links should also be provided.

Madhya Pradesh has been neglected in the matter of providing new railway lines and also for commission of metre gauge into broad gauge. Due attention should be paid to the needs of Madhya Pradesh.

A sum of Rs. 29 crores has been provided for new railway lines. This amount is very inadequate. The railways should not give Rs. 269 crores to the general revenues. Instead this amount should be sent for the development of railways.

The amount of Rs. 170 crores for bearing the social burden should also be provided by general administration. Also, the debt of Rs. 345 crores due from the railways should be written off.

Criterion about economical and uneconomical line should be done away with otherwise new lines could not be constructed in undeveloped areas. When the Government can run sub-urban trains and bear the loss, then why not they run trains in backward areas.

Proposal to depute ladies at reservation counters is welcome. It will be a useful step to end corruption.

Unauthorised travelling agents are still engaged in illegal work. Effective steps should be taken to do away this evil. For this purpose committee should be constituted comprising of public representatives, Members of Legislative Assembly etc. In this way corruption can be rooted out.

There is large scale of pilferage of cool in railway. Government have taken a good step by deputing personnel of Railway Protection Force. The number of railway accidents has come down. Pilferages in railways take place in connivance with Railway Protection Force personnel and officers. Due to these pilferages, Government have to pay claims and demurrages. Government should think over this problem.

There is no need of Railway Board. Unnecessary expenditure is being incurred on this Board. This Board should be abolished.

श्री अमरराय प्रधान (कूच बिहार) : गत 30 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी में वृद्धि हुई है। रेल प्रशासन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मंत्री महोदय कृपया यह बतलायें कि उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तरी बंगाल में कुछ गाड़ियां या रेल लाइनें हैं किन्तु वहां के यात्री इन गाड़ियों में नहीं चढ़ पाते क्योंकि इन गाड़ियों में कहीं बैठने के लिए स्थान नहीं मिल पाता। इन गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ होती है।

कूच विहार से सियालदह तक एक उत्तर बंगाल एक्सप्रेस गाड़ी तथा एक जनता गाड़ी चलाने की बहुत समय पहले से मांग की जा रही है किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेल प्राधिकारी इस बारे में बिल्कुल मौन हैं।

इस वर्ष के बजट में दोमोहोनी से चंग्रबांध तक रेल लाईन पुनर्निमर्माण के लिए एक यातायात सर्वेक्षण का प्रस्ताव है। इस तरह का सर्वेक्षण कब तक होता रहेगा? माल्दा तथा रानीगंज के जिला मुख्यालयों को रेल लाइन द्वारा मिलाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिस पर केवल 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

सीलीगुड़ी दार्जिलिंग सेक्शन घाटे में चल रहा है। प्रायः अधिकारी कहते हैं कि चूंकि यह घाटे में चल रहा है, इसलिये इसे बन्द कर दिया जाना चाहिए। स्थिति यह है कि इस सेक्शन के सुधार के लिए इन 30 वर्षों के दौरान कुछ नहीं किया गया है। इस सेक्शन को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त दार्जिलिंग तथा कुरसेंग में सुन्दर तथा कीमती रेलवे बंगले तथा अतिथि गृह पर्यटकों को इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने चाहिए ताकि जो घाटा हो रहा है वह पूरा किया जा सके।

रेलवे में रोजगार देने के मामले में उत्तर बंगाल के युवकों की उपेक्षा की जाती है। यहां तक कि उत्तर बंगाल के 5 प्रतिशत युवकों को नार्थ फ्रन्ट रेलवे में नौकरी नहीं मिल पाती। यह बड़े खेद की बात है विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नार्थ फ्रन्ट रेलवे लाईन का एक तिहाई भाग उत्तर बंगाल में है। उत्तर बंगाल के लोगों को रेलवे में पर्याप्त रोजगार मिलना चाहिए।

श्री जर्नादन पुजारी (मंगलौर) : किराया तथा भाड़े की दर बढ़ाए बिना यह बजट पेश किया गया है, इसलिये इसका स्वागत है किन्तु कांग्रेस के शासन के दौरान जो उच्च-स्तरीय क्षमता प्राप्त की गई थी, उसे बनाए रखना चाहिए।

रेल मंत्री के बजट भाषण में यह कहा गया है कि कोंकण पश्चिमी तट रेलवे के पहले चरण में आप्टा से रोहा तक एक नई रेल लाईन बिछाई जाएगी जो कि मंगलौर तक बिछाई जाएगी तथा यह गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी मिलाएगी। साथ ही साथ यह केरल और तमिलनाडू को भी जोड़ेगी। कर्नाटक के लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि रेलवे लाईन आप्टा से रोहा तक ही न हों बल्कि मंगलौर से रोहा तक भी हो।

मंगलौर तथा बंगलौर को जोड़ने वाली मरकरा रेल लाईन का निर्माण कार्य भी आरम्भ किया जाना चाहिए। मरकरा कुर्ग जिले में है, जहां इलायची, चाय, काफी तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। इन वस्तुओं के निर्यात से यह जिला विदेशी मुद्रा कमाने में सहयोग देता है।

मंगलौर सुब्रमनिया लाईन पर बहुत पुरानी गाड़ी चलती है। यह बैलगाड़ी से भी बदतर है। रेल मंत्री को इस लाईन पर नई गाड़ी चलानी चाहिए ताकि यह मार्ग अधिक लोकप्रिय हो सके तथा यात्रियों को आकर्षित कर सके।

कर्नाटक के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है कि बंगलौर मैसूर रेल लाईन को बड़ी लाईन में बदल दिया जाना चाहिए। किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। इस लाईन को बड़ी लाईन में बदल दिया जाना चाहिए तथा इसका विद्युतीकरण भी किया जाना चाहिए।

रेल मंत्री को चमराजनगर सत्य-मंगलम रेल लाईन को बिछाने का काम भी आरम्भ कर देना चाहिए। इसकी दूरी 25-25 मील के लगभग है। कोटूर-हरहर लाईन को बिछाने का काम भी किया जाना चाहिए।

जहां तक दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, दुर्घटनाओं की संख्या बड़ी है और काफी लोग मरे एवं घायल हुए हैं। सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्ति का नुकसान भी हुआ है।

रेलवे बजट में इन दुर्घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।

इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं। इसका एक कारण बोनस का न दिया जाना है। जब अन्य सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है तो रेलवे, जो एक उद्योग है, के कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता। दुर्घटनायें यांत्रिक खराबियों से भी हो जाती हैं। यदि रेलवे स्टाफ तथा रनिंग स्टाफ सावधानी से काम ले तो ये दुर्घटनायें कम हो सकती हैं। मेरा कहना यही है कि रेलवे स्टाफ लापरवाह हो चुका है और बोनस न दिये जाने के कारण उनके बीच रोष है।

आप जानते ही होंगे कि लापरवाही के कारण 2043 दुर्घटनायें हुई है। 3152 रेल कर्मचारियों को इन दुर्घटनाओं के लिये दंडित किया गया है।

हमने दूसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने का जो वचन दिया था, वह अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इन्हें अभी तक बुनियादी सुविधायें भी हम प्रदान नहीं कर सके हैं। इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI (Kannauj) : I congratulate the Railway Minister for starting new trains and providing more facilities to the travelling public.

The Railway Minister has expressed anxiety over the railway accidents and made all possible efforts to check the same. The Railway Protection Force has been engaged for petrolling duty on the railway tracks.

Unfortunately there is no security in the trains particularly in the 6 or 7 crime prone districts of U.P., where looting and murder is order of the day. The Central Government and Railway Ministry should not act as silent spectator of such scenes.

There is a lot of red-tapism in the Railways. I have not received a single reply to a number of letters written by me to the various railway authorities.

Corruption is also rampant in the railways. You cannot get reservation without paying bribe. Reservation staff should be increased and some officers posted there with a view to check corruption.

Catering service of the railway is also gripped by corruption. W.H. Wheeler and Co. is monopolising the railway book stalls throughout the country. It is said that Janata Government is also sailing in the boat of Congress Government. This company is still running the stalls.

श्री जार्ज मैथ्यू (मुवतुपुजा) : रेल मंत्री ने कहा है कि वे पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक रेलवे लाईनें खोलेंगे। पिछले रेलवे बजट के दौरान एरणाकुलम–अलेपी रेलवे लाईन बनाने के बारे में कहा गया था लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार ऐसे मामलों में कहती है कि योजना आयोग स्वीकृति नहीं दे रहा है। लेकिन इस मामले में तो योजना आयोग मान गया था नई रेलवे लाइनों के मामले में केरल के साथ भेदभाव किया गया है। मैंने कोचीन–मदुराई रेलवे लाईन के बारे में भी कहा था मुझे मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि यह लाईन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होगी। उन्हें इस लाईन का सर्वेक्षण कराना चाहिए।

अब मैं रेलवे कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस की चर्चा करता हूं। रेलवे तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बीच में क्या अन्तर है। कोई नहीं। उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि त्रिवेन्द्रम–तिरूनेलवेल्ली नई रेलवे लाईन केरल में बनायी जाने वाली नई रेलवे लाईनों की सूची में शामिल कर दी गयी है।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि केटेरिंग विभाग के बीयररों को रेलवे सेवा में खपाया जायेगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कब तक ऐसा करेंगे। उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि इन्हें कब तक खपाया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध भी करूंगा कि कोचीन से कलकत्ता तक सीधी रेल चलायी जाए।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

सिक्किम के विलय के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा कथित वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय से एक पत्र प्राप्त हुआ है। प्रधान मंत्री के सिक्किम सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में दो स्थगन सम्बन्धी प्रस्ताव आये हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रधान मंत्री ने कहा था कि सिक्किम का विलय उचित कदम नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि इस विलय के निर्णय को अब उल्टा नहीं किया जा सकता।

इस स्थिति में यह कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। अतः मैं इसे अनुमति नहीं दे सकता।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अध्यक्ष महोदय ने "मर्जर" शब्द और प्रधान मंत्री ने "एनेकसेशन" शब्द का उपयोग किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो स्थगन प्रस्ताव के बारे में अध्यक्ष महोदय का निर्णय है।

रेल बजट, 1978-79 सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET, 1978-79—GENERAL DISCUSSION—Contd.

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह सुझाव दिया गया है कि चूंकि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है इसलिये चर्चा का विषय बढ़ा दिया जाये। और रेल मंत्री कल 2.30 बजे चर्चा का उत्तर दें और 3.30 बजे तक चर्चा समाप्त की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्धारित करना कार्य मंत्रणा समिति का काम है। मुझे आशा है कि सदन इससे सहमत होगा। अतः रेल मंत्री कल 2.30 बजे चर्चा का उत्तर देंगे और 3.30 बजे तक चर्चा समाप्त हो जाएगी।

श्री सैयद काजिम अली मिर्जा (मुर्शिदाबाद) : रेल बजट की हर सम्भव प्रशंसा की जानी चाहिये क्योंकि सभी वर्ग के लोगों ने यह माना है कि यह एक पूर्णतः सन्तुलित बजट है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुर्शिदाबाद एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिये 301 और 302 गाड़ियां यहां दो मिनट रुकनी चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों की यह बड़ी पुरानी मांग है। इस बात को लेकर वे बड़े उत्तेजित हैं और वे कानून को अपने हाथ में लेकर गाड़ियां रोक सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि आरक्षण आदि की बुकिंग के लिये महिला क्लर्क और निरीक्षक रखे जायेंगे। यह काम बड़े बुकिंग कार्यालयों और महानगरों में पहले शुरू किया जाएगा। यह निश्चय ही आवश्यक है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि केवल महिलाएं ही ईमानदार होती हैं और पुरुष नहीं।

जहां तक भ्रष्टाचार और अनैतिक का सम्बन्ध है, यह सब जगह व्याप्त है। लेकिन हमें इसकी जड़ में जाकर इसका उन्मूलन करना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कदाचार को दूर करने के लिये कम्प्यूटर लगाने की बात की है। लेकिन हमारा देश विकासशील है और इस देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है। अतः कम्प्यूटर लगाने से रोजगार के अवसर समाप्त हो जायेंगे। अगर कम्प्यूटर लगाने ही हैं तो प्रत्येक मंत्री की कुर्सी के साथ कम्प्यूटर लगाया जाए ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये हर जगह कम्प्यूटर लगाए जाएं। उन्हें ताला लगाया जाए और फिर स्थिति का पता लगाया जाए। परन्तु हमें महिलाओं और पुरुषों का विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए।

इस समय धूम्रपान की अनुमति होते हुए भी वातानुकूलित डिब्बों में राखदानी का प्रबन्ध नहीं है। डिजाईन तैयार करने वाले इस ओर ध्यान दें। सबसे बुरी बात तो यह है कि गार्ड के लिये भी बैठने का उचित स्थान नहीं है। एक स्टूल जैसी वस्तु उसके लिये पर्याप्त नहीं है। उसके लिये सोने के लिये स्थान होना चाहिये। डिजाईन बनाने वाले कर्मचारियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखें। यदि ऐसा न हो सके तो गार्ड के लिये डिब्बे में एक स्थान सुरक्षित रखा जाए।

जहां तक अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, संविधान से शब्द हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है।

मुसलमानों को सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। राज्य मंत्री ने बताया है कि हरिजनों के लिये 15 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। जनता सरकार के मंत्री यह क्यों नहीं कहते कि सभी समुदायों के लोग बराबर हैं और अल्पसंख्यकों को अपना उचित भाग मिलेगा। यही मेरी मांग है।

हमें यह भूल जाना चाहिये कि हम हिन्दु और मुसलमानों में विभक्त हैं अथवा हम अलग-अलग जाति समुदाय के हैं। ऐसा होने पर ही यह देश महान् हो सकता है। भारतवासियों में एकता की भावना होनी चाहिये। भारतीय नागरिक को उसकी जाति के नाम से नहीं बुलाया जाना चाहिए।

SHRI ISHWAR CHAUDHARY (Gaya) : I rise to support the railway budget presented by the hon. Minister. Interests of the low class and middle class employees have been safeguarded through this budget. It is a budget of common people. By making second class more comfortable, Government have set a new record.

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी पीठासीन हुए]

[SHRI DWARIKA NATH TIWARI *in the Chair*]

Government have also kept its promise by employing the commission bearers working in Railway Department and thus safeguarding their future.

Passengers who travel from and to Gaya are charged passenger tax. The tax so collected should be deposited with the managing committee of Gaya so that the money could be invested for the prosperity of Gaya.

Gaya station should be made a halt of Rajdhani express, because Gaya is a place of pilgrimage where Budhist from the country and abroad come.

There is lot of rush in Sealdah express bound for Jammu. A number of passengers could not even catch the train due to rush. Even then no additional coaches have been attached to this train.

It had been decided to run Tinsukhia train via Gaya on three days in a week but it runs *via* Patna on all days. You should see to this lapse.

The passengers are facing lot of in convenience in the absence of double line on Gaya-Patna route. This line should be doubled. A direct line should be laid down between Bodh Gaya and Rajgir.

R.P.F. is a very useful organisation and it can help much in checking railway thefts. Therefore this organisation should be activised further and more stronger.

There is no halt between Manpur and Gaya on the Eastern Railway. The trains should halt there.

Reference has been made to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The lands lying vacant adjacent to railway stations can be allotted to these people, where they can open stalls or shops.

श्री पी० ए० संगमा (तुरा) : रेलवे बजट के विभिन्न पहलुओं पर तो पहले ही काफी कुछ कहा गया है। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र गारो हिल्स में एक प्रतिशत जन संख्या को भी रेलों का लाभ उपलब्ध नहीं है। इस बजट में इन लोगों के हित के लिये क्या व्यवस्था की गई है।

जनता सरकार की यह नीति है कि पिछड़े क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। मेरा क्षेत्र ऐसा ही है। पिछले वर्ष रेल बजट पर चर्चा के समय मैंने इस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने के लिये सरकार पर जोर डाला था। परन्तु खेद है कि कुछ नहीं किया गया।

मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, अन्दमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों को रेलों से नहीं जोड़ा गया। इनमें से पांच पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। यह क्षेत्र अत्यन्त सामरिक महत्व का है। इस ओर ध्यान दिया जाये।

हमारे क्षेत्र के लोग कल्पनातीत रूप में गरीब है और अनपढ़ हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां सदियों से संचार साधन नहीं हैं। जरूरत की चीजों के लिये लोगों को कई दिन तक पैदल चलना पड़ता है। इसलिये वहां रेलें बहुत जरूरी हैं। लेकिन इस वर्ष भी इस क्षेत्र के लिये कुछ नहीं किया गया।

गोलपाड़ा से महिन्द्र गंज तक और गोहाटी बरनीहाट तथा जोगी गोपा दारनगिरि तक प्रस्तावित लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि इन लाइनों पर इस वर्ष कार्य शुरू हो जाये।

SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA (Arrah) : The Railway Budget is in the interest of the people and they have welcomed it.

The former Minister of Railway has taken a decision to create Moghalserai Division taking certain areas out of Danapur, Howrah and Dhanbad Division. This decision is against the country's interest. There will be a loss of Rs. 22 Crores as a result of creation of this decision should be revoked.

It is regrettable that no clear-cut decision has been taken for construct of Satri-Hasanpur railway line. The matter should be decided as early as possible.

It is gratifying that Ara-Sasaram Light Railway has been closed and employees will be absorbed. This line should be converted into broad gauge line. A decision about this should be taken early as this line is badly needed by the people of this area.

The railway employees who participated in the 1974 strike have not so far got their pay. So there is discontent among the employees. This money should be paid to them. These employees were characterised as anti-national and entries to that effect were made in their character rolls. These entries should be removed from their character rolls.

The railway employees should be regarded industrial workers and they should be given bonus and minimum wages. Casual workers should be made regular.

There are no avenues of promotion for class III and Class IV employees. Proper avenues should be created for them.

There is wide disparity between the pay scales of officers and railway workers. It should be removed.

Corruption is rampant in railways. Effective steps should be taken to eradicate corruption. There are certain charges against the General Manager, North-Eastern Railways. These should be enquired into.

There is no dining car attached to Jayanti-Janta for the last 2 months. This causes inconvenience to passengers. The hon. Minister should look into it.

One family member who retires from railways should be taken in service.

There is no fast train between Delhi and Patna. A fast train should be provided.

SHRI SHRIKRISHNA SINGH (Monghyr) : Railway is a big and multipurpose industry and is an instrument of nation's development. The previous Government used to increase freights and fare every year. They never paid attention to the problems of railway employees. The railway employees were discontented. The present Railway Minister during the last 11 months has solicited cooperation of the employees and the Railways have earned profit. They deserve our thanks.

The Railway Minister has agreed to provide avenues of promotion for railway employees. It is first time in the history of railways that selection grade has been given to class IV employees. He deserves praise for this act.

तत्पश्चात् लोक सभा, शुक्रवार, 10 मार्च, 1978/19 फाल्गुन 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock in Friday, March 10, 1978/ Phalguna 19, 1899 (Saka).

117LSS/78—GIPF.